

बी.कॉम. द्वितीय वर्ष
व्यावहारिक अर्थशास्त्र, प्रथम प्रश्नपत्र

भारतीय कंपनी अधिनियम (Indian Company Act)



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय – भोपाल

MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY-BHOPAL

Reviewer Committee

1. Dr. Poornima Joshi
Professor,
Sri Sathya Sai College for Women, Bhopal.
2. Dr. Pramod Verma
Professor,
Govt. Hamidia College, Bhopal.
3. Dr. B.M.S. Bhadoriya
Professor,
Govt. MLB College, Bhopal.

Advisory Committee

1. Dr. Jayant Sonwalkar
Hon'ble Vice Chancellor,
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
Bhopal.
2. Dr. L.S. Solanki
Registrar,
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
Bhopal.
3. Dr. Ratan Suryavanshi
Director,
Madhya Pradesh Bhoj (Open) University,
Bhopal.
4. Dr. Poornima Joshi
Professor,
Sri Sathya Sai College for Women,
Bhopal.
5. Dr. Pramod Verma
Professor,
Govt. Hamidia College,
Bhopal.
6. Dr. B.M.S. Bhadoriya
Professor
Govt. MLB College,
Bhopal.

COURSE WRITER

Dr. Nisha Bano Siddiqui, Assistant Professor, IMS, DAVV.

Copyright © Reserved, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal

All rights reserved. No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the Registrar, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. (Developed by Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.) and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by Registrar, MP Bhoj (Open) University, Bhopal in 2020



VIKAS® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.

E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)

Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999

Regd. Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi 1100 44

• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

SYLLABI-BOOK MAPPING TABLE

भारतीय कंपनी अधिनियम

Syllabus	Mapping in Book
इकाई-1 कंपनी: परिभाषा, विशेषताएँ, कंपनी के प्रकार, कंपनी का निर्माण प्रवर्तन, सामामेलन एवं व्यवसाय का प्रारंभ।	इकाई 1 : कंपनी (पृष्ठ 3-27)
इकाई-2 पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण का विस्तृत अध्ययन।	इकाई 2 : पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण का विस्तृत अध्ययन (पृष्ठ 28-64)
इकाई-3 अंश: अंशपूँजी, अंशों के प्रकार, अंशों का हस्तांतरण एवं अभिहस्तांकन। अंशधारी बनाम कंपनी के सदस्य ऋणपत्र – आशय एवं प्रकार, ऋण लेने का अधिकार, बंधक एवं प्रभार।	इकाई 3 : शेयर और डिबेंचर (पृष्ठ 65-101)
इकाई-4 संचालक: प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक – योग्यताएँ, नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व कंपनी की सभाएँ – प्रकार, कार्यवाहक संख्या (गणपूर्ति), मतदान, प्रस्ताव एवं सूक्ष्म।	इकाई 4 : संचालक और कंपनी की सभाएँ (पृष्ठ 102-134)
इकाई-5 बहुसंख्यक शक्तियाँ और अल्पसंख्यक के अधिकार, अन्याय एवं कुप्रबंध की रोकथाम, कंपनियों का समापन-प्रकार एवं विधियाँ।	इकाई 5 : बहुसंख्य शक्तियाँ और अल्पसंख्यक अधिकार (पृष्ठ 135-161)

विषय-सूची

परिचय	1
इकाई 1 कंपनी	3 – 27
1.0 परिचय	
1.1 उद्देश्य	
1.2 कंपनी: अर्थ और परिभाषा	
1.3 कंपनी की विशेषताएँ	
1.3.1 अलग कानूनी अस्तित्व	
1.3.2 शाश्वत उत्तराधिकार	
1.3.3 सीमित दायित्व	
1.3.4 कृत्रिम व्यक्ति	
1.3.5 सार्वमुद्रा	
1.3.6 प्रत्यायोजित प्रबंधन	
1.3.7 मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता	
1.3.8 अंशों की हस्तांतरणीयता	
1.3.9 मुनाफे के लिए स्वैच्छिक संघ	
1.4 कंपनी के प्रकार	
1.4.1 देयता के आधार पर	
1.4.2 सदस्यों की संख्या के आधार पर	
1.4.3 नियंत्रण के आधार पर	
1.4.4 विशेष कंपनियाँ	
1.5 प्रवर्तन	
1.5.1 प्रवर्तक	
1.5.2 प्रवर्तक के कर्तव्य	
1.5.3 प्रमोटर्स के उत्तरदायित्व	
1.6 समामेलन	
1.6.1 समामेलन निगमन की प्रक्रिया	
1.6.2 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया	
1.7 व्यवसाय का प्रारंभ	
1.7.1 व्यवसाय के जारी करने का प्रमाण पत्र दाखिल न करने का परिणाम	
1.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर	
1.9 सारांश	
1.10 मुख्य शब्दावली	
1.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास	
1.12 सहायक पाठ्य सामग्री	
इकाई 2 पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण का विस्तृत अध्ययन	28 – 64
2.0 परिचय	
2.1 उद्देश्य	
2.2 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/पार्षद सीमानियम	
2.2.1 परिभाषा	
2.2.2 पार्षद सीमानियम का महत्व	
2.2.3 मेमोरेण्डम के प्रपत्र	

- 2.2.4 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के खंड
- 2.2.5 मेमोरेण्डम का मुद्रण और हस्ताक्षर
- 2.2.6 पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन
- 2.3 पार्षद अंतर्नियम/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
 - 2.3.1 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का महत्व
 - 2.3.2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के घटक
 - 2.3.3 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परिवर्तन
 - 2.3.4 खंडक वाक्य
 - 2.3.5 ROC को सूचना
 - 2.3.6 आर्टिकल को बदलने की शक्ति पर सीमाएँ
 - 2.3.7 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर
 - 2.3.8 परोक्ष सूचना/आन्वयिक सूचना का सिद्धांत
 - 2.3.9 आंतरिक प्रबंध/इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत
- 2.4 प्रविवरण
 - 2.4.1 प्रोस्पेक्टस के प्रकार
 - 2.4.2 प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने और जारी करने की प्रक्रिया
 - 2.4.3 प्रॉस्पेक्टस में गलत विवरण
- 2.5 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 2.6 सारांश
- 2.7 मुख्य शब्दावली
- 2.8 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 2.9 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 3 शेयर और डिबेंचर

65 — 101

- 3.0 परिचय
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 अंश
- 3.3 शेयर पूँजी
- 3.4 शेयर पूँजी के प्रकार
 - 3.4.1 अधिमानी अंश पूँजी/प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
 - 3.4.2 साधारण अंश पूँजी/इक्विटी शेयर कैपिटल
- 3.5 प्रतिभूतियों का आबंटन
 - 3.5.1 आबंटन पर वैधानिक प्रतिबंध
 - 3.5.2 शेयर्स के आबंटन के सिद्धांत
 - 3.5.3 निजी तौर पर शेयर आबंटन
 - 3.5.4 डिफॉल्ट के परिणाम
- 3.6 शेयर के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया
 - 3.6.1 हस्तांतरण का साधन
 - 3.6.2 शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित मुख्य प्रावधान
 - 3.6.3 एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर के हस्तांतरण की प्रक्रिया
- 3.7 शेयरों का ट्रांसमिशन
 - 3.7.1 शेयरों के ट्रांसमिशन से संबंधित मुख्य प्रावधान
 - 3.7.2 शेयर के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया
- 3.8 शेयरधारक बनाम कंपनी के सदस्य
- 3.9 ऋणपत्र/डिबेंचर

- 3.10 डिबेंचर के प्रकार
 - 3.10.1 सुरक्षा के आधार पर
 - 3.10.2 कार्यकाल के आधार पर
 - 3.10.3 परिवर्तनीयता के आधार पर
 - 3.10.4 रजिस्ट्री के आधार पर
- 3.11 डिबेंचर जारी करने का प्रावधान
- 3.12 ऋण लेने का अधिकार
 - 3.12.1 बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिबंध
 - 3.12.2 अल्ट्रा वायर्स उधार
- 3.13 बंधक और प्रभार
 - 3.13.1 प्रभार की अवधारणा
 - 3.13.2 प्रभार बनाने के लिए जरूरत है
 - 3.13.3 प्रभार दर्ज करने के लिए कर्त्तव्य
 - 3.13.4 प्रभार का पंजीकरण
 - 3.13.5 प्रभार न लेने का प्रभाव
 - 3.13.6 प्रभार का संशोधन
 - 3.13.7 उल्लंघन के लिए सजा
- 3.14 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 3.15 सारांश
- 3.16 मुख्य शब्दावली
- 3.17 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 3.18 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 4 संचालक और कंपनी की सभाएँ

102 — 134

- 4.0 परिचय
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
 - 4.2.1 प्रबंध संचालक
 - 4.2.2 पूर्णकालिक संचालक
 - 4.2.3 प्रबंध संचालक बनाम पूर्णकालिक संचालक
 - 4.2.4 मैनेजर
 - 4.2.5 प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति
 - 4.2.6 केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ नियुक्ति
 - 4.2.7 अयोग्यताएँ
 - 4.2.8 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति
 - 4.2.9 प्रबंध संचालक की शक्तियाँ और कर्त्तव्य
 - 4.2.10 संचालक के कर्त्तव्य
 - 4.2.11 संचालक के दायित्व
- 4.3 कंपनी की सभाएँ
 - 4.3.1 सभा के प्रकार
- 4.4 कार्यसाधक संख्या
 - 4.4.1 सभा के लिए कोरम (धारा 103)
 - 4.4.2 बोर्ड की सभा के लिए कोरम (धारा 174)
- 4.5 मतदान
 - 4.5.1 वोटिंग के तरीके
 - 4.5.2 मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध (धारा 106)

- 4.6 प्रस्ताव
 - 4.6.1 साधारण संकल्प
 - 4.6.2 विशेष संकल्प
 - 4.6.3 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साधारण संकल्प की आवश्यकता के मामले
 - 4.6.4 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विशेष संकल्प की आवश्यकता वाले मामले
- 4.7 मिनट्स
 - 4.7.1 मिनट्स बुक
 - 4.7.2 बाइंडिंग ऑफ मिनट्स
 - 4.7.3 मिनट्स का हस्ताक्षर और परिसंचरण
 - 4.7.4 मिनट बुक का निरीक्षण
 - 4.7.5 मिनट बुक का संरक्षण
- 4.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 4.9 सारांश
- 4.10 मुख्य शब्दावली
- 4.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 4.12 सहायक पाठ्य सामग्री

इकाई 5 बहुसंख्य शक्तियाँ और अल्पसंख्यक अधिकार

135 — 161

- 5.0 परिचय
- 5.1 उद्देश्य
- 5.2 अल्पसंख्यक शेयरधारक, बहुसंख्य शेयरधारक
 - 5.2.1 अल्पसंख्यक शेयरधारक
 - 5.2.2 बहुसंख्य शेयरधारक
- 5.3 शेयरहोल्डर्स के अधिकार
- 5.4 बहुसंख्य शक्तियाँ
 - 5.4.1 नॉन-इंटरफेरेंस के सिद्धांत
 - 5.4.2 नियम
 - 5.4.3 फॉस बनाम हारबोटल में नियम का प्रतिबंधात्मक चरित्र
- 5.5 अल्पसंख्यक अधिकारों पर न्यायिक विचार
 - 5.5.1 अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार
 - 5.5.2 अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन
 - 5.5.3 अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम
- 5.6 उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम
 - 5.6.1 उत्पीड़न की रोकथाम
 - 5.6.2 कौन आवेदन कर सकता है?
 - 5.6.3 अपेक्षित संख्या की सहमति
 - 5.6.4 राहत देने के लिए शर्तें
- 5.7 कुप्रबंधन की रोकथाम
 - 5.7.1 कुप्रबंधन के रूप में आयोजित कृत्य
 - 5.7.2 निम्नांकित कृत्यों को मिसमैनेजमेंट के लिए नहीं किया गया है
 - 5.7.3 कुप्रबंधन की रोकथाम
 - 5.7.4 कौन आवेदन कर सकता है (धारा 398(1))
 - 5.7.5 सदस्यों के अलावा, निम्नलिखित भी धारा 398 के तहत राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं
 - 5.7.6 जो आवेदन नहीं कर सकता है
 - 5.7.7 केंद्र सरकार को नोटिस
 - 5.7.8 कुप्रबंधन के खिलाफ राहत
 - 5.7.9 कंपनी लॉ बोर्ड की शक्तियाँ (अब ट्रिब्यूनल)

- 5.8 कं॒पनी का समापन
- 5.9 कं॒पनी के समापन के मोड़
 - 5.9.1 याचिका को समाप्त करना
- 5.10 स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया
- 5.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 5.12 सारांश
- 5.13 मुख्य शब्दावली
- 5.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 5.15 सहायक पाठ्य सामग्री

संदर्भ सूची

परिचय

पिछले दो दशकों के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में संचार और परिवहन के बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ वाणिज्य, बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पद्धति में भी बदलाव हुए हैं। इन सभी आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कंपनी कानून से संबंधित मौजूदा नियमों और विनियमों में संशोधन करके अवसर बनाए हैं। एक कंपनी केवल कंपनी कानून अधिनियम के तहत या भारत में कंपनी कानून के तहत पंजीकरण द्वारा अस्तित्व में आती है। भारत में, कॉर्पोरेट मामलों को भारत में विभिन्न कंपनी कानून अधिनियमों या व्यावसायिक कानूनों के माध्यम से विनियमित किया जाता है जो भारत में कंपनी कानूनों और भारत सरकार द्वारा लागू नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा प्रशासित होते हैं।

पुस्तक के प्रारम्भ में कंपनी की अवधारणा, विशेषताएँ एवं कंपनी के प्रकार को विस्तृत रूप में दिखाया गया है। इसी कड़ी में द्वितीय चरण में कंपनी को वैधानिक रूप से प्रारम्भ करने की प्रक्रिया समझाई गयी है एवं प्रायोगिक तरीके से समझने हेतु दस्तावेजों की श्रृंखला भी किताब में सम्मिलित की गयी है। तृतीय चरण में कंपनी को चलाने हेतु पूँजी के प्रकार एवं शेयर एवं ऋणपत्रों की चर्चा की गयी है। चौथे चरण में कंपनी के प्रबंधन एवं सभाओं का महत्व और उसके नियमों को रोचक तरीके से बताया गया है। अंत में कुप्रबंधन एवं कंपनी के समापन के नियमों को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कंपनी लॉ की यह पुस्तक सरल तरीके से प्रस्तुत की गयी है। विद्यार्थियों को कंपनी लॉ को संपूर्ण रूप से समझने हेतु केस स्टडी का भी उपयोग उदहारण के रूप में किया गया है जो विषयवस्तु को रोचक बनाता है। पुस्तक को पाँच इकाई में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक इकाई विषय के परिचय से शुरू होती है तदोपरांत उद्देश्य की रूपरेखा दी गयी है। उद्देश्य के बाद विषय वस्तु को बुलेट पॉइंट द्वारा सरल तरीके से समझाया गया है। इकाई के अंत में अपनी प्रगति जाँचिए का समावेश विषय में उत्साह बनाये रखता है। सारांश द्वारा इकाई का एक सहज रूप प्रस्तुत किया गया है। चूँकि यह पुस्तक एक स्व-अध्ययन कोर्स के लिए बनाई गई है, अतः स्व-मूल्यांकन एवं लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी छात्रों को विषय से जोड़े रखते हैं। छात्रों को विषय से गुणवत्ता के साथ जोड़ने हेतु सहायक पाठ्य सामग्री एवं मुख्य शब्दावली को भी हर इकाई में शामिल किया गया है। छात्रों को विषय से गुणवत्ता के साथ जोड़ने हेतु सहायक पाठन सामग्री एवं मुख्य शब्दावली को भी हर इकाई में शामिल किया गया है।

डॉ. निशा बानो सिद्दीकी,

असि. प्रोफेसर,

प्रबंध अध्ययन संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय

टिप्पणी

इकाई 1 कंपनी (Company)

संरचना (Structure)

- 1.0 परिचय
- 1.1 उद्देश्य
- 1.2 कंपनी: अर्थ और परिभाषा
- 1.3 कंपनी की विशेषताएँ
 - 1.3.1 अलग कानूनी अस्तित्व
 - 1.3.2 शाश्वत उत्तराधिकार
 - 1.3.3 सीमित दायित्व
 - 1.3.4 कृत्रिम व्यक्ति
 - 1.3.5 सार्व मुद्रा
 - 1.3.6 प्रत्यायोजित प्रबंधन
 - 1.3.7 मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता
 - 1.3.8 अंशों की हस्तांतरणीयता
 - 1.3.9 मुनाफे के लिए स्वैच्छिक संघ
- 1.4 कंपनी के प्रकार
 - 1.4.1 देयता के आधार पर
 - 1.4.2 सदस्यों की संख्या के आधार पर
 - 1.4.3 नियंत्रण के आधार पर
 - 1.4.4 विशेष कंपनियाँ
- 1.5 प्रवर्तन
 - 1.5.1 प्रवर्तक
 - 1.5.2 प्रवर्तक के कर्तव्य
 - 1.5.3 प्रमोटर्स के उत्तरदायित्व
- 1.6 समामेलन
 - 1.6.1 समामेलन निगमन की प्रक्रिया
 - 1.6.2 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया
- 1.7 व्यवसाय का प्रारंभ
 - 1.7.1 व्यवसाय के जारी करने का प्रमाण पत्र दाखिल न करने का परिणाम
- 1.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 1.9 सारांश
- 1.10 मुख्य शब्दावली
- 1.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 1.12 सहायक पाठ्य सामग्री

1.0 परिचय (Introduction)

कंपनी विधेयक 2012 को लोकसभा द्वारा 18, दिसंबर, 2012 और राज्यसभा द्वारा 8, अगस्त, 2013 को पारित किया गया। 29, अगस्त, 2013 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने पर इसे 30, अगस्त, 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के रूप में अधिसूचित किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कंपनियों के निगमन, विघटन और उन्हें चलाने वाला कानून है। इस अधिनियम ने भारत के

टिप्पणी

राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, कंपनी अधिनियम, 1956 (आंशिक रूप में) का स्थान ले लिया है।

टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 2013 के उद्देश्य हैं:

- उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था का विकास करना।
- कंपनियों के गठन और रख-रखाव में लचीलापन और सरलता पैदा करना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन के पारदर्शिता और उच्च मानकों को प्रोत्साहित करना।
- सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए व्यापार करने में आसानी के लिए नई अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को पहचानना।
- धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई लागू करना।
- विभिन्न प्राधिकरणों, निकायों और पैनलों के रूप में संस्थागत संरचना स्थापित करना।
- अधिक प्रभावी और समयबद्ध स्वीकृतियों और अनुपालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

कंपनी अधिनियम 2013 में 470 खंड (29 अध्यायों में शामिल) और 7 अनुसूचियाँ शामिल हैं।

1.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:


- कंपनी के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को समझेंगे।
- कंपनी के विभिन्न प्रकारों को जानेंगे।
- प्रमोटर के कार्यों और दायित्व से परिचित होंगे।
- समामेलन की प्रक्रिया को समझेंगे।
- व्यवसाय शुरू करने के बारे में ज्ञान होगा।

1.2 कंपनी: अर्थ और परिभाषा (Company: Meaning and Definition)

कंपनी एक व्यवसायिक संस्था है जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह एक कानूनी इकाई है जो इसके सदस्य या इसे संचालित करने वाले लोगों से अलग है। इसलिए, इसे कानून द्वारा बनाए गए एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। एक कंपनी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है, जिसका एक विशिष्ट नाम और सार्वमुद्रा है, जो पूँजी के हस्तांतरणीय अंश, सीमित दायित्व, एक निगमित संस्था और स्थायी उत्तराधिकार में विभाज्य के साथ लाभ के लिए व्यापार करने के लिए बनाई गई है। कंपनी शब्द

की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। यह लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है – कम + पेनिस कम (com) का अर्थ है – साथ-साथ तथा पेनिस का अर्थ है – रोटी या यों कह सकते हैं – रोजी-रोटी। इस प्रकार company शब्द का अर्थ हुआ – साथ-साथ रोटी खाना। यूरोप के प्राचीन केंद्रों में ऐसे संघ होते थे जहाँ पर व्यापारी साथ-साथ कारोबार की बातें कर लेते थे कालांतर में इसका अर्थ बदला और यह माना जाने लगा कि कंपनी ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्रित हुए हों। सामान्य कानून में, कंपनी एक न्यायिक व्यक्तित्व या कानूनी व्यक्ति है जो अपने सदस्यों से अलग होती है। इस प्रकार, यह केवल कानून के अवलोकन में मौजूद है। कंपनी एक कृत्रिम या कानूनी व्यक्ति है जिसे विभिन्न उद्देश्यों, जैसे कि दान, कला, अनुसंधान, धर्म, वाणिज्य या व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कानून द्वारा बनाया और प्रकल्पित किया जाता है। कंपनी के पास एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह समान अधिकार और दायित्व हैं, लेकिन न तो उसका कोई विचार है और नही कोई शरीर है।

इस प्रकार, कंपनी एक निगमित संघ है जो एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा बनाया गया है, एक अलग इकाई है, जिसका एक स्थायी उत्तराधिकार, एक सार्वमुद्रा, हस्तांतरणीय अंश में विभाजित पूँजी और सीमित दायित्व है।



चित्र क्र. 1.1: कंपनी

कंपनी की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

1. USA के मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार, "कंपनी एक व्यक्ति, कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और केवल कानून के अवलोकन में विद्यमान है। कानून का प्राणी मात्र होने के नाते, इसमें केवल उन्हीं गुणों का समावेश होता है, जिनके निर्माण का चरित्र इस पर स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के रूप में आकस्मिक है"।
2. प्रोफ़ेसर हैनी के अनुसार, "कंपनी एक निगमित संघ है, जो कानून द्वारा बनाई गई है, जिसमें एक स्थायी उत्तराधिकार और एक सार्वमुद्रा के साथ एक अलग कानूनी अस्तित्व है।"

3. किमबॉल और किमबॉल के अनुसार, "निगम स्वभाव से एक कृत्रिम व्यक्ति है या कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानूनी कद द्वारा अधिकृत है।"
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) के अनुसार, "कंपनी का अर्थ इस अधिनियम या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत निगमित कंपनी है"।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. कंपनी शब्द किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है?

(क) धारा 2(4)	(ख) धारा 4(2)
(ग) धारा 2(20)	(घ) धारा 3(1)

1.3 कंपनी की विशेषताएँ (Characteristics of a Company)

एक कंपनी की मुख्य विशेषताएँ हैं:

1.3.1 अलग कानूनी अस्तित्व (Separate Legal Entity)

किसी कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग और विशिष्ट होता है। कंपनी एक विधिक व्यक्ति होने से उसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने एवं उसका व्ययन करने का अधिकार रखती है। इसका एक अलग व्यक्तित्व है जो इसे रचने वालों से अलग है। सदस्य कंपनी के साथ अनुबंध भी कर सकते हैं और इसके खिलाफ एक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं या इसके लिए एक दायित्व उठा सकते हैं। कंपनी जो जो पूँजी मिलती है और उससे जो संपत्ति निर्मित की जाती है, उस पर कंपनी का स्वामित्व होता है।

1.3.2 शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession)

कंपनी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तब तक अपने व्यवसाय को जारी रखती है, जब तक कि यह अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट आधारों पर खत्म न हो जाए। इसके अलावा, कंपनी के अंश अनंत रूप से बदलते हैं, लेकिन यह कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है।

सरल शब्दों में, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है। इसलिए, यह अकेले कानून द्वारा समाप्त किया जा सकता है और अपने सदस्यों की मृत्यु या अज्ञानता से अप्रभावित है।

1.3.3 सीमित दायित्व (Limited Liability)

किसी कंपनी की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसके सदस्यों की सीमित देयता है। सदस्य का दायित्व कंपनी के प्रकार पर निर्भर करता है।

- एक सीमित देयता कंपनी के मामले में, समग्रता में कंपनी के ऋण उसके अंशधारकों के ऋण नहीं बनते हैं। ऐसे मामले में, इसके सदस्यों की देनदारी उनके द्वारा रखे गए अंश के नाममात्र मूल्य तक सीमित होती है। अंशधारकों को उनके अंश के अवैतनिक मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
- गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के मामले में, सदस्य केवल उनके द्वारा गारंटीकृत राशि की सीमा तक उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा, यह दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब कंपनी परिसमापन में जाती है।
- असीमित कंपनी के मामले में, इसके सदस्यों के दायित्व असीमित हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ हैं।

1.3.4 कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Person)

कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और इसकी कानूनी इकाई अपने सदस्यों से अलग है। अलग कानूनी इकाई होने के नाते, यह अपना खुद का नाम रखती है और एक कॉर्पोरेट नाम के तहत कार्य करती है; इसकी अपनी एक मुद्रा है; इसकी संपत्ति इसके सदस्यों से अलग और विशिष्ट है।

इसके सदस्य इसके मालिक हैं, लेकिन वे एक साथ इसके लेनदार हो सकते हैं, क्योंकि इसकी अलग कानूनी इकाई है। एक अंशधारक को कंपनी के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही वह संपूर्ण शेयर केपीटल रखता हो। अंशधारक कंपनी के एजेंट नहीं हैं और इसलिए वे इसे अपने कृत्यों से नहीं बांध सकते।

1.3.5 सार्वमुद्रा (Common Seal)

जैसा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और मानव की एजेंसी के माध्यम से काम करती है, इसका एक आधिकारिक हस्ताक्षर है। यह कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इसके सभी दस्तावेजों पर जोड़ दिया गया है। यह आधिकारिक हस्ताक्षर कॉमन सील है।

हालाँकि, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने कॉमन सील को वैकल्पिक बना दिया है। अधिनियम की धारा 9 में वाक्यांश 'और एक सार्वमुद्रा' नहीं है। यह उन कंपनियों के लिए प्राधिकरण का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है जो एक सामान्य मुहर की इच्छा नहीं रखते हैं।

इस संशोधन के अनुसार, यदि किसी कंपनी के पास सार्वमुद्रा नहीं है, तो प्राधिकरण:

- दो डायरेक्टर या
- एक डायरेक्टर और कंपनी सचिव (यदि कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त किया है) द्वारा किया जाएगा।

1.3.6 प्रत्यायोजित प्रबंधन (Separate Management)

कंपनी एक स्वायत्त, स्वशासी और स्व-नियंत्रण संगठन है। चूंकि इसमें बड़ी संख्या में सदस्य हैं, इसलिए सभी कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन शेयरधारकों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है, जिन्हें डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है। वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज की देखभाल करते हैं। चूंकि शेयरधारकों ने बहुमत के आधार पर कंपनी की सामान्य नीति तय की, कंपनी का प्रबंधन लोकतांत्रिक पद्धतियों पर किया जाता है। अधिकांश निर्णय और केंद्रीकृत प्रबंधन अनिवार्य रूप से कार्यवाही की एकता लाते हैं।

1.3.7 मुकदमा करने और मुकदमा चलाने की क्षमता (Can Sue and Be Sued)

एक कंपनी जो कानूनी व्यक्ति है, अपने कॉर्पोरेट नाम से अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा कर सकती है। इसी तरह, अन्य भी अपने नाम से कंपनी पर मुकदमा कर सकते हैं। इस पर किसी भी कानून का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसे एक आपराधिक आरोप के लिए कैद नहीं किया जा सकता है।

1.3.8 अंशों की हस्तांतरणीयता (Transferability of Shares)

एक शेयरधारक अन्य सदस्यों की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को अपने शेयर हस्तांतरित कर सकता है। संस्था के अंतर्नियम के तहत, एक कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकती है। निजी कंपनी अंशों के हस्तांतरण पर अधिक प्रतिबंध लगा सकती है।

1.3.9 मुनाफे के लिए स्वैच्छिक संघ (Voluntary Association for Profit)

कंपनी मुनाफा कमाने के लिए व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह कुछ सार्वजनिक भलाई की उपलब्धि के लिए बनाई गई है और इसका लाभ शेयरधारकों के बीच बांटा जाता है। सार्वजनिक नीति के विरुद्ध गतिविधि करने और लाभ का कोई उद्देश्य नहीं रखने के कारण एक कंपनी का गठन नहीं किया जा सकता है।

न्याय दृष्टांत

सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड (1895-99)

तथ्य

सोलोमन ने अपना बिजनेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी को बेच दिया, जिसे उसने बनाया। सोलोमन के द्वारा लिये 20,000 शेयर की कंपनी द्वारा सोलोमन को अदा की गई कीमत 30,000 थी, लेकिन उसे नकद भुगतान करने के बजाय, कंपनी ने उसे ₹ 10,000 के डिबेंचर और ₹ 1 के पूरी तरह से भुगतान किए गए 20,000 शेयर दिए। कंपनी खत्म हो गई और कंपनी की संपत्ति केवल

6,000 थी। सोलोमन और सुरक्षित डिबेंचर के कारण 10,000 और असुरक्षित लेनदारों के कारण और 7,000 की ऋण राशि हुई। असुरक्षित लेनदारों ने दावा किया कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के रूप में, वास्तव में सोलोमन ही था, वह खुद को पैसा नहीं दे सकता था और उससे पहले उनके 7,000 का भुगतान किया जाना चाहिए था।

निर्णय

1. कंपनी एक "कानूनी व्यक्ति" या "कानूनी इकाई" है, जो इसके सदस्यों के जीवन से परे जीवित रहने से अलग और सक्षम है।
2. कंपनी कानून में सब्सक्राइबर का एजेंट नहीं है या उनके लिए ट्रस्टी।
3. सोलोमन 6,000 के हकदार थे, क्योंकि कंपनी सोलोमन से बिल्कुल अलग व्यक्ति थी।
4. असुरक्षित लेनदारों को कुछ नहीं मिला।

स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम C.T.O. में, यह आयोजित किया गया था कि न तो संविधान के प्रावधान और न ही नागरिकता अधिनियम उस पर लागू होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि एक कंपनी के पास मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह कानून की नजर में व्यक्ति है।

यह अपने निदेशकों, सदस्य और बाहरी लोग के साथ अनुबंध में प्रवेश कर सकता है।

ली बनाम ली की एयरफॉर्मिंग लिमिटेड (1961) में, ली के एयरफॉर्मिंग लिमिटेड में 3000 शेयरों में से 2999 शेयरो ली के पास हैं। उन्होंने खुद को प्रबंध निदेशक के रूप में वोट दिया और एक वेतन पर कंपनी के मुख्य पायलट भी बन गए। कंपनी के लिए काम करते समय एक एयरक्रैश में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी को पति के रोजगार के बदले में मुआवजा दिया गया था। कोर्ट ने माना कि ली अपनी बनाई कंपनी से अलग व्यक्ति थे, और विधवा के कारण मुआवजा दिया गया था। इस प्रकार, कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का नियम सक्षम हुआ।

कोंडोई टी कंपनी लिमिटेड में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था कि एक कंपनी एक अलग व्यक्ति है, अपने शेयरधारकों से पूरी तरह से एक अलग शरीर है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

2. कंपनी की संपत्ति से संबंधित है।


(क) कंपनी	(ख) शेयर होल्डर
(ग) सदस्य	(घ) प्रमोटर
3. पृथक् इकाई सिद्धांत का नतीजा क्या है?
 - (क) उपरोक्त सभी।
 - (ख) एक कंपनी का लगातार उत्तराधिकार है।
 - (ग) कंपनी की संपत्ति उसके सदस्यों की संपत्ति नहीं है।
 - (घ) एक कंपनी मुकदमा कर सकती है और उसके नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
4. कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि,
 - (क) इसमें एक सामान्य आदमी की आकृति नहीं है।
 - (ख) इस पर अदालत में मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
 - (ग) यह अदृश्य और अमूर्त है।
 - (घ) यह कानून के चिंतन में ही मौजूद है।
5. कंपनी की 'सार्वमुद्रा' पर होना चाहिए
 - (क) कंपनी का नाम
 - (ख) शब्द 'कॉर्पोरेट सील'।
 - (ग) कंपनी का स्थान।
 - (घ) उपरोक्त सभी।

1.4 कंपनी के प्रकार (Types of Company)

1.4.1 देयता के आधार पर (On the Basis of Liability)

1. **शेयरों द्वारा सीमित कंपनियाँ:** इस प्रकार की कंपनियों की शेयर कैपिटल होती है और कंपनी के प्रत्येक सदस्य की देयता मेमोरेण्डम में उसके द्वारा लिये गए शेयर के अंकित मूल्य की सीमा तक सीमित होती है। शेयर पर बकाया राशि कंपनी के जीवनकाल के दौरान या समापन के समय किसी भी समय कॉल की जा सकती है।
2. **गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी:** गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के सदस्य दायित्व ज्ञापन द्वारा सीमित किए जाते हैं। यह देयता ऐसी राशि तक सीमित रहेगी, जो सदस्य उस कंपनी की परिसंपत्तियों में योगदान करने के लिए करते हैं, जो इसके समापन की प्रक्रिया में है। सदस्यों की देयता उनके द्वारा सहमति ज्ञापन में निर्दिष्ट निश्चित राशि तक सीमित है।


3. **असीमित कंपनी:** एक कंपनी जिसके शेयरहोल्डर्स के दायित्व पर कोई सीमा नहीं है, वह एक असीमित कंपनी है। इस प्रकार देयता शेयरधारक की व्यक्तिगत संपत्ति तक विस्तारित हो सकती है, यदि कंपनी अपने दावों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सदस्यों की यह देनदारी एक साझेदारी की तरह है जहाँ उन्हें कंपनी में निवेश की गई राशि के अनुपात के अनुसार योगदान करना होता है।



चित्र क्र. 1.2: कंपनी के प्रकार

1.4.2 सदस्यों की संख्या के आधार पर (On the Basis of No. of Members)

सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत कंपनियों के तीन रूप हैं:



चित्र क्र. 1.3: सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार

1. **एक व्यक्ति कंपनी:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के उपधारा 62 में एक व्यक्ति कंपनी को एक कंपनी के रूप में परिभाषित किया है जिसे एक व्यक्ति के साथ एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना है। एक व्यक्ति-कंपनी एक भारतीय निजी लिमिटेड कंपनी है जिसमें केवल एक संस्थापक/प्रमोटर है। संस्थापक एक प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए जो एक देश निवासी है। एक व्यक्ति के लिए भुगतान की गई पूंजी (₹ 50 लाख) और औसत कारोबार (3 तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में ₹ 2 करोड़) की सीमा भी है।

एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएँ:

- कंपनी अधिनियम की धारा 3(1)(ब) कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वैध उद्देश्य के लिए कंपनी बना सकता है। यह आगे OPC को निजी कंपनियों के रूप में वर्णित करता है।
- OPC में अन्य निजी कंपनियों के विपरीत केवल एक सदस्य या शेयरधारक हो सकते हैं।
- OPCs की एक अनूठी विशेषता जो इसे अन्य प्रकार की कंपनियों से अलग करती है, वह यह है कि कंपनी के एकमात्र सदस्य को कंपनी का पंजीकरण करते समय एक नामित व्यक्ति का उल्लेख करना होगा।
- चूंकि OPC में केवल एक ही सदस्य होता है, इसलिए उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप उसका एकमात्र सदस्य बनने के लिए नामांकित व्यक्ति को चुनना या अस्वीकार करना होगा। अन्य कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वे स्थायी उत्तराधिकार की अवधारणा का पालन करते हैं।
- OPCs के निदेशक के रूप में न्यूनतम एक व्यक्ति (सदस्य) होना आवश्यक है। उनके पास अधिकतम 15 निदेशक हो सकते हैं।

- कंपनी अधिनियम, 2013 ने OPC के लिए न्यूनतम भुगतान पूंजी के रूप में कोई राशि निर्धारित नहीं की है।
- OPCs कंपनी अधिनियम के तहत कई विशेषाधिकार और छूट का आनंद लेते हैं जो अन्य प्रकार की कंपनियों के पास नहीं हैं।

टिप्पणी

2. **पब्लिक लिमिटेड कंपनी:** 'सार्वजनिक कंपनी' शब्द को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(71) के तहत परिभाषित किया गया है। एक 'सार्वजनिक कंपनी' का अर्थ है ऐसी कंपनी, जिसकी न्यूनतम शेयर कैपिटल ₹ 5 लाख है और जो एक निजी कंपनी नहीं है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

- यह शेयरों की हस्तांतरणीयता को सीमित नहीं करता है।
- सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कम-से-कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
- सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- इसमें कम-से-कम 3 संचालक हैं।
- इसका नाम "सीमित" शब्द के साथ समाप्त होता है।
- यह पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है और अपने शेयरों और डिबेंचर की सदस्यता के लिए सार्वजनिक आमंत्रित कर सकता है।

3. **प्राइवेट कंपनी:** "निजी कंपनी" शब्द को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(68) के तहत परिभाषित किया गया है। एक निजी कंपनी का मतलब एक कंपनी है, जिसकी न्यूनतम पैड-अप शेयर कैपिटल ₹ 1 लाख है और जो एसोसिएशन और ज्ञापन के अपने लेख के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिबंध प्रदान करता है:

- अपने सदस्यों द्वारा शेयरों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है।
- सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित करता है।
- पब्लिक डिपॉजिट के किसी भी निमंत्रण या स्वीकृति को प्रतिबंधित करता है।
- कंपनी के डिबेंचर के लिए जनता को निमंत्रण प्रतिबंधित करता है।

1.4.3 नियंत्रण के आधार पर (On the Basis of Control)

नियंत्रण के आधार पर कंपनियों की तीन श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं:

1. **नियन्त्रक कंपनी:** कंपनी अधिनियम की धारा 2(46) में कहा गया है कि जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के बोर्ड की संरचना पर नियंत्रण होता है और उस कंपनी के अधिकांश शेयर होते हैं, तो उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है।
2. **सहायक कंपनियाँ:** एक कंपनी जिसका नियंत्रण और संरचना दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाती है, जिसे उसकी होल्डिंग कंपनी कहा जाता है, उसको सहायक कंपनी कहा जाता है। इसके संचालक मंडल की

संरचना को इसकी होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके आधे से अधिक शेयर उस कंपनी के कब्जे में होते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 2(87) एक सहायक कंपनी को परिभाषित करती है।

3. **एसोसिएट कंपनी:** वह कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन कंपनी ऐसे प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती (कुल शेयर पूँजी का कम-से-कम 20% नियंत्रण) धारा 2(6) के अनुसार एक एसोसिएट कंपनी कहलाती है। इस प्रकार की कंपनियों में संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है।

1.4.4 विशेष कंपनियाँ (Special Companies)

1. **सरकारी कंपनी:** जिस कंपनी की कम-से-कम 51% की शेयर पूँजी का भुगतान केंद्र सरकार/राज्य सरकार या आंशिक रूप से केंद्रीय और आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, इसमें एक कंपनी भी शामिल है जिसकी होल्डिंग कंपनी एक सरकारी कंपनी है।
2. **विदेशी कंपनी:** देश के बाहर पंजीकृत कोई भी कंपनी जिसका भारत में व्यवसायिक स्थान है या परंपरागत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी भी तरीके से देश में कारोबार का संचालन करती है।
3. **धारा 8 कंपनी:** एक धर्मार्थ लक्ष्य के लिए बनाई गई कंपनी, यानी वाणिज्य, विज्ञान, खेल, कला, अनुसंधान, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, धर्म आदि को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 8 कंपनी की श्रेणी में आता है। इन कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष लाइसेंस दिया जाता है। इसके अलावा, वे वस्तु के प्रचार के लिए लाभ के रूप में अर्जित धन का उपयोग करते हैं और इस प्रकार, सदस्यों को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
4. **सार्वजनिक वित्तीय संस्थान:** वे कंपनियाँ, जो वित्तीय और निवेश व्यवसाय से जुड़ी हैं और जिनकी 51% या अधिक भुगतान की गई शेयर पूँजी केंद्र सरकार के पास है और किसी भी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है, उन्हें सार्वजनिक वित्तीय संस्थान कहा जाता है। इसमें LIC, ICICI, IDFC, IDBI, UTI आदि शामिल हैं।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच अंतर

पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों की प्रयोज्यता में अंतर के प्रमुख बिंदु:

संक्षिप्त विवरण	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	पब्लिक लिमिटेड कंपनी
अर्थ	न्यूनतम पूँजी: ₹ 1,00,000 और शेयर हस्तांतरित करने का अधिकार: प्रतिबंधित	न्यूनतम पूँजी: ₹ 5,00,000। सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी को सार्वजनिक कंपनी माना जाता है।

टिप्पणी

छोटी कंपनी	यदि पेड-अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और अंतिम लेखा परीक्षित खातों के अनुसार टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।	लागू नहीं
न्यूनतम सदस्य आवश्यक	2 (दो), अधिकतम 200 (दो सौ)	7
कंपनी का नाम	अंतिम शब्द के रूप में "प्राइवेट लिमिटेड"	अंतिम शब्द के रूप में "पब्लिक लिमिटेड"
लेखों में उलझाव का प्रावधान	सभी सदस्यों द्वारा सहमत और अनुमोदित होना	एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सहमत होना और अनुमोदित होना
प्रतिभूति जारी करना	राइट इश्यू या बोनस इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से	प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से जनता के लिए ("सार्वजनिक प्रस्ताव")
सार्वजनिक प्रस्ताव डिमैटरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए	लागू नहीं है	प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश के मामले में, प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए
स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव में प्रतिभूति	लागू नहीं है	पब्लिक ऑफर में सिक्योरिटीज की पेशकश, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होना
स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए खरीद / ऋण	अपने शेयरों की खरीद की अनुमति नहीं है	अपने शेयरों को खरीदने की अनुमति नहीं है, अपने शेयरों को खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए
जमा की स्वीकृति	जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है	अनुमति है अगर पेड अप शेयर पूंजी ₹ 100 करोड़ या अधिक या कारोबार ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है
बैठकों का कोरम	दो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित	1000 तक सदस्यों के मामले में पांच, 1000 से 5000 तक सदस्यों के मामले में पंद्रह, 5000 से अधिक सदस्यों के मामले में तीस।
आंतरिक लेखापरीक्षा	मामले में लागू: 1. पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 200 करोड़ से अधिक या उसके बराबर का टर्नओवर।	के मामले में लागू: 1. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹ 50 करोड़ से अधिक या बराबर पूंजी का भुगतान किया या

टिप्पणी

	2. पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक या एनबीएफसी से ₹ 100 करोड़ से अधिक या उसके बराबर ऋण।	2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹ 200 करोड़ से अधिक या उसके बराबर का टर्नओवर या 3. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में बैंक या एनबीएफसी से ₹ 100 करोड़, से अधिक या उसके बराबर का ऋण या 4. पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ 25 करोड़ से अधिक या उसके बराबर सार्वजनिक जमा।
बोर्ड की रिपोर्ट में वार्षिक मूल्यांकन	लागू नहीं है	अगर पेड अप शेयर पूंजी ₹ 25 करोड़ या उससे अधिक तब बोर्ड की रिपोर्ट में वार्षिक मूल्यांकन का विवरण
ऑडिटर का रोटेशन	₹ 20 करोड़ या उससे अधिक पेड अप कैपिटल के मामले में लागू	₹ 10 करोड़ या उससे अधिक पेड अप कैपिटल के मामले में लागू
निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	2 (दो); स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं	3 (तीन); और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कम-से-कम एक-तिहाई
रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति – निदेशक की नियुक्ति	लागू नहीं है	कुल संचालकों में से कम-से-कम दो-तिहाई निदेशक रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और AGM में फिर से नियुक्त होने के लिए पात्र हैं।
प्रबंध निदेशक/संपूर्ण समय निदेशक के साथ रोजगार का अनुबंध	आवश्यक नहीं (वैकल्पिक)	अनिवार्य रूप से आवश्यक

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

6. किस कंपनी के शेयर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हो सकते हैं?
 (क) निजी कंपनी (ख) पब्लिक कंपनी
 (ग) दोनों (क) और (ख) (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
7. सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या:
 (क) 1 (ख) 2
 (ग) 5 (घ) 7
8. निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या है—
 (क) 1 (ख) 2
 (ग) 3 (घ) 5
9. निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या है—
 (क) 50 (ख) 100
 (ग) 150 (घ) 200
10. सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या है—
 (क) 1 (ख) असीमित
 (ग) 50 (घ) 100
11. निजी कंपनी के मामले में न्यूनतम भुगतान शेयर पूँजी है _____
 (क) 1 लाख (ख) 2 लाख
 (ग) 3 लाख (घ) 4 लाख
12. सार्वजनिक कंपनी के मामले में न्यूनतम चुकता शेयर पूँजी _____ है।
 (क) 1 लाख (ख) 3 लाख
 (ग) 5 लाख (घ) 7 लाख
13. यदि कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है, तो सदस्यों का दायित्व:
 (क) शेयरों का अवैतनिक मूल्य (ख) गारंटी राशि
 (ग) असीमित देयता (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

टिप्पणी

कंपनी का गठन (धारा 3)

- (1) किसी भी वैध उद्देश्य के लिए एक कंपनी बनाई जा सकती है:
 (क) सात या अधिक व्यक्ति, जहाँ कंपनी का गठन किया जाना है, एक सार्वजनिक कंपनी होती है;

टिप्पणी

(ख) दो या अधिक व्यक्ति, जहाँ कंपनी का गठन किया जाना है, एक निजी कंपनी होती है; या

(ग) एक व्यक्ति, जहाँ कंपनी का गठन किया जाना है, वह है एक व्यक्ति कंपनी, जो निजी संस्था है।

एक ज्ञापन के लिए उनके नाम की सदस्यता और पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन:


एक व्यक्ति कंपनी का ज्ञापन दूसरे व्यक्ति के नाम का संकेत देगा, निर्धारित प्रपत्र में उसकी पूर्व लिखित सहमति के साथ, जो ग्राहक की मृत्यु या अनुबंध के लिए उसकी अक्षमता की स्थिति में कंपनी का सदस्य बन जाएगा और ऐसे व्यक्ति की लिखित सहमति इसके ज्ञापन और लेख के साथ एक व्यक्ति कंपनी के निगमन के समय रजिस्ट्रार के पास भी दायर की जाएगी।

इस अधिनियम के तहत गठित एक कंपनी निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है:

(क) शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी; या


(ख) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी; या

(ग) एक असीमित कंपनी।



चित्र क्र. 1.4: कंपनी का गठन

Source: <https://edge.uacdn.net/A0L1YZ0GR9JEJ6UV0BK2/images/2.jpeg?w=768&fm=webp&q=25>



चित्र क्र. 1.5: वन पर्सन कंपनी बनाने की प्रक्रिया

Source: <https://assets1.cleartax-cdn.com/s/img/20171207163719/one-person-company1.jpg>

टिप्पणी

1.5 प्रवर्तन (Promotion)

कंपनी बनाने के लिए पहला कदम प्रवर्तन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया है जहाँ एक व्यक्ति दूसरों को एक प्रस्तावित कंपनी में पूँजी का योगदान करने से पहले इसे शामिल करने के लिए राजी करता है। ऐसे व्यक्ति को कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी के निगमन का प्रमाण पत्र मिलने से पहले या बाद में प्रमोटर किसी कंपनी की ओर से अनुबंध कर सकते हैं।

1.5.1 प्रवर्तक (Promoter)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) के तहत 'प्रवर्तक' शब्द को परिभाषित किया गया है।

"प्रमोटर" का अर्थ है एक व्यक्ति –

- (क) जिसे एक प्रॉस्पेक्टस में नामित किया गया है या धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न में बाय कंपनी द्वारा पहचाना जाता है; या
- (ख) जो कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक शेयरधारक, निदेशक या अन्यथा; या
- (ग) जिनकी सलाह, निर्देश या अनुदेश के अनुसार कंपनी के निदेशक बोर्ड के कार्य के आदी हैं।

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर, जिन व्यक्तियों की सलाह, निर्देश या निर्देश कंपनी के निदेशक मंडल के कार्य के आदि होते हैं, उन्हें भी प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति केवल एक पेशेवर क्षमता में कार्य कर रहा है यानी निदेशक मंडल को केवल पेशेवर सलाह दे रहा है, तो उसे प्रमोटर नहीं माना जाएगा।

1.5.2 प्रवर्तक के कर्तव्य (Duties of Promoter)

एक प्रमोटर के सहायक कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

गुप्त लाभ का खुलासा करना: एक प्रमोटर को लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि गुप्त लाभ कमाने के लिए मना किया जाता है। वह कंपनी की सहमति से

पदोन्नति से लाभ कमा सकता है, उसी तरह जैसे कोई एजेंट अपनी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त लाभ को अपने सिद्धांत की सहमति से बनाए रख सकता है।

टिप्पणी

एक प्रमोटर को एक पदोन्नति से लाभ कमाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन कंपनी की सहमति से।

ब्याज के प्रकटीकरण का कर्तव्य: गुप्त मुनाफे की घोषणा के लिए अपने कर्तव्य के अलावा, एक प्रमोटर को कंपनी को उसके द्वारा दर्ज किए गए लेनदेन में किसी भी ब्याज का खुलासा करना होगा। यह तब भी है, जहाँ एक प्रमोटर कंपनी को अपनी संपत्ति बेचता है, लेकिन बिक्री से होने वाले लाभ के लिए उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि प्रमोशन शुरू होने से पहले उसने संपत्ति खरीदी थी। प्रकटीकरण उसी तरह से किया जाना चाहिए जैसे कि प्रवर्तक कंपनी की सहमति के लिए अपने लाभ को बनाए रखने की मांग कर रहा था जिसके लिए वह जवाबदेह है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत प्रमोटर के कर्तव्य: भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत कंपनी के प्रवर्तक के कर्तव्यों को अदालतों द्वारा किसी भी विवरण में निपटाया नहीं गया है। वे अनुबंध पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिस समय पदोन्नति शुरू होती है, कंपनी को शामिल नहीं किया जाता है और इसलिए इसके प्रवर्तकों के साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रमोटर के कर्तव्यों को उन या एक व्यक्ति के समान होना चाहिए, जो किसी अन्य की ओर से रोजगार के अनुबंध के बिना काम करता है, अर्थात्, धोखे से दूर करने और उचित कौशल और देखभाल का अभ्यास करने के लिए। इस प्रकार, जहाँ एक प्रमोटर कंपनी को लापरवाही से संपत्ति खरीदने की इजाजत देता है, जिसमें उसकी खुद की संपत्ति भी शामिल है, तो वह अपने नुकसान के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरह, एक प्रमोटर जो प्रॉस्पेक्टस में गलत बयानी करने के लिए जिम्मेदार है, उसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के तहत धोखाधड़ी का दोषी ठहराया जा सकता है और परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 19 के तहत नुकसान के लिए उत्तरदायी है।

प्रमोटर के कर्तव्य की समाप्ति: एक प्रवर्तक का कर्तव्य कंपनी के निगमन पर या एक निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाने पर भी समाप्त नहीं होता है। वे तब तक जारी रखते हैं जब तक कि कंपनी ने उस संपत्ति या व्यवसाय का अधिग्रहण नहीं कर लिया, जिसे इसका प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था और अपनी प्रारंभिक पूँजी को बढ़ाया है और निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों का प्रबंधन प्रमोटरों से लिया है। जब ये काम हो चुके होते हैं, तो प्रमोटर की विवेकाधीन और संविदात्मक दायित्व समाप्त हो जाती है।

1.5.3 प्रमोटरों के उत्तरदायित्व (Liabilities of Promoters)

एक प्रवर्तक को कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत उत्तरदायित्व के अधीन किया जाता है।

1. किसी व्यक्ति को प्रॉस्पेक्टस में किसी भी असत्य कथन के लिए एक प्रमोटर को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जो ऐसे प्रॉस्पेक्टस के विश्वास में

शेयरों या डिबेंचर के लिए सदस्यता लेता है। हालाँकि, ऐसे मामले में प्रमोटर का दायित्व शेयरों के मूल आबंटन तक सीमित होगा और बाद में आने वाले मतदाताओं तक सीमित नहीं होगा।

2. प्रमोटर कंपनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी की तरह परीक्षण के लिए उत्तरदायी हो सकता है, यदि अदालत किसी लिक्विडेटर की रिपोर्ट पर निर्देश देती है कि कंपनी के प्रचार या गठन में धोखाधड़ी का आरोप है।
3. कंपनी धोखाधड़ी या ड्यूटी के उल्लंघन के लिए कार्रवाई पर एक प्रमोटर के खिलाफ आगे बढ़ सकती है, जहाँ प्रमोटर ने कंपनी की किसी भी संपत्ति को गलत तरीके से रखा या बरकरार रखा है या कंपनी के संबंध में गलतफहमी या विश्वास के उल्लंघन का दोषी है।

प्रवीर कुमार मिश्रा बनाम रमणी रामास्वामी (2010) 104 SCL 174 में, एक प्रमोटर पर दायित्व तय करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह या तो मेमोरेण्डम/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हस्ताक्षरकर्ता या एक शेयरधारक या कंपनी का निदेशक होना चाहिए। कंपनी और तीसरे पक्ष के लिए प्रमोटर का नागरिक दायित्व उसके आचरण और अनुबंध के संबंध में उसके द्वारा पूर्व-निगमन चरण के दौरान कंपनी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में दर्ज किया गया है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

14. व्यक्ति या व्यक्ति का समूह जो अस्तित्व में एक कंपनी है _____ कहा जाता है।

(क) एक फर्म	(ख) निगमन
(ग) प्रमोटर	(घ) प्रमोशन
15. _____ किसी कंपनी के गठन का पहला चरण है।

(क) प्रवर्तन	(ख) पूँजी की स्थापना
(ग) निगमन	(घ) व्यवसाय की प्रतिबद्धता

1.6 समामेलन (Incorporation)

1.6.1 समामेलन/निगमन की प्रक्रिया (Process of Incorporation)

कंपनी अधिनियम की धारा 3 में कंपनी के समामेलन/निगमन के बारे में प्रावधान है। एक सार्वजनिक कंपनी का समामेलन/निगमन सात या अधिक लोगों द्वारा किया जा सकता है, जबकि एक निजी कंपनी को दो या अधिक लोगों द्वारा तैयार किया जा सकता है और वन परसन कंपनी में केवल एक व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। कंपनी को ज्ञापन के लिए उनके नाम की सदस्यता और कानून के तहत निर्धारित पंजीकरण के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करके कानून के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जा सकता है।

वन परसन कंपनी को शामिल करने के लिए एक अपवाद है कि इसका ज्ञापन किसी अन्य व्यक्ति के नाम को उसकी पूर्व सहमति के साथ इंगित करना चाहिए, सहमति लिखित में होनी चाहिए जो निगमन के समय उसके ज्ञापन के साथ रजिस्ट्रार के पास दायर की जानी है। कानून की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

नामित व्यक्ति सब्सक्राइबर की मृत्यु या अनुबंध में अक्षमता के मामले में कंपनी का सदस्य बन जाएगा। नामित व्यक्ति अपनी सहमति वापस ले सकता है या किसी भी समय कानून द्वारा निर्धारित इस तरह से नोटिस देकर दूसरे व्यक्ति का नाम बदल सकता है।

यह सदस्य का कर्तव्य बन जाता है कि ज्ञापन में या किसी अन्य निर्धारित तरीके से और कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी में किए गए परिवर्तन को इंगित करें। नाम के इस तरह के परिवर्तन को ज्ञापन में संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह परिवर्तन कंपनी के किसी भी नियम और शर्तों को प्रभावित नहीं कर रहा है।

1.6.2 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकरण प्रक्रिया (Process of Registration under Companies Act, 2013)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अनुसार, कंपनी का निगमन रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को स्थित किया जाना है। आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:

1. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (इसमें MOA के रूप में संदर्भित) और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (इसके तहत AOA के रूप में संदर्भित) जिसे सभी सदस्यों द्वारा निर्धारित फॉर्म में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना है।
2. वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा निर्धारित तरीके से एक घोषणा की जानी चाहिए जो कंपनी के निर्माण का एक हिस्सा है और साथ ही, लेख में नामित व्यक्ति द्वारा संचालक, प्रबंधक या कंपनी सचिव है कि एक एसोसिएशन के पंजीकरण के लिए अधिनियम और नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
3. ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता से और ऐसे व्यक्तियों से जो प्रथम निदेशकों के रूप में, यदि कोई हो, अनुच्छेद में नामित है, यह शपथ पत्र कि उसे किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी के संवर्धन या प्रबन्ध के संबंध में किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है या यह कि उसे पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी विधी के अधीन किसी कपट या अपकरण (Fraud and Misfeasance) या किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी के कर्तव्य के किसी भंग का दोषी नहीं पाया गया है और यह कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी है वह उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण तथा सत्य है।


4. हलफनामे में यह भी कहा जाना चाहिए कि कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को दिए गए सभी दस्तावेज उसके ज्ञान के अनुसार सही हैं जिसमें सभी सही जानकारीयों शामिल हैं। यदि ऐसी कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो व्यक्ति अधिनियम की धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
5. कंपनी का पत्राचार पता जब तक उसके पंजीकरण की स्थापना की जानी चाहिए।
6. MOA के प्रत्येक सब्सक्राइबर के सभी विवरण (नाम, पता, उपनाम, राष्ट्रीयता, आदि) और पहचान प्रमाण के साथ कंपनी के AOA में पहले संचालक के रूप में उल्लेख किया गया है और संचालकों के लिए संचालक पहचान संख्या के मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए। कोई भी सब्सक्राइबर एक कंपनी है, तो इस तरह के विवरण को निर्धारित किया जाना चाहिए।
7. अन्य फर्मों या बॉडी कॉरपोरेट में कंपनी के पहले संचालकों के हित के साथ-साथ संचालक के रूप में उनकी सहमति के लिए विशेष विवरण भी प्रदान किए जाने चाहिए।

सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को एकत्र करने के बाद, रजिस्ट्रार उसे दिए गए सभी दस्तावेजों और सूचनाओं को पंजीकृत करेगा और प्रस्तावित अधिनियम को प्रमाणित करने के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो इस अधिनियम के तहत प्रस्तावित है।

कंपनी को कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में एक अलग पहचान प्रदान की जाएगी जिसे निगमन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी शामिल किया जाना चाहिए।

कंपनी पंजीकरण के दौरान प्रदान किए गए दस्तावेजों और जानकारी की सभी प्रतियाँ अपने विघटन तक पंजीकृत कार्यालय में रखेगी।

यदि कोई भी व्यक्ति, किसी भी सूचना के किसी भी असत्य या गलत विवरण को प्रस्तुत करता है या किसी भी भौतिक जानकारी को दबाता है, जिसमें से वह कंपनी के पंजीकरण के संबंध में रजिस्ट्रार के साथ दायर किए गए दस्तावेजों में से किसी एक में अवगत है, तो वह धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।



चित्र क्र. 1.6: एक निजी कंपनी को पंजीकृत करने की प्रक्रिया

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

16. किसी कंपनी को कब पंजीकृत कहा जाता है?
- (क) जब यह कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ सहयोग के ज्ञापन को फाईल करता है।
- (ख) जब इसे निगमन का प्रमाण पत्र मिलता है
- (ग) जब इसे व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र मिलता है
- (घ) जब यह वास्तव में अपना व्यवसाय शुरू करता है
17. _____ निगमन का प्रमाण पत्र जारी करता है।
- (क) रजिस्ट्रार (ख) निदेशक
- (ग) कोर्ट (घ) उपरोक्त सभी

1.7 व्यवसाय का प्रारंभ (धारा 10A) (Commencement of Business)

टिप्पणी

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी के निगमन की तिथि व्यवसाय के प्रारंभ (COB) की तिथि नहीं हो सकती है। व्यवसाय शुरू करने की स्थिति से, कंपनियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है: एक सार्वजनिक कंपनी या एक निजी लिमिटेड कंपनी, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उनको किसी भी अन्य औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है और संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ से निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद अपनी व्यवसायिक गतिविधियाँ शुरू कर सकती हैं।
2. सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ जिनके पास शेयर कैपिटल है: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, शेयर कैपिटल रखने वाले सभी नए निगमित सार्वजनिक और निजी कंपनियों को उधार लेने के अधिकार के व्यापार या व्यायाम शुरू करने से पहले संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बोर्ड के प्रस्ताव और निदेशक की घोषणा को व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म तैयार करना चाहिए और फाईल करना चाहिए।

1.7.1 व्यवसाय के जारी करने का प्रमाण पत्र दाखिल न करने का परिणाम (Results of Not Filing the Certificate of Commencement of Business)

1. **दंड का प्रावधान:** धारा 11(2) के अनुसार, यदि कोई डिफॉल्ट जो इस खंड की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, तो कंपनी दंड के लिए उत्तरदायी है जो पाँच हजार रुपये तक है और हर अधिकारी जो डिफॉल्ट रूप में है, जुर्माना के साथ दंडनीय है जो प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक बढ़ जाता है, जिसके दौरान डिफॉल्ट जारी है।
2. **कंपनियों के रजिस्टर से नाम हटाना:** धारा 11(3) के अनुसार, जहाँ कंपनी के निगमन की तारीख के 180 दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के साथ कोई घोषणा नहीं की गई है और रजिस्ट्रार के पास यह मानने का उचित कारण है कि कंपनी किसी भी व्यवसाय या संचालन को नहीं कर रही है, वह धारा 11(2) के प्रावधानों के पक्षपात के बिना, अध्याय XVIII के तहत कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

18. शेयर पूँजी रखने वाली एक सार्वजनिक कंपनी, _____ प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय शुरू करने का हकदार बन जाती है:
- (क) कंपनी गठन
 (ख) निगमन का प्रमाण पत्र
 (ग) अन्तिम अनुबंध
 (घ) व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र

1.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1. (ग) | 7. (घ) | 13. (ख) |
| 2. (क) | 8. (ख) | 14. (ग) |
| 3. (क) | 9. (घ) | 15. (क) |
| 4. (घ) | 10. (ख) | 16. (ख) |
| 5. (घ) | 11. (क) | 17. (घ) |
| 6. (क) | 12. (ग) | 18. (घ) |

1.9 सारांश (Summary)

कंपनी अधिनियम, 2013 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ, कुछ बदलावों के साथ जैसे, पहले की निजी कंपनियों की अधिकतम सदस्य संख्या 50 थी और अब यह 200 होगी। "वन पर्सन कंपनी" का एक नया शब्द इस अधिनियम में शामिल है जो एक निजी संस्था होगा।

नया अधिनियम एक प्रभावी कॉर्पोरेट प्रशासन शासन की परिकल्पना को बढ़ाता है जो आत्म-नियमन और कॉर्पोरेट लोकतंत्र पर आधारित है। तंत्र कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और ई-गवर्नेंस की नई अवधारणाओं को बढ़ावा देता है। नया अधिनियम सख्त प्रवर्तन और निवेशक/लेनदार सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है।

1.10 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- निगमित: निगमित, समष्टिगत
- कृत्रिम: शिल्पनिर्मित
- सार्वमुद्रा: सामान्य मुद्रा, सामान्य मुहर, निगम मुद्रा (किसी संस्था की),

- प्रवर्तन: संस्थापन,
- सामामेलन: एकीकरण, मिलाव, संयोजन

टिप्पणी

1.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. 'कंपनी' शब्द को परिभाषित करें।
Define the term Company.
2. किसी कंपनी के प्रमोटर के कर्तव्य क्या हैं?
What are the duties of promoter of a company?
3. कंपनी के निगमन के लिए कौन-से दस्तावेज आवश्यक हैं?
Which documents are required for incorporation of a Company?
4. सार्वजनिक कंपनी की व्याख्या करें।
Explain Public Company.

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. कंपनी की विशेषताओं पर चर्चा करें।
Discuss the characteristics of a Company.
2. कंपनी के वर्गीकरण पर एक नोट लिखें।
Write a note on classification of a Company.
3. किसी कंपनी के सामामेलन की प्रक्रिया का वर्णन करें।
Explain the process of incorporation of a Company.

1.12 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. Shukla S.M., *Company Adhinyam S/B*, Agra (Hindi and English).
2. Nowlkha Jain and Tripathi, *Company Law*, Universal – Agra (Hindi).
3. Dr. Bajpai and Jain, *Company Law*, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal.
4. Chawla and Garg, *Company Law*, S. Chand and Vikas Publishing House, Delhi.
5. Bagrial A.K., *Company Law*, New Delhi.
6. R.N. Nolakha, *Company Law*, R.B.D. Jaipur.

इकाई 2 पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण का विस्तृत अध्ययन (Detailed Study of Memorandum of Association, Articles of Association and Prospectus)

संरचना (Structure)

- 2.0 परिचय
- 2.1 उद्देश्य
- 2.2 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन / पार्षद सीमा नियम
 - 2.2.1 परिभाषा
 - 2.2.2 पार्षद सीमा नियम का महत्व
 - 2.2.3 मेमोरेण्डम के प्रपत्र
 - 2.2.4 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के खंड
 - 2.2.5 मेमोरेण्डम का मुद्रण और हस्ताक्षर
 - 2.2.6 पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन
- 2.3 पार्षद अंतर्नियम / आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
 - 2.3.1 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का महत्व
 - 2.3.2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के घटक
 - 2.3.3 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परिवर्तन
 - 2.3.4 खंडक वाक्य
 - 2.3.5 ROC को सूचना
 - 2.3.6 आर्टिकल को बदलने की शक्ति पर सीमाएँ
 - 2.3.7 मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर
 - 2.3.8 परोक्ष सूचना / आन्वयिक सूचना का सिद्धांत
 - 2.3.9 आंतरिक प्रबंध / इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत
- 2.4 प्रविवरण
 - 2.4.1 प्रोस्पेक्टस के प्रकार
 - 2.4.2 प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने और जारी करने की प्रक्रिया
 - 2.4.3 प्रॉस्पेक्टस में गलत विवरण
- 2.5 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 2.6 सारांश
- 2.7 मुख्य शब्दावली
- 2.8 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 2.9 सहायक पाठ्य सामग्री

2.0 परिचय (Introduction)

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (MOA), जब एक कंपनी को सम्मिलित किया जा सकता है और शेयरधारकों को कंपनी के उद्देश्य के बारे में सूचित करने का आधार है। जब आप एक कंपनी बनाने की योजना बनाते हैं, तो यह आवश्यक कई दस्तावेजों में से एक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, इस दस्तावेज का

टिप्पणी

उपयोग उन सटीक स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनके तहत कंपनी सम्मिलित हो सकती है। मेमोरेंडम में कंपनी के मौजूदा और उन क्षेत्रों के लिए कंपनी के उद्देश्य का भी विवरण दिया गया है जहाँ कंपनी काम करेगी। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दो प्राथमिक उद्देश्य हैं। सबसे पहले, यह दस्तावेज संभावित शेयरधारकों को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाहरी लोगों के साथ कंपनी के संबंधों को परिभाषित करेगा।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA) एक अप्रधान दस्तावेज है जो MOA के बाद ही गठित किया जाता है। यह कंपनी के प्रशासन और प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमों का पालन करता है। आर्टिकल कंपनी के खातों और लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी के साथ सदस्यों के अधिकार, जिम्मेदारियों, शक्तियों, कर्तव्यों आदि को निर्धारित करते हैं। यह MOA का अनुसरण करता है और इसे प्रतिवाद नहीं कर सकता है। MOA की तुलना में इसमें संशोधन करना अधिक आसान है जो बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। कंपनी की पसंद के अनुसार वार्षिक आम बैठक में इसे पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया जा सकता है।

प्रॉस्पेक्टस मूल रूप से एक औपचारिक और कानूनी दस्तावेज है जो एक कॉर्पोरेट निकाय द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी भी प्रतिभूतियों की सदस्यता या खरीद के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए कार्य करता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करने की हकदार है। लेकिन, निजी कंपनी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

2.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अर्थ और खंड को समझेंगे।
- आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में ज्ञान होगा।
- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर पता चलेगा।
- प्रॉस्पेक्टस के बारे में समझ होगी।

2.2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन/पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association)

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर है और इसकी गतिविधियों के दायरे को परिभाषित करता है। कंपनी के सहयोग का एक लेख एक दस्तावेज है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन को नियंत्रित करता है।

टिप्पणी

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के सदस्यों के अधिकारों के साथ कंपनी के संबंध को परिभाषित करता है और सदस्यों के साथ कंपनी के संबंध को भी स्थापित करता है।

यह एक कंपनी के लिए प्रधान महत्व का दस्तावेज है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों, अधिकार की सीमा, योग्यता, दायित्व और कानूनी अधिकारों को दर्शाया गया है। ज्ञापन एक कंपनी के लिए एक कानूनी कोड या संविधान के रूप में कार्य करता है और कंपनी और उसके शेयर धारकों, निवेशकों, लाभार्थियों और अन्य सदस्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।

पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, जो कंपनी के संबंध में अनेक तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। यह कंपनी का नाम, कंपनी के उद्देश्य, स्थान, उसकी पूँजी तथा सदस्यों का दायित्व आदि की जानकारी प्रदान करने वाला प्रलेख है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र, अधिकार, उद्देश्य तथा कंपनी की प्रकृति को प्रकट करने वाला महत्वपूर्ण प्रलेख है।

2.2.1 परिभाषा (Definition)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(56) के अनुसार मेमोरेंडम से आशय ऐसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम से है जो पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधान अथवा इस अधिनियम के अनुसरण में मूल रूप से बनाया गया या समय-समय पर परिवर्तित किया गया है।

मेमोरेंडम कंपनी का आधारभूत प्रलेख या अधिकार पत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं यथा कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय का स्थान, सदस्यों का दायित्व, कंपनी की अंश पूँजी का उल्लेख होता है। इस सीमा नियम का पहला उद्देश्य अंशधारियों व ऋणदाताओं तथा कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है जिसके आधार पर वे कंपनी के साथ भरोसे के साथ व्यवहार कर सकें। पार्षद सीमा नियम का दूसरा उद्देश्य कंपनी के बाह्य पक्षकारों को कंपनी की अनुबंध करने की स्थिति से अवगत कराना है। बाह्य पक्षकार पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य को देखकर इस बात का पता लगा सकता है कि कंपनी किस प्रकार के अनुबंध कर सकती है और किस प्रकार के अनुबंध नहीं कर सकती है।

2.2.2 पार्षद सीमा नियम का महत्व (Significance of Memorandum of Association)

1. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आधार है। इसे बनाये बिना कंपनी का समामेलन संभव नहीं है। यह वास्तव में वह आधार है जिस पर कंपनी का ढाँचा निर्भर करता है।
2. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है। सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कोई भी कंपनी नहीं जा सकती है।

3. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अधिकारों का स्रोत है जिसमें जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अधिकृत किया जाता है, कंपनी उन्हीं कार्यों को करने का अधिकार रखती है।
4. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मार्गदर्शक या पथप्रदर्शक के रूप में माना जा सकता है।
5. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन से विनियोजकों व त्रणदाताओं की सुरक्षा बनी रहती है। वे सीमा नियम को देखकर कंपनी की जोखिम को ज्ञात कर लेते हैं।
6. मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को राष्ट्रीय हित का पोषक भी कहा जा सकता है। पार्षद सीमा नियम में उद्देश्य दिए होते हैं तथा किसी भी ऐसी कंपनी का समामेलन नहीं करवाया जा सकता जिसके उद्देश्य राष्ट्रहित में बाधक हों।

टिप्पणी

ऐशबरी रेलवे कौरिज कंपनी बनाम रिचे के अग्रणी मामले में लॉर्ड केयर्न्स ने देखा कि "किसी कंपनी का मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन उसका चार्टर है और कंपनी की शक्तियों की सीमा को परिभाषित करता है।" "सीमा नियम में मूलभूत शर्तें शामिल हैं, जिस पर अकेले कंपनी को निगमित करने की अनुमति है।"

लॉर्ड मैकमिलन के अनुसार, "सीमा नियम का उद्देश्य शेयरधारकों, लेनदारों और कंपनी के साथ सौदा करने वालों को सक्षम करना है, ताकि यह पता चल सके कि इसकी उद्यम की अनुमत सीमा क्या है।"

लॉर्ड सेलबोर्न के अनुसार, "मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण और असाध्य (कुछ शर्तों को छोड़कर) चार्टर है। कंपनी को केवल ऐसे लक्ष्य के लिए निगमित किया गया है जो मेमोरेण्डम में दिए गए हैं।"

2.2.3 मेमोरेण्डम के प्रपत्र (Form of Memorandum)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(6) के अनुसार, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन अधिनियम के अनुसूची I की तालिका A, B, C, D या E में निर्दिष्ट किसी भी एक फॉर्म में होना चाहिए।


- तालिका A में निर्दिष्ट फॉर्म उन कंपनियों पर लागू होता है जो शेयरों द्वारा सीमित होती हैं।
- तालिका B में निर्दिष्ट फॉर्म उन कंपनियों पर लागू होता है जो गारंटी द्वारा सीमित होती हैं और जिनके पास अधिकृत शेयर कैपिटल नहीं होती है।
- तालिका C में निर्दिष्ट फॉर्म गारंटी द्वारा सीमित और अधिकृत शेयर कैपिटल वाली कंपनियों पर लागू होता है।
- तालिका D में निर्दिष्ट फॉर्म उन असीमित कंपनियों पर लागू होता है जिनके पास अधिकृत शेयर कैपिटल नहीं हैं।
- तालिका E में निर्दिष्ट फॉर्म उन असीमित कंपनियों पर लागू होता है जिनके पास अधिकृत शेयर कैपिटल होती है।

कंपनी उपरोक्त उल्लेखित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी मॉडल फॉर्म को अपनाएगी, जो उस पर लागू हो सकता है।

टिप्पणी

2.2.4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड (Clauses of Memorandum of Association)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4 MOA के साथ संबंधित है। एक कंपनी के मेमोरेंडम में निम्नलिखित शामिल होंगे।



चित्र क्र. 2.1: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड

Source: <http://www.businesswindo.com/info-cafe/difference-between-memorandum-and-articles-of-association>

1. नाम खंड

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रारूपण करते समय कंपनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है। एक कंपनी किसी भी नाम का चयन कर सकती है जिसे वह पसंद करता है, लेकिन वह नाम मौजूदा कंपनी के समान नहीं होना चाहिए। कंपनी का चुना हुआ नाम जैसा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाई देता है, ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित होता है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम "लिमिटेड" शब्द के साथ समाप्त होना चाहिए और इसी तरह, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम "प्राइवेट लिमिटेड" शब्दों के साथ समाप्त होना चाहिए। आगे वन पर्सन कंपनी के मामले में, शब्द वन पर्सन कंपनी का उल्लेख कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठक में किया जाएगा।

2. स्थान खंड

एक कंपनी के **मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन** में उस राज्य का नाम होना चाहिए जहाँ कंपनी संचालित है और कंपनी के रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। कंपनी के लिए 15 कार्य दिवसों के भीतर पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन 30 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया कंपनी के अधिवास को ठीक करने के लिए की जाती है, जो कंपनी के संचालन का स्थान हो भी सकता है और नहीं भी।

3. उद्देश्य खंड

जिस उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई गई है, उसका उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया जाना चाहिए। यह प्रमुख खंडों में से एक है और इसे उन सभी प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख करके सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए जो कंपनी संभवतः भविष्य में संलग्न कर सकती है।

एक कंपनी कानूनी रूप से किसी भी गतिविधि को करने से प्रतिबंधित है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में निर्दिष्ट नहीं है। उद्देश्य को 'मुख्य उद्देश्य', 'सहायक उद्देश्य' और 'अन्य उद्देश्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उद्देश्य को स्पष्ट रूप से कथित होना चाहिए और प्रकृति में अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। उद्देश्य गैरकानूनी या देश के अधिनियम के निषेध या सार्वजनिक नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(1)(c) के तहत, सभी कंपनियों को अपने ज्ञापन में अपने उद्देश्यों को बताना होगा जिसके लिए उन्हें निगमित किया गया है।

ऑब्जेक्ट क्लॉज का बहुत महत्व है क्योंकि यह कंपनी के उद्देश्य और क्षमता को निर्धारित करता है। यह उस उद्देश्य को इंगित करता है जिसके लिए कंपनी की स्थापना की गई है। यह सकारात्मक रूप से कंपनी की शक्तियों के दायरे और सीमा को बताता है और नकारात्मक रूप से कहा है कि उस दायरे से परे कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लॉज का उद्देश्य कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्तियों को इसकी अनुमत सीमा की गतिविधियों को जानने में सक्षम बनाना है। इस सीमा से परे कार्य अल्ट्रा वायर्स हैं और इसलिए निरर्थक हैं।

4. देयता खंड

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सदस्यों की देनदारियों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वे शेयर्स या गारंटी से सीमित हो सकते हैं। असीमित देयता कंपनी के मामले में, पूरे खंड को समाप्त किया जा सकता है।

जब कोई कंपनी शेयर्स द्वारा सीमित होती है, तो उसके सदस्यों का दायित्व उनके स्वामित्व वाले शेयर्स पर किसी भी अवैतनिक राशि तक सीमित रहता है। जब यह गारंटी से सीमित होता है, तो कंपनी के सदस्य कंपनी के परिसमापन के समय ज्ञापन में बताई गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। असीमित कंपनियों के मामले में, सदस्यों की देयता असीमित होती है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति शामिल होती है।

टिप्पणी

टिप्पणी

5. पूँजी खंड

कंपनी के सदस्यों द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकृत पूँजी की अधिकतम राशि को मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस राशि पर स्टैप ड्यूटी लागू है। जिन शेयर्स में पूँजी विभाजित होती है, वे निश्चित मूल्य के होने चाहिए, जिन्हें आमतौर पर शेयर के अंकित मूल्य के रूप में जाना जाता है। पूँजी को "अंकित", "अधिकृत" या "पंजीकृत" के रूप में वर्णित किया जाता है।

नाममात्र पूँजी की मात्रा वर्तमान के साथ-साथ कंपनी की भविष्य की आवश्यकताओं के संबंध में निर्धारित की जाती है। ज्ञापन में पूँजी को बताने का सामान्य तरीका है: "कंपनी की पूँजी ₹ 10,00,000 ₹ 10" के 1,00,000 इक्विटी शेयर्स में विभाजित है। यह राशि उस अधिकतम सीमा से कम होती है। जिसके पार कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 द्वारा दिए गए मेमोरेण्डम में परिवर्तन किए बिना शेयर जारी नहीं कर सकती है।

एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में व्यापार के विस्तार के लिए उठाई गई अधिकृत पूँजी पर्याप्त रूप से अधिक है। अन्य सभी अधिकार और विशेषाधिकार, जैसा कि शेयरधारक, लेनदारों, निवेशक और कंपनी के अन्य सदस्यों द्वारा सहमत हैं, इस चार्टर में भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

अधिकृत शेयर पूँजी वाली असीमित कंपनी के लिए ज्ञापन में इसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है।

6. एसोसिएशन या सदस्यता वाक्य

अधिकृत पूँजी की राशि और कंपनी के प्रत्येक सदस्य के स्वामित्व वाले शेयर्स की संख्या का उल्लेख कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में किया जाना चाहिए।

मेमोरेण्डम की सदस्यता के बारे में वैधानिक आवश्यकताएँ हैं:

- प्रत्येक सदस्य को कम-से-कम एक अंश लेना चाहिए,
- प्रत्येक सदस्य को अपने नाम के विपरीत लिखना चाहिए कि वह कितने शेयर्स को लेने के लिए सहमत है। (धारा 4(1)(e))

सदस्यों को कम-से-कम एक गवाह की उपस्थिति में मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर करना चाहिए, जो हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है।

7. उत्तराधिकार वाक्य

इस धारा के अनुसार, ज्ञापन में उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख करना होगा जो पूर्व सदस्य की मृत्यु की अवस्था में सदस्य बन जाएगा।

2.2.5 मेमोरेण्डम का मुद्रण और हस्ताक्षर (Printing and Transfer of Memorandum)

मेमोरेण्डम का:

- मुद्रित होना आवश्यक है,
- लगातार क्रमांकित पैराग्राफ में विभाजित होना चाहिए,
- प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, जो कम-से-कम एक गवाह की उपस्थिति में अपना पता, विवरण और व्यवसाय जोड़ देगा, जो हस्ताक्षर को सत्यापित करेगा और अपना पता, विवरण और व्यवसाय भी जोड़ देगा।

टिप्पणी

2.2.6 पार्षद सीमा नियम का परिवर्तन (Changes in Memorandum of Association)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(1) में कहा गया है कि एक कंपनी एक विशेष संकल्प द्वारा और इस खंड में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, अपने मेमोरेण्डम के प्रावधानों को बदल सकती है। कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को निम्नलिखित दशा में बदला जा सकता है:

- (1) इसका नाम बदलकर (धारा 13(2))।
- (2) उस राज्य के संबंध में परिवर्तन करके जिसमें पंजीकृत कार्यालय स्थित हो (धारा 13(4) और (7))।
- (3) अपने लक्ष्य को बदलकर (धारा 13(1) और (9))।
- (4) अपनी शेयर पूँजी में परिवर्तन करके (धारा 61)।
- (5) अपनी शेयर पूँजी को फिर से आयोजित करके (धारा 230 से 237)।
- (6) इसकी पूँजी को कम करके (धारा 66)।

कंपनी अधिनियम, 2013 के नाम खंड, पंजीकृत कार्यालय खंड, लक्ष्य खंड, सीमित देयता खंड, सदस्य के शेयर खंड से संबंधित मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों या शर्तों को अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके बदला जा सकता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के सख्त अनुपालन की मांग की जाती है। मेमोरेण्डम में परिवर्तन के उद्देश्य के लिए अधिनियम के तहत किए गए व्यक्त प्रावधानों का पालन करने में विफलता को एक तुच्छता के रूप में समझा जाएगा।


धारा 13(6) में कहा गया है कि एक कंपनी अपने मेमोरेण्डम के किसी भी परिवर्तन के संबंध में, रजिस्ट्रार के साथ कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के साथ धारा 13(1) के तहत दाखिल करेगी।

धारा 13(10) में यह प्रावधान है कि इस धारा के तहत किए गए किसी भी परिवर्तन का तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि यह उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत नहीं किया गया है।

टिप्पणी

गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है, की स्थिति में, मेमोरेण्डम के किसी भी परिवर्तन, किसी भी व्यक्ति को एक सदस्य के रूप में कंपनी के विभाज्य मुनाफे में भाग लेने का अधिकार और देने का अधिकार, निरर्थक हो जाएगा। (धारा 13(11))

मेमोरेण्डम के अनिवार्य खंड या शर्तों में परिवर्तन की प्रक्रिया पर निम्नलिखित अनुच्छेद में विस्तार से चर्चा की गई है:



चित्र क्र. 2.2: मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन का परिवर्तन

Source: <https://www.slideshare.net/swtnspicyaqua/moa-ppt-30185598>

1. नाम खंड का परिवर्तन

एक विशेष प्रस्ताव द्वारा और लिखित रूप में केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ कंपनी का नाम बदला जा सकता है। यदि परिवर्तन कंपनी के नाम में 'निजी' शब्द के जोड़/विलोपन से संबंधित है, तो कंपनी के नाम के परिणामस्वरूप, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने और इसके विपरीत की अवस्था में, केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। (धारा 13(1) और (2))

जब किसी कंपनी के नाम में कोई बदलाव धारा 13(2) के तहत किया जाता है, तो रजिस्ट्रार पुराने नाम के स्थान पर कंपनियों के रजिस्टर में नया नाम दर्ज करेगा और नए नाम और परिवर्तन के साथ निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस तरह के एक प्रमाण पत्र के निर्गम पर नाम में परिवर्तन पूर्ण और प्रभावी होगा (धारा 13(3))।

मेमोरेण्डम के नाम खंड में किसी भी परिवर्तन के संबंध में, कंपनी इसके द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव को रजिस्ट्रार के साथ ई-फॉर्म नं. 23 में दाखिल करेगी और धारा 13(2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नाम बदलने की मंजूरी (धारा 13(6)) देगी।

लिस्टिंग समझौते के क्लॉज 32 के तहत नाम परिवर्तन की आवश्यकता

सभी सूचीबद्ध कंपनियाँ, जो अपना नाम बदलने का निर्णय लेती हैं, उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1. अंतिम नाम परिवर्तन से कम-से-कम 1 वर्ष की समयावधि समाप्त होनी चाहिए।

टिप्पणी

2. पूर्ववर्ती 1 वर्ष की अवधि में उसके कुल राजस्व का कम-से-कम 50% नए नाम से सुझाई गई नई गतिविधि के हिसाब से होना चाहिए या, नई गतिविधि/परियोजना (फिक्स्ड एसेट्स + एडवांस + वर्क इन प्रोग्रेस) में निवेश की गई राशि कंपनी की संपत्ति का कम-से-कम 50% हो। एडवांस में केवल उन को शामिल किया जाएगा जो नए नाम के अनुसार नई गतिविधि के लिए विशिष्ट प्रोजेक्ट के निष्पादन के लिए ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए विस्तारित हैं। अनुपालन की पुष्टि करने के लिए, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में ऑडिटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. पुराने नाम के साथ नए नाम का खुलासा संबंधित स्टॉक एक्सचेंज के वेब साइट के माध्यम से किया जाएगा, जहाँ कंपनी अंतिम नाम परिवर्तन की तारीख से एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए सूचीबद्ध है।

2. पंजीकृत कार्यालय खंड का परिवर्तन

(1) एक ही शहर की स्थानीय सीमा के भीतर परिवर्तन

अधिनियम की धारा 12(5) में यह प्रावधान है कि किसी कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अधिकार के अतिरिक्त, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को नहीं बदला जाएगा, -

- (क) मौजूदा कंपनी की दशा में, किसी भी शहर, कस्बे या गाँव की स्थानीय सीमा के बाहर, जहाँ इस तरह का कार्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ में स्थित है या जहाँ यह कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के आधार पर बाद में स्थित हो सकता है, तथा
- (ख) किसी अन्य कंपनी की दशा में, किसी भी शहर, कस्बे या गाँव की स्थानीय सीमा के बाहर जहाँ ऐसा कार्यालय पहले से स्थित है या जहाँ यह कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव के आधार पर बाद में स्थित हो सकता है:

कोई भी कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान को एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से दूसरे राज्य के अधिकार क्षेत्र में तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कंपनी द्वारा इस तरह से किए गए आवेदन पर इस तरह के बदलाव की पुष्टि नहीं की जाती है।

(2) एक ही राज्य के भीतर एक शहर से दूसरे शहर में परिवर्तन

यदि पंजीकृत कार्यालय को एक शहर, कस्बे या गाँव से उसी राज्य के दूसरे शहर, कस्बे या गाँव में स्थानांतरित किया जाना है, तो कंपनी की आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। परिवर्तन का नोटिस रजिस्ट्रार को इस तरह के बदलाव के 15 दिनों के भीतर फॉर्म नं. INC 22 के साथ फॉर्म नं. MGT 14 जैसा कि धारा 117(1) के तहत, विशेष प्रस्ताव पारित के लिये आवश्यक है।

टिप्पणी

(3) कंपनियों के एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से उसी राज्य के भीतर किसी अन्य रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन

धारा 12(5) के अनुसार एक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के लिए प्रदान करता है। यदि पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन उसी राज्य के एक रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हो, तो इसके लिए क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि आवश्यक होगी।

धारा 12(6) में कहा गया है कि क्षेत्रीय निदेशक, पक्षों को सुनने के बाद आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेंगे। इसके बाद, संबंधित कंपनी क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि आदेश की तारीख से 60 दिनों की अवधि में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के साथ उक्त आदेश की एक प्रति दाखिल करेगी। उक्त ROC अपने रिकॉर्ड में क्रमबद्ध परिवर्तनों को दर्ज करेगा। राज्य का ROC जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पहले स्थित था, सभी दस्तावेजों और कागजात को नए ROC को हस्तांतरित कर देगा।

(क) एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन

एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन में मेमोरेण्डम का परिवर्तन शामिल है और परिवर्तन को कंपनी के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा प्रभावित किया जा सकता है जिसकी पुष्टि केंद्र सरकार द्वारा किए गए आवेदन पर की जानी चाहिए (धारा 13(4))।

धारा 13(1) के अनुसार, एक कंपनी विशेष संकल्प द्वारा और निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुपालन के बाद अपने मेमोरेण्डम के प्रावधानों को बदल सकती है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन से संबंधित मेमोरेण्डम के प्रावधानों में परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से किए गए आवेदन पर इसकी पुष्टि नहीं हो जाती (धारा 13(4))।

3. लक्ष्य खंड का परिवर्तन

खंड 13(1) के अनुसार, कंपनी एक विशेष संकल्प द्वारा और इस खंड में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, अपने मेमोरेण्डम के प्रावधानों को बदल सकती है। इसका मतलब है कि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अपनी लक्ष्य को बदल सकती है। इसके अलावा धारा 13(6)(क) के अनुसार, कंपनी अपने मेमोरेण्डम के किसी भी परिवर्तन के संबंध में, रजिस्ट्रार के साथ कंपनी द्वारा दिए गए विशेष प्रस्ताव को धारा 13(1) के तहत दायर करेगी। धारा 13(9) के अनुसार, रजिस्ट्रार कंपनी के लक्ष्य के संबंध में मेमोरेण्डम के किसी भी परिवर्तन को पंजीकृत करेगा और धारा 13(6)(क) के अनुसार विशेष संकल्प दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण को प्रमाणित करेगा।

एक कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने लक्ष्य के खंड को बदल सकती है। सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट

क्लॉज में फेरबदल के लिए विशेष प्रस्ताव को धारा 110 के संदर्भ में पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता है।

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

धारा 13(8) यह बताती है कि, एक कंपनी जिसने प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से जनता से पैसा जुटाया है और उसके पास से निकाली गई धनराशि में से कोई भी अनुपयोगी राशि है, कंपनी अपने लक्ष्य को नहीं बदलेगी, जब तक कि एक विशेष प्रस्ताव पारित न हो जाए।

टिप्पणी

4. देयता/दायित्व खंड का परिवर्तन

धारा 13(1) के अनुसार, एक कंपनी एक विशेष संकल्प द्वारा और इस धारा में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, अपने मेमोरेण्डम के प्रावधानों को बदल सकती है। इसका मतलब है कि एक कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अपने दायित्व खंड को बदल सकती है। इसके अलावा धारा 13(6)(क) प्रदान करती है कि एक कंपनी अपने मेमोरेण्डम के किसी भी परिवर्तन के संबंध में, रजिस्ट्रार के साथ कंपनी द्वारा दिए गए विशेष प्रस्ताव को धारा 13(1) के तहत दायर करेगी।

5. पूँजी खंड का परिवर्तन

शेयर कैपिटल रखने वाली एक सीमित कंपनी, अगर इसके अंतर्नियम द्वारा अधिकृत हो, इसकी आम बैठक में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा अपने मेमोरेण्डम में निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन कर सकती है:

- एक कंपनी किसी भी समय अपने मेमोरेण्डम के परिवर्तन से अपनी अधिकृत शेयर कैपिटल में वृद्धि कर सकती है।
- अपने मौजूदा शेयर्स की तुलना में बड़ी राशि के शेयर्स में अपनी सभी या किसी भी शेयर कैपिटल को समेकित और विभाजित करता है।
- अपने सभी या पूर्ण रूप से भुगतान किए गए शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित करें, और उस स्टॉक को किसी भी मूल्यवर्ग के पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर्स में फिर से परिवर्तित कर दें।
- मेमोरेण्डम द्वारा निर्धारित राशि की तुलना में छोटी राशि के शेयर्स में अपने शेयर्स को उप-विभाजित करें, हालांकि, भुगतान की गई राशि और अदत्त राशि के बीच का अनुपात समान रहेगा।
- उन शेयर्स को रद्द कर दें, जो उस पक्ष में प्रस्ताव पारित होने की तिथि पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए जाने या लेने के लिए सहमत नहीं हुए हैं, और इसलिए रद्द किए गए शेयर्स की राशि से अपनी शेयर कैपिटल की मात्रा को कम कर सकते हैं।

उपरोक्त सभी परिवर्तनों को ट्रिब्यूनल द्वारा पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। सिवाय समेकन और विभाजन से संबंधित परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारकों के मतदान प्रतिशत में परिवर्तन होता है, तब तक प्रभावी नहीं होगा

जब तक कि यह निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित नहीं होगा।

टिप्पणी

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 61(1) के अनुसरण में शेयर्स को रद्द करने से शेयर कैपिटल में कमी नहीं होती है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- गारंटी और शेयर पूँजी से सीमित कंपनी के मामले में MOA _____ के रूप में होना चाहिए।
(क) टेबल A (ख) टेबल B
(ग) टेबल C (घ) टेबल D
- MOA में 6 वर्ग होते हैं। हम सभी खंडों को एक खंड की अपेक्षा के अनुसार बदल सकते हैं। वह खंड क्या है?
(क) ऑब्जेक्ट खंड (ख) नाम खंड
(ग) एसोसिएशन खंड (घ) इनमें से कोई नहीं
- एक कंपनी _____ पास करके अपना नाम बदल सकती है।
(क) साधारण संकल्प
(ख) विशेष संकल्प
(ग) या तो विशेष संकल्प द्वारा या साधारण संकल्प द्वारा
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- निम्नलिखित में से कौन MOA का खंड नहीं है?
(क) परिस्थिति (ख) पूँजी
(ग) अंशदान (घ) निदेशक
- _____ कंपनी का चार्टर है।
(क) मेमोरेण्डम (ख) आर्टिकल
(ग) (क) और (ख) (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- _____ बाहरी दुनिया के साथ कंपनी के संबंध बताते हैं।
(क) प्रॉस्पेक्टस (ख) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन
(ग) आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

2.3 पार्षद अंतर्नियम/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (Articles of Association)

टिप्पणी

पार्षद अंतर्नियम कंपनी का संविधान बनाने वाला, उसका मकसद और उसकी कार्यप्रणाली बताने वाला दस्तावेज होता है। इनमें यह भी लिखा होता है कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फाइनेंशल रेकॉर्ड्स कैसे हैंडल किए जाएंगे, किस तरह स्टॉक शेयर इश्यू किए जाएंगे, डिविडेंड दिया जाएगा। इसमें फाइनेंशल रेकॉर्ड्स की ऑडिटिंग के तौर-तरीकों और वोटिंग राइट्स की भी जानकारी होती है। इन नियमों को कंपनी का यूजर मैनुअल माना जा सकता है। इसमें कंपनी के रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए तौर-तरीका भी होता है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA) कंपनी की आवश्यक नियम पुस्तिका है जिसमें हर कंपनी के कार्य करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों और नियमों का समूह शामिल है। यह दस्तावेज कंपनी के उद्देश्य को एक संगठन और उन कार्यों के रूप में परिभाषित करने के लिए निर्धारित है जिन्हें आंतरिक रूप से पूरा करना है; यानी अधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड को संभालना; कंपनी के निदेशकों की भूमिका और शक्तियों को परिभाषित करने के साथ-साथ कंपनी की बैठकों को संभालना। आर्टिकल शेयरधारकों के अधिकारों के साथ-साथ निदेशकों के साथ उनके संबंधों का प्रबंधन और रख-रखाव भी करते हैं। जिन कंपनियों को अनिवार्य लेखों की आवश्यकता होती है, वे हैं असीमित कंपनियाँ, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और शेयर द्वारा सीमित निजी कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA) कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमों का वर्णन करता है।

इसमें आमतौर पर शेयर पूँजी और विविधता अधिकारों से संबंधित विनियमन होता है, धारणाधिकार, शेयर्स पर कॉल, शेयर्स का हस्तांतरण और प्रसारण आदि। कंपनी अपने AOA में कंपनी के प्रबंधन के लिए आवश्यक अतिरिक्त मामलों को भी लिख सकती है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए एक सहायक हैं। वे एक कंपनी के प्रबंधन के अधिकारों, कर्तव्यों, शक्तियों को परिभाषित करते हैं। इसके अलावा, वे उस मोड और फॉर्म को भी लिखते हैं जिसमें किसी कंपनी के आंतरिक विनियमन में समय-समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। किसी कंपनी के सहयोग के लेख को हमेशा उस कंपनी के ज्ञापन के अनुरूप और ज्ञापन के अधीनस्थ होना चाहिए; वे कंपनी के ज्ञापन में निर्दिष्ट कंपनी की लक्ष्य का विस्तार नहीं कर सकते।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(5) के अनुसार, आर्टिकल का अर्थ है कि किसी कंपनी के संबंध में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मूल रूप से समय-समय पर बदल दिया जाए या किसी पिछले कंपनी कानून या इस अधिनियम के अनुसरण में लागू किया जाए।

कंपनी के आर्टिकल अनुसूची I में Tables, F, G, H, I और J में निर्दिष्ट संबंधित रूपों में होंगे।

टिप्पणी

- तालिका F में निर्दिष्ट फॉर्म शेयरों द्वारा सीमित कंपनियों के मामले में लागू होता है;
- तालिका G में निर्दिष्ट फॉर्म गारंटी द्वारा सीमित कंपनी पर लागू होता है जिनके पास शेयर पूँजी है;
- टेबल H में निर्दिष्ट फॉर्म गारंटी द्वारा सीमित कंपनी पर लागू होता है जिनके पास शेयर पूँजी नहीं है;
- तालिका I में निर्दिष्ट फॉर्म असीमित कंपनियों के लिए लागू है जिनके पास शेयर पूँजी है;
- तालिका J में निर्दिष्ट फॉर्म उन असीमित कंपनियों पर लागू है जिनके पास शेयर पूँजी नहीं है।

एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अच्छी पेशेवर सलाह लेकर और शुरुआत से ही बहुत सावधानी से तैयार किए जाते हैं। यह केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं जिन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मसौदा तैयार करते समय निम्नलिखित पर एक निरोध रखना होता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 5 के तहत एक कंपनी के लिए मॉडल आर्टिकल के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार, यह याद रखना चाहिए कि भले ही किसी कंपनी को शामिल करते समय 'आर्टिकल की तैयारी' जैसे शब्दों का उपयोग हो, इसका केवल यही मतलब है कि मॉडल आर्टिकल को अपनाने के रूप में कुछ संशोधनों के साथ अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है जैसा कि प्रवर्तक आग्रह कर सकते हैं।

जितना संभव हो, प्रवर्तकों को अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए मॉडल आर्टिकल में किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन या विलोपन से बचना चाहिए। यह मुख्य रूप से है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची I, तालिका F से तालिका J तक विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लेखों के लिए प्रपत्र प्रदान करती है। इस प्रकार, मॉडल आर्टिकल में किसी विशेष कंपनी के लिए आवश्यक अंतर्वस्तु होती है। जुड़ाव या परिवर्तन केवल तभी किया जाना चाहिए जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक नया विनियमन होना आवश्यक है या यदि कंपनी को बढ़ावा देने के लिए एक नया विनियमन आवश्यक है।

- परिवर्धन, परिवर्तन या परिवर्तन जो मॉडल आर्टिकल के लिए किए जाते हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच के साथ किया जाना चाहिए।

नरेश चंद्र सान्याल बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, एक कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी और उसके सदस्यों के बीच और सदस्यों के बीच एक अनुबंध स्थापित करते हैं। यह अनुबंध कंपनी में सदस्यता के लिए आकस्मिक सामान्य अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है।

टिप्पणी

बोरलैंड के ट्रस्टीज बनाम स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड में, कंपनी के आर्टिकल में कहा है कि किसी भी सदस्य के दिवालिया होने की स्थिति में, उसके शेयर निदेशकों द्वारा निर्धारित गए मूल्य पर बेचे जाएंगे। इस प्रकार, जब बोरलैंड दिवालिया हो गया, तो उसके ट्रस्टी ने अपने मूल मूल्य पर इन शेयरों को बेचने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह आर्टिकल से बाध्य नहीं था। हालांकि, यह माना जाता था कि वह कंपनी के आर्टिकल का पालन करने के लिए बाध्य था, क्योंकि लेखों के प्रावधानों के अनुसार शेयर खरीदे गए थे।

2.3.1 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का महत्व (Significance of Articles of Association/AOA)

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन संगठन में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है।

AOA का महत्व कंपनी के वित्तीय मामलों को संभालने, निदेशकों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रबंधन और कंपनी के शेयरधारकों के साथ उनके संबंधों के लिए प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों में निहित है।


आर्टिकल सदस्यों के मतदान के अधिकार के साथ-साथ मतदान की प्रक्रिया का विवरण देता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निवेशकों और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हैं। यह किसी भी प्रतिस्पर्धा वाले व्यवसाय में निदेशकों के हितों को बनाए रखता है और यदि इसके प्रावधानों में यह निर्दिष्ट करता है, तो हितों के किसी भी टकराव से बचाता है।

निष्कर्ष में, एक संगठन के रूप में कंपनी के कल्याण के लिए और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अपने सुचारु कामकाज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन महत्वपूर्ण हैं।

2.3.2 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के घटक (Clauses of Articles of Association)

कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA) में आमतौर पर निम्नलिखित घटक होते हैं:

टिप्पणी



चित्र क्र. 2.3: आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन के घटक

Source: <https://www.wallstreetmojo.com/articles-of-association/>

1. निदेशक

AOA निदेशकों की नियुक्ति के दिशा-निर्देशों को परिभाषित करता है; नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता; एक बार नियुक्त होने पर उनका पारिश्रमिक और कंपनी की बैठकों में निदेशक मंडल की शक्तियाँ।

2. आम बैठकें

AOA सभी जनरल मीटिंगों के मूल ढाँचे और साथ ही, उन सभी प्रावधानों को प्रदान करता है जो किसी भी तरीके से जनरल मीटिंग्स के कामकाज से संबंधित हैं।

3. लेखा और लेखा परीक्षण

AOA में प्रावधान कंपनी के लेखांकन की लेखा परीक्षा के अधीन दिशा-निर्देशों को परिभाषित करेंगे।

4. शेयरधारक

AOA कंपनी की शेयर पूँजी के उप-विभाजन को साझा करता है जिसमें शेयरधारक के अधिकार और कंपनी के अन्य तत्वों के साथ इन अधिकारों के संबंध शामिल हैं। शेयरधारकों को कंपनी की माँग पर खरीदे गए प्रत्येक हिस्से पर शेष अवैतनिक राशि का पूरा या कुछ हिस्सा देना होगा; यानी शेयर्स पर कॉल।

5. शेयर का लाभ

कंपनी अपने किसी भी सदस्य के शेयर्स को बनाए रखने के लिए योग्य है, यदि वे कंपनी को ऋण का भुगतान करने में विफल रहते हैं। जब तक वे अपने ऋण का भुगतान नहीं करते, सदस्य को अपने शेयर्स को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. स्थानांतरण और शेयर का प्रसारण

AOA हस्तांतरी और शेयरधारकों के बीच शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। शेयर्स का प्रसारण मृत्यु, दिवाला, विवाह, उत्तराधिकार आदि के प्रभाव में आता है, यह अनैच्छिक होने के बावजूद भी AOA का एक हिस्सा है।

7. जब्ती और शेयर का अभ्यर्पण

AOA शेयर्स के जब्त करने के नियमों का प्रावधान करता है, अगर सदस्य खरीद के भुगतान जैसे कॉल मनी या शेयर्स पर किसी भी आबंटन को पूरा करने में सक्षम नहीं है। शेयर धारक कंपनी को AOA के दिशा-निर्देशों से संबंधित अभ्यर्पण या स्वैच्छिक वापस कर सकते हैं।

8. स्टॉक में शेयर का रूपांतरण

कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में बदलने के लिए एक सामान्य बैठक में एक साधारण प्रस्ताव पारित कर सकती है। निर्णय और समाधान का प्रबंधन AOA के अनुसार होना चाहिए।

शेयर वारंट जारी करना

पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ AOA में उल्लेखित प्रावधानों के भीतर एक शेयर वारंट जारी करने के लिए पात्र हैं। एक शेयर वारंट एक वाहक दस्तावेज है जो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर्स के नाम से संबंधित है।

9. पूँजी का परिवर्तन

शेयरों को स्टॉक में बदलने के समान, AOA कंपनी के हितों के अनुसार पूँजी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के नियम प्रदान करता है। कंपनी कैपिटल को बढ़ाने, घटाने या पुनर्निर्माण करने का निर्णय ले सकती है।

10. मताधिकार

AOA एओए उन विशिष्ट कंपनी मामलों को नोट करता है जो सदस्यों द्वारा मतदान के लिए कहते हैं, साथ-साथ मतदान की प्रक्रिया भी चाहे वह वोट या पोल के माध्यम से हो।

11. लाभांश

AOA कंपनी के शेयर धारकों के बीच लाभांश का वितरण भी प्रदान करता है।

12. समापन

कंपनी के समापन का मतलब है कि कंपनी की सभी परिसंपत्तियों का परिसमापन कर उसके ऋण का भुगतान करना। सभी ऋणों और खर्चों के भुगतान के बाद बचे हुए पैसे कंपनी के शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाते हैं। AOA कंपनी के समापन से संबंधित प्रावधान और प्रक्रिया भी प्रदान करता है और AOA के अनुसार आगे बढ़ना होता है।

2.3.3 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परिवर्तन (Changes in Articles of Association)

टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14, एक कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में शामिल शर्तों के अधीन, अपने **आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन** को बदलने की अनुमति देती है। कंपनी के कामकाज के लिए यह शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनी को अपने प्रावधानों को बदलने के लिए एक विशेष प्रस्ताव (सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत) पास करना होगा। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय में AOA को बदलने की शक्ति नहीं है। ये विशिष्ट दिशा-निर्देश हैं जो एक कंपनी को एक सफल संचालन प्राप्त करने के लिए पालन करना है:

1. विशेष प्रस्ताव की प्रति उसके पारित होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जानी चाहिए।
2. प्रस्तावित परिवर्तनकर्ता को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों या स्थापित मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (MOA) (अर्थात् एक दस्तावेज जो एक कंपनी के गठन के दौरान तैयार किया जाता है और शेयरधारकों के साथ कंपनी के संबंधों को परिभाषित करता है,) के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।
3. कंपनी को किसी भी अवैध गतिविधि का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए।
4. प्रस्तावित परिवर्तन कंपनी के लाभ के अलावा नहीं हो सकता है।
5. परिवर्तन में किसी भी तरीके से मौजूदा सदस्यों के दायित्व को नहीं बढ़ाना चाहिए।

2.3.4 खंदक वाक्य (Entrenchment Clause)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 5(3) के तहत **आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन** में खंदक वाक्य के प्रावधान को शामिल कर सकती है। खंदक वाक्य उस प्रभाव को संदर्भित करता है, जिसे कंपनी अपने कुछ प्रावधानों पर लागू करने के लिए चुन सकती है। इन प्रावधानों को, तब निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद ही बदला जा सकता है, जो 2/3 के बहुमत वाले विशेष प्रस्ताव के सामान्य पारित होने से अधिक प्रतिबंधात्मक हैं। खंदक वाक्य में प्रावधान को बदलना असंभव है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 5(4) और (5) के तहत, कंपनी के निगमन के दौरान या बाद में कंपनी के AOA में संशोधन के माध्यम से कंपनी AOA में खंदक वाक्य को शामिल कर सकती है।

यदि निगमन के बाद इस तरह के प्रावधान को इसके **आर्टिकल** में शामिल करने का इरादा है, तो निर्धारित तरीके से सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। निजी कंपनी के मामले में, कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है और 'सार्वजनिक कंपनी' के मामले में विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों की सहमति आवश्यक है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि **आर्टिकल** के किसी भी संशोधन के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, चाहे वह निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी (धारा 14(1) के तहत)।

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

टिप्पणी


2.3.5 ROC को सूचना (Inform to ROC)

कंपनियों के नियम 10 (निगमन) नियम 2014 के अनुसार जहाँ **आर्टिकल** में खंडक के लिए प्रावधान हैं, कंपनी फॉर्म INC-2 या फॉर्म INC-7 में **आर्टिकल** के गठन या संशोधन की तारीख से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को नोटिस देगी।

जहाँ एक मौजूदा कंपनी के **आर्टिकल** में खंडक को शामिल करने के लिए बदल दिया गया है, वहाँ प्रवेश की सूचना कंपनी के नियमों 2014 में प्रदान की गई फीस के साथ लेखों के प्रवेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर फॉर्म MGT -14 में दर्ज की जाएगी।

खंडक प्रावधान का प्रभाव

खंडक प्रावधान **आर्टिकल** को बहुत मजबूत स्थिति में रखता है। इस प्रावधान के प्रभाव को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं:



चित्र क्र. 2.4

इस सदस्यता के लिए एग्रीमेन्ट की शर्तों को निष्पादित किया जाता है।

प्राइवेट लिमिटेड XY उद्यम की सहमति के बिना कुछ लेनदेन कर सकता है जो है: शेयर जारी करना, सीमा से अधिक उधार लेने वाली नई सहायक कंपनियों का निर्माण। वास्तविक जीवन में इन अधिकारों को प्रभावी अधिकार (सकारात्मकता अधिकार) कहा जाता है जो किसी भी निजी इक्विटी निवेशक को दिए जाते हैं। अनुबंध के एक भाग के रूप में ये अधिकार ABC प्राइवेट लिमिटेड के **आर्टिकल** में शामिल हैं।

प्रभावी अधिकार:

बाहरी लोगों को भी इन अधिकारों के बारे में पता है: उदाहरण के लिए।


अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड ऋण के लिए किसी भी बैंक से संपर्क करता है, तो बैंक अधिकारी **आर्टिकल** पढ़ेंगे और XY उद्यम की सहमति प्राप्त करने के लिए कहेंगे।

टिप्पणी

2.3.6 आर्टिकल को बदलने की शक्ति पर सीमाएँ (Limitations on the Power to Change Articles)

- परिवर्तन को मेमोरेण्डम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेमोरेण्डम **आर्टिकल** को उलट देता है, और टकराव की स्थिति में मेमोरेण्डम प्रबल होगा।
- परिवर्तन कंपनी अधिनियम या किसी अन्य कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मेमोरेण्डम और कंपनी के **आर्टिकल** दोनों को उलट देता है।
- ट्रिब्यूनल के नियमों, परिवर्तनों या सुझावों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
- परिवर्तन सार्वजनिक नीति के साथ अवैध या उल्लंघन में नहीं हो सकता है। इसके अलावा, यह कंपनी के लाभ और हित के लिए होना चाहिए। परिवर्तन अल्पसंख्यक पर एक धोखाधड़ी का गठन करने का प्रयास नहीं हो सकता है और कंपनी के समग्र रूप से लाभ के लिए होना चाहिए।
- किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए किया गया कोई भी फेरबदल तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि ट्रिब्यूनल से अपेक्षित मंजूरी नहीं मिल जाती।
- एक कंपनी तीसरे पक्ष के साथ अनुबंध के उल्लंघन को छिपा देना या सुधारने के लिए या संविदात्मक देयता से बचने के लिए परिवर्तन का उपयोग नहीं कर सकती है।
- एक कंपनी निदेशक मंडल के एक सदस्य को निष्कासित करने के उद्देश्य से अपने **आर्टिकल** को बदल नहीं सकती है, क्योंकि यह कंपनी न्यायशास्त्र के खिलाफ है और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है।

वुड बनाम ओडेसा वाटरवर्क्स कंपनी के मामले में, वाटरवर्क्स कंपनी के लेखों ने कहा कि निदेशक सदस्यों को एक सामान्य बैठक में कंपनी की मंजूरी के साथ, सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश की घोषणा कर सकते हैं। हालाँकि, शेयरधारकों को नकद में लाभांश का भुगतान करने के बजाय उन्हें डिबेंचर बाण्ड देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह अंततः अदालत द्वारा आयोजित किया गया था, कि "भुगतान" शब्द को नकद में भुगतान करने के लिए संदर्भित किया गया था और इस प्रकार निदेशकों को पारित होने पर कार्य से रोक दिया गया था।



चित्र क्र. 2.5: आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

Source: <https://legodesk.com/legopedia/contents-of-articles-of-association/>

2.3.7 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच अंतर (Difference between Memorandum of Association and Article of Association)

मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन	आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
यह एक कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है और उनका परिसीमन करता है। इसके अलावा, यह निगमन की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।	यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियमों और विनियमों का पालन करता है। इसलिए, इसमें कंपनी के उपनियम भी शामिल हैं।
यह बाहरी दुनिया के साथ कंपनी के संबंध को परिभाषित करता है।	यह कंपनी और उसके सदस्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है।
इसे विशेष परिस्थितियों में ही बदला जा सकता है। इसके अलावा, इसे आमतौर पर क्षेत्रीय निदेशक या ट्रिब्यूनल की अनुमति की आवश्यकता होती है।	इसे एक विशेष प्रस्ताव पारित करके बदला जा सकता है।
MOA के दायरे से परे अधिनियम अल्ट्रा वायर्स और निरर्थक हैं। इसके अलावा,	अधिनियम जो AOA के अल्ट्रा वायर्स हैं, शेयरधारकों के एक विशेष प्रस्ताव द्वारा

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

टिप्पणी

टिप्पणी

सभी शेयरधारकों की सर्वसम्मति से भी इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।	मंजूर किया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के कृत्यों को MOA के अल्ट्रा वायर्स नहीं होना चाहिए
मेमोरेण्डम में कंपनी अधिनियम के विपरीत प्रावधान शामिल नहीं हो सकते। ज्ञापन केवल कंपनी अधिनियम के लिए सहायक है।	आर्टिकल में मेमोरेण्डम के विपरीत प्रावधान शामिल नहीं हो सकते। आर्टिकल कंपनी अधिनियम और ज्ञापन दोनों के लिए सहायक है।

2.3.8 परोक्ष सूचना/आन्वयिक सूचना का सिद्धांत (Doctrine of Constructive Notice)

जब किसी भी कंपनी के मेमोरेण्डम और **आर्टिकल** ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ पंजीकृत होते हैं, तो वे अधिनियम के खंड 399 के अनुसार "सार्वजनिक दस्तावेज" बन जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आम जनता का कोई भी सदस्य निर्धारित शुल्क पर इन दस्तावेजों को देख सकता है और उनका निरीक्षण कर सकता है। जनता का एक सदस्य एक विशिष्ट कंपनी से अनुरोध कर सकता है और कंपनी, बदले में, सात दिनों के भीतर उस व्यक्ति को मेमोरेण्डम, आर्टिकल और सभी समझौतों और प्रस्तावों की एक प्रति भेजती है जो कि अधिनियम की धारा 117(1) में उल्लिखित हैं।

यदि कंपनी या उसके अधिकारी या दोनों, अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो प्रत्येक डिफॉल्ट अधिकारी हर दिन के लिए ₹ 1,000 के जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि डिफॉल्ट जारी रहे या ₹ 1,00,000 जो भी कम हो।

इसलिए, कंपनी के साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इन सार्वजनिक दस्तावेजों का निरीक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि कंपनी के कामकाज दस्तावेजों के अनुरूप हैं। भले ही किसी व्यक्ति ने वास्तव में दस्तावेजों को पढ़ा हो या नहीं, यह माना जाता है कि वह इन दस्तावेजों की सामग्री से परिचित है और यह कि उन्होंने उन्हें उनके उचित अर्थ में समझा है। मेमोरेण्डम और **आर्टिकल** ऑफ एसोसिएशन को इस प्रकार जनता के लिए नोटिस के रूप में समझा जाता है, इसलिए 'परोक्ष सूचना'।

चित्रण: यदि कंपनी A के **आर्टिकल**, बशर्ते कि विनियम के किसी भी बिल पर कम-से-कम दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और आवेदक को केवल एक हस्ताक्षर किए गए विनियम का बिल प्राप्त होता है, तो उसे राशि का अनुरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

2.3.9 आंतरिक प्रबंध/इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत (Doctrine of Indoor Management)

इनडोर **मैनेजमेंट** के सिद्धांत की भूमिका परोक्ष सूचना के सिद्धांत की भूमिका का विरोध करती है। इनडोर **मैनेजमेंट** के सिद्धांत विभिन्न न्यायिक निर्णयों में निर्धारित परोक्ष सूचना के सिद्धांत से अनुसरण करते हैं। 'नोटिस' के प्रबंधन के तहत

‘नोटिस’ के नियम के तहत एक कंपनी के साथ काम करने वाले बाहरी लोगों के लिए कठिनाइयों को कम करने की माँग की गई है। यह कंपनी के खिलाफ बाहरी लोगों को कुछ सुरक्षा देता है।

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

इस सिद्धांत के अनुसार, कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्ति, एक बार जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि लेन-देन मेमोरेंडम और **आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन** के अनुसार हैं, तो यह पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है कि अनुबंध से संबंधित आंतरिक कार्यवाही का सही तरीके से पालन किया जाता है या नहीं।

उदाहरण के लिए, शेयर होल्डर्स को यह पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आवश्यक बैठक बुलाई गई थी या ठीक से आयोजित की गई थी या क्या आवश्यक समाधान ठीक से पारित किया गया था। वे इसे मानने के हकदार हैं कि कंपनी इन सभी कार्यवाहियों से गुजर चुकी थी।

इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत के अपवाद:

- 1. बाहरी व्यक्ति को अनियमितता का वास्तविक या परोक्ष ज्ञान है:** ऐसे मामलों में, इंडोर प्रबंधन का नियम उक्त कंपनी के साथ काम करने वाले बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
- 2. बाहरी व्यक्ति लापरवाही बरतता है:** इंडोर प्रबंधन का नियम किसी कंपनी के साथ काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा नहीं करता है, यदि वह अनियमितता पर संदेह करने के बावजूद जांच शुरू नहीं करता है। इसके अलावा, यह नियम सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, यदि अनुबंध के आसपास की परिस्थितियां संदिग्ध हैं। **उदाहरण के लिए**, यदि किसी अधिकारी को अपने अधिकार के दायरे से बाहर कार्य करने का अधिकार है, तो बाहरी व्यक्ति को संदेह होना चाहिए।
- 3. जालसाजी:** इंडोर प्रबंधन का सिद्धांत अनियमितताओं पर लागू होता है जो जालसाजी को छोड़कर लेन-देन को प्रभावित करता है। जालसाजी के मामले में, लेन-देन को अशक्त और निरर्थक माना जाता है।

न्याय दृष्टांत

- 1. मॉंटारी ओवरसीज लिमिटेड बनाम मॉंटारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड** में यह आयोजित किया गया था कि नामों के बीच पर्याप्त स्तर की समानता थी और प्रतिवादी को पास होने के लिए उत्तरदायी होगा।

एक कंपनी ऐसे नाम का उपयोग नहीं कर सकती है जो नाम और प्रतीक (दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम, 1950) के तहत निषिद्ध है या सरकार या राज्य संरक्षण के संबंध में विचारोत्तेजक नाम का उपयोग करती है।

- 2. के. लीला कुमार बनाम भारत सरकार** के मामले में, न्यायालय ने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अधिनियम, 1956 के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता है, हालांकि कई मामलों में एसोसिएशन के लेख

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

व्यक्तिगत मामलों से निपटते हैं और उपरोक्त आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

3. **शिवशनमुगम बनाम बटरफलाई मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड** में, अदालत ने कहा कि जहाँ वस्तु खंड प्रदान करता है कि कंपनी किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी साझेदारी में प्रवेश कर सकती है जो कंपनी को लाभान्वित कर सकती है, यह माना गया कि इसने कंपनी को वस्त्र विनिर्माण के लिए साझेदारी में प्रवेश करने में सक्षम बनाया।
4. **NBFC इंडिया लिमिटेड बनाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज** में, कोर्ट ने माना कि एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक कंपनी गतिविधियों में लिप्त थी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में उल्लेखित नहीं थी, ज्ञान की तारीख के छह महीने के भीतर दायर किया जाना था।
5. **हटन बनाम स्कारबोरो विलफ होटल कंपनी** में, एक कंपनी की आम बैठक में पारित एक प्रस्ताव ने वरीयता शेयरों को जारी करने के लिए लेख सम्मिलित किए जो कि ज्ञापन में मौजूद नहीं थे। यह नायक निष्क्रिय था। हालांकि, **एंड्रयूज बनाम गैस मीटर कंपनी लिमिटेड** के बाद यह दृश्य बदल गया है जहाँ एक कंपनी को वरीयता शेयरों को जारी करने के लिए लेख बदलकर अनुमति दी गई थी जब इसका ज्ञापन बिंदु पर चुप था। एक्ट में बदलाव की शक्ति केवल उस चीज के अधीन है जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से ज्ञापन में निषिद्ध है।
6. **एशबरी रेलवे कैरिज और रिचे बनाम आयरन कंपनी लिमिटेड** के मामले में, न्यायाधीशों ने खुद को प्रदर्शित करने वाले लेख खोले, जो संघ के ज्ञापन के लिए सहायक है। लेख कंपनी के समावेश के संविधान के रूप में एसोसिएशन के उस ज्ञापन को स्वीकार करते हैं, और ज्ञापन की उस प्रकृति को स्वीकार करने के बाद, लेख आगे कंपनी के अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों को समग्र रूप से और खुद के बीच परिभाषित करते हैं। लेख में आगे मोड और फॉर्म के बारे में बात की गई है जिसमें कंपनी को चलाना है और किस तरीके से कारोबार करना है। व्यवसाय कंपनी के आंतरिक नियमों के संबंध में है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं। न्यायाधीशों ने ज्ञापन पर कुछ प्रकाश डाला, क्योंकि इसमें कंपनी के कार्यों और शक्ति को शामिल किया गया है, जो एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकता है और उस सीमा के भीतर शेयर धारकों को कंपनी के सुशासन के लिए इस तरह के विनियमन करना होगा जो उन्हें उचित लगे।
7. **नरेश चंद्र सान्याल बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड** के मामले में यह देखा गया, लेख मुख्य रूप से कंपनी के आंतरिक विनियमन को कवर करते हैं और आंतरिक प्रबंधन को कैसे कार्य करना चाहिए, यह सदस्यों के अधिकारों को परिभाषित करने के माध्यम से करता है और कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच एक प्रकार का अनुबंध

स्थापित करता है। अनुबंध मुख्य रूप से कंपनी के सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है।

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

टिप्पणी

8. **काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम साधना गादिया** के मामले में, यह माना जाता था कि किसी कंपनी के संघ के लेखों को कानून नहीं कहा जाता है और इसमें कानून का बल नहीं होता है। कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा आगे आयोजित किया गया था, यदि ज्ञापन या एसोसिएशन के लेखों का कोई प्रावधान किसी भी कानून के किसी भी अनुभाग के विपरीत है, तो लेख या ज्ञापन अमान्य भी होंगे।

9. **वी.बी. रंगराज बनाम वी.बी. गोपालकृष्णन और अन्य** के मामले में, निर्णय के लिए मुख्य सवाल यह था कि क्या शेयर धारक आपस में किसी भी अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं जो एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के विपरीत हैं। अदालत ने कहा कि उक्त मुद्दा जिसे कंपनी के ज्ञापन में अनुमति नहीं है, वे कैसे आपस में अनुबंध कर सकते हैं। इसलिए, अदालत ने कहा कि वे एक अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जिसकी अनुमति नहीं है या दोनों लेखों और एसोसिएशन के ज्ञापन के साथ असंगत है। एक कंपनी के संघ के लेखों को हमेशा संघ के ज्ञापन के खंड का अनुपालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लेखों में बताई गई वस्तुओं को बढ़ाया नहीं जा सकता है जो कंपनी के ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है।

सुप्रीम कोर्ट ने वी.बी. रंगराज बनाम वी.बी. गोपालकृष्णन के मामले में, इस संबंध में कहा कि शेयरधारकों के बीच एक निजी समझौता तब तक कंपनी को बाध्य नहीं करेगा जब तक कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इस तरह की सीमाएँ प्रदान नहीं करता है, क्योंकि शेयर चल संपत्ति हैं और उनका स्थानांतरण कंपनी के लेखों द्वारा विनियमित किया जाता है और इस तरह के एक समझौते पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेख के प्रावधानों के विपरीत, वह शेयर धारक और कंपनी (वर्तमान मामले में कंपनी के अनुच्छेद 13 के अनुसार) पर बाध्यकारी नहीं होगा। इसलिए, शेयर धारक कंपनी के संघ के लेखों के विपरीत एक समझौते में प्रवेश नहीं कर सकता है, यदि अधिनियम प्रदान करता है कि लेख कंपनी और उसके शेयरधारकों पर बाध्यकारी कंपनी के नियम हैं। इसी तरह, कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के MOA के साथ समझौते का खंड आवश्यक है अन्यथा यह शून्य और बाध्यकारी नहीं है। एंट्रेंस क्लॉज द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय उनकी वैधता के बारे में कई कानूनी मुद्दों को उठाएंगे और इस तरह की वैधता के तर्क के लिए आधार बहस का विषय है।

10. **माधव रामचंद्र कामथ बनाम केनरा बैंकिंग कॉरपोरेशन** के मामले में, एक प्रस्ताव पारित करने के लिए एक सदस्य को निष्कासित करने और निदेशक को अपने शेयरों के हस्तांतरण के बिना पंजीकरण करने के लिए अधिकृत करता है, अदालत ने अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ होने

टिप्पणी

के रूप में अमान्य होने का प्रस्ताव रखा। इसलिए, ऐसा किया गया परिवर्तन कंपनी अधिनियम या किसी अन्य क़ानून के प्रावधानों के विपरीत नहीं होना चाहिए।

11. **एलन बनाम गोल्ड रीफ्स वेस्ट अफ्रीका लिमिटेड** के मामले में, कंपनी का सभी शेयरों पर ऋण था, कंपनी के कारण कॉल के लिए पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया था। एलन नाम का केवल एक शेयरधारक था जो पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों का मालिक था। उन्होंने कंपनी में आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों को भी रखा। एलन के मरने के बाद, कंपनी ने अपने लेखों को बदलकर कमीशन को "पूरी तरह से भुगतान किया" हटा दिया और इस तरह सभी शेयरों पर खुद को एक धारणाधिकार दे दिया कि पूरी तरह से भुगतान किया गया है या नहीं। इस तरह के परिवर्तन को, इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव था। न्यायालय ने माना कि यह परिवर्तन एक-पक्षीय था और कंपनी के लाभ के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव था। इसलिए, परिवर्तन को पूरी तरह से होना चाहिए और कंपनी को समग्र रूप से लाभान्वित करना चाहिए और अगर इस तरह के परिवर्तन एक व्यक्तिगत शेयरधारक पर कठिनाई का सामना करता है, तो यह कंपनी के लाभ के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए।
12. **मातृभूमि मुद्रण और प्रकाशन कंपनी लिमिटेड बनाम वर्धमान पब्लिशिंग लिमिटेड** के मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि विशेष संकल्प द्वारा लेख को बदलने के लिए कंपनी धारा 31 पर दी गई शक्ति को शेयरधारकों के बहुमत द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक पर अत्याचार न किया जा सके। न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि कोई भी अंशधारक लेखों को पूर्वव्यापी रूप से बदलकर, शेयरों के सहमति मालिकों के पूर्वाग्रह को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए, ऐसा परिवर्तन, जो संपूर्ण रूप से कंपनी के लाभ के लिए नहीं है, लेकिन अधिकांश शेयरधारकों के लिए है, बुरा होगा और पूर्व के अनुचित लाभ को देने के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को जन्म नहीं देना चाहिए। यह भी देखा गया है कि एक कंपनी किसी भी व्यक्ति के साथ अपने लेखों में केवल फेरबदल करके अपने संविदात्मक बंधन से नहीं हार सकती या बच नहीं सकती है। कंपनी हमेशा किसी भी व्यक्ति के साथ प्रवेश करने वाले अनुबंध के उल्लंघन में परिवर्तन के परिणाम के लिए नुकसान के लिए उत्तरदायी होगी।
13. **स्कॉटिश को-ऑपरेटिव होलसेल सोसायटी लिमिटेड बनाम मेयर** के मामले में, अपीलकर्ता कंपनी और रेयान व्यापार में प्रवेश करने के इच्छुक सहकारी समिति मेयर ने एक सहायक कंपनी का गठन किया, जो रेयान सामग्री का निर्माण और बिक्री करने में सक्षम थी, जिसके लिए तब लाइसेंस की आवश्यकता थी। दो उत्तरदाताओं, मेयर और लुकास को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था और जारी किए गए शेयरों में लगभग

आधा हिस्सा लिया था। शेष समाज द्वारा आयोजित किया गया था, जिसने तीन नामित निदेशकों को नियुक्त किया था।

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

कंपनी और सोसायटी ने एक योजना के तहत सहयोग किया, जिसके तहत सोसायटी ने रेयान यार्न खरीदा, कपड़े को लुभाने और रंगाई और परिष्करण के लिए कंपनी को बेच दिया, कंपनी समाज की मिल पर अपनी आपूर्ति पर निर्भर रही। इस व्यवस्था के तहत, कंपनी कई वर्षों तक समृद्ध रही। हालाँकि, 1951 में समाज और उत्तरदाताओं के बीच एक महत्वपूर्ण विवाद शेयरहोल्डिंग के प्रस्तावित पुनः स्थापन को लेकर पैदा हुआ। उत्तरदाताओं के लिए नाखुश, इस समय के बारे में किरण लाइसेंसिंग नियंत्रण हटा दिए गए थे ताकि समाज को अब उन्हें यार्न की आपूर्ति प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और कार्य करने में सक्षम एक विभाग के भीतर ही आगे बढ़े। समाज तब अपने स्वयं के विभाग को अपनी मिल द्वारा उत्पादित सामग्री को बदलने और उच्च और गैर-प्रतिस्पर्धी कीमतों पर छोड़कर कंपनी को सामग्री के साथ आपूर्ति करने से इनकार करके कंपनी को नष्ट करने के लिए तैयार करता है। नामांकित निर्देशक, हालांकि इस नीति से अवगत थे, उन्होंने उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किया, लेकिन "मास्टर निष्क्रियता" बनाए रखा। नतीजतन, व्यापार एक ठहराव पर आ गया और इसके शेयरों का मूल्य बहुत कम हो गया। 1953 में, उत्तरदाताओं ने धारा 210 के तहत एक याचिका प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने समाज को प्रति शेयर पाउंड 3/15/0 पर प्रति शेयर खरीदने का आदेश दिया। यह आदेश सर्वसम्मति से हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पुष्टि की गई थी।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

7. इनडोर प्रबंधन का सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का एक _____ है।
(क) अपवाद (ख) विस्तार
(ग) वैकल्पिक (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
8. _____ कंपनियों के अपने आर्टिकल होने चाहिए।
(क) सरकारी कंपनियाँ (ख) असीमित कंपनियाँ
(ग) शेयरों द्वारा सीमित कंपनियाँ (घ) पंजीकृत कंपनियाँ
9. किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियम और कानून इसके _____ में निहित हैं।
(क) प्रॉस्पेक्टस (ख) वार्षिक रिपोर्ट
(ग) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (घ) आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
10. निम्नलिखित में से किस दस्तावेज को पूर्वव्यापी प्रभाव से बदला जा सकता है?
(क) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (ख) प्रॉस्पेक्टस।
(ग) आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (घ) प्रॉस्पेक्टस के एवज में बयान

2.4 प्रविवरण (Prospectus)

टिप्पणी

प्रॉस्पेक्टस कंपनी द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो जनता और निवेशकों को इसकी प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए आमंत्रित करता है। एक प्रॉस्पेक्टस कंपनी में निवेश के जोखिम के बारे में निवेशकों को सूचित करने में भी मदद करता है। कंपनी के निगमन के बाद ही प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाना आवश्यक है। ये दस्तावेज कंपनी द्वारा प्रस्तुत स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों का वर्णन करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों संभावित ग्राहकों को एक प्रॉस्पेक्टस प्रदान करती हैं, जिसमें पैसे की रणनीतियाँ, प्रबंधक की पृष्ठभूमि, फंड की फीस संरचना और फंड के वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट शामिल होती है। प्रॉस्पेक्टस हमेशा कंपनी के प्रदर्शन इतिहास और वित्तीय जानकारी के साथ होता है। प्रॉस्पेक्टस के साथ इस तरह की जानकारी के साथ आने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक कंपनी की पृष्ठभूमि और समग्र प्रदर्शन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और निवेशक खराब कंपनी में निवेश के शिकार नहीं होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 2(70) के तहत एक प्रॉस्पेक्टस को परिभाषित करता है। प्रॉस्पेक्टस को "किसी भी दस्तावेज के रूप में परिभाषित या जारी किया गया है जो एक प्रॉस्पेक्टस" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें किसी भी नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज को जनता से ऑफर के निमंत्रण के रूप में कार्य करना भी शामिल है। कॉर्पोरेट निकाय की किसी भी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए इस तरह का निमंत्रण देना चाहिए। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को भी प्रॉस्पेक्टस माना जाता है।



चित्र क्र. 2.6: प्रोस्पेक्टस

2.4.1 प्रोस्पेक्टस के प्रकार (Types of Prospectus)

1. शोल्फ प्रॉस्पेक्टस

शोल्फ प्रॉस्पेक्टस को एक प्रॉस्पेक्टस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी भी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, कंपनी या बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के एक या अधिक मुद्दों या प्रतिभूतियों के वर्ग के लिए जारी किया गया है जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित है। जब एक शोल्फ प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, तो जारीकर्ता को प्रत्येक प्रस्ताव के लिए एक अलग प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह कोई और प्रॉस्पेक्टस जारी किए बिना प्रतिभूतियों की पेशकश या बिक्री कर सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31 के तहत शोल्फ प्रॉस्पेक्टस से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की गई है।

किसी भी वर्ग या कंपनियों के वर्ग के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा नियम प्रदान किए जाने हैं जो रजिस्ट्रार को प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव के चरण में एक शोल्फ प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर सकते हैं।

प्रॉस्पेक्टस की वैधता अवधि निर्धारित करेगा और यह एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अवधि प्रतिभूतियों के पहले प्रस्ताव की प्रारंभिक तिथि से शुरू होती है। किसी भी दूसरे या आगे के प्रस्ताव के लिए, कोई अलग प्रॉस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं है।

शोल्फ प्रॉस्पेक्टस फाईल करते समय, एक कंपनी को इसके साथ एक सूचना ज्ञापन दाखिल करना आवश्यक है।

2. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस वह प्रॉस्पेक्टस है जिसमें प्रतिभूतियों की कीमत की मात्रा के बारे में पूर्ण विवरण का अभाव होता है। जब कंपनी प्रतिभूतियों की पेशकश करने का प्रस्ताव कर रही है, तो प्रॉस्पेक्टस के मुद्दे से पहले एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है। प्रतिभूतियों की प्रस्थापना करने वाली कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी करने से पूर्व रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकेगी।

सदस्यता सूची या प्रस्ताव के खुलने से कम-से-कम तीन दिन पहले इस प्रकार के प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होगा। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस द्वारा किए गए दायित्व प्रॉस्पेक्टस के समान हैं। यदि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और प्रॉस्पेक्टस के बीच कोई भिन्नता है, तो इसे प्रॉस्पेक्टस में बदलाव के रूप में हाईलाइट किया जाना चाहिए।

जब प्रतिभूतियों के प्रस्ताव बंद हो जाते हैं, तो प्रॉस्पेक्टस की कुल पूँजी को या तो ऋण या शेयर पूँजी के माध्यम से उठाया जाता है। इसे प्रतिभूतियों के समापन मूल्य को भी बताना होगा। प्रॉस्पेक्टस में शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य विवरण को रजिस्ट्रार और SEBI के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता है।

टिप्पणी

टिप्पणी

इस धारा के अधीन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना बंद होने पर, प्रास्पेक्टस उसमें कुल जुटाई गई पूँजी का कथन करते हुए, चाहे वह ऋण या शेयर पूँजी के रूप में प्राप्त की हो तथा प्रतिभूतियों की अंतिम कीमत और कोई अन्य ब्यौरे, जो रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, रजिस्ट्रार और किसी सूचीबद्ध कंपनी की दशा में रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के पास भी फाइल किए जाएंगे।

3. संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस

संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के समक्ष दायर एक प्रॉस्पेक्टस का सारांश है। इसमें प्रॉस्पेक्टस की सभी विशेषताएँ हैं। एक संक्षिप्त प्रॉस्पेक्टस में प्रॉस्पेक्टस की सभी जानकारी संक्षिप्त में होती है, ताकि निवेशक के लिए वह सभी उपयोगी जानकारियों को संक्षेप में जानना सुविधाजनक और त्वरित हो जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 33(1) में यह भी कहा गया है कि जब किसी कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद के लिए कोई फॉर्म जारी किया जाता है, तो उसे एक संक्षिप्त विवरणिका के साथ होना चाहिए।

इसमें सभी उपयोगी और भौतिकवादी जानकारी होती है ताकि निवेशक तर्कसंगत निर्णय ले सके और यह पूँजी के सार्वजनिक निर्गम की लागत को भी कम करता है, क्योंकि यह एक प्रॉस्पेक्टस का संक्षिप्त रूप है।

4. डीमड प्रॉस्पेक्टस

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 25(1) के तहत डीमड प्रॉस्पेक्टस समझाया गया है।

जब कोई भी कंपनी जनता को बिक्री के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश करती है, तो प्रतिभूतियों को आबंटित करने या उनसे सहमत होने के लिए, दस्तावेज़ को एक डीमड प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा, जिसके माध्यम से बिक्री के लिए जनता के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है। दस्तावेज़ को सभी उद्देश्यों के लिए एक कंपनी का प्रॉस्पेक्टस माना जाता है और प्रॉस्पेक्टस की अंतर्वस्तु और देनदारियों के सभी प्रावधान इसके लिए लागू किए जाएंगे।

कंपनी जिनको प्रॉस्पेक्टस जारी करना आवश्यक है:

- एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी जो शेयर या डिबेंचर की प्रस्ताव का इरादा रखती है, प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है।
- एक निजी कंपनी जिसे जनता को अपने शेयर की सदस्यता के लिए आमंत्रित करने से प्रतिबंधित है और इस प्रकार प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है। हालाँकि, एक निजी कंपनी जिसने खुद को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया है, वह जनता को शेयर पेश करने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है।

2.4.2 प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने और जारी करने की प्रक्रिया (Process of Registering and Issuing Prospectus)

पार्षद सीमा नियम, पार्षद
अंतर्नियम एवं प्रविवरण...

1. आवेदन पत्र

जैसा कि धारा 33 के तहत कहा गया है, प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र केवल तभी जारी किया जाता है जब उन्हें ज्ञापन के साथ प्रॉस्पेक्टस की सभी विशेषताओं के साथ एक संक्षिप्त विवरणिका के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इस नियम के अपवाद हैं:

- जब किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के संबंध में समझौते में प्रवेश करने के निमंत्रण के रूप में एक आवेदन पत्र जारी किया जाता है।
- जनता के लिए पेश नहीं की गई प्रतिभूतियों के लिए जारी किया गया आवेदन।

2. अंतर्वस्तु

किसी सार्वजनिक कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को दाखिल करने और जारी करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर किए और दिनांकित होने चाहिए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 26 के तहत बताई गई सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए:

1. कार्यालय का नाम और पंजीकृत पता, उसके सचिव, लेखा परीक्षक, कानूनी सलाहकार, बैंकर, ट्रस्टी, आदि।
2. इशू के खुलने और बंद होने की तारीख।
3. अलग-अलग बैंक खातों के बारे में निदेशक मंडल के बयान जहाँ इशू की प्राप्तियों को रखा जाना है।
4. पिछले इशू की प्राप्तियों के उपयोग और गैर-उपयोग के विवरण के बारे में निदेशक मंडल का वक्तव्य।
5. निर्देशकों, ऑडिटर्स, बैंकरों से इस इशू पर सहमति, विशेषज्ञ की राय।
6. इशू के लिए प्राधिकरण और इसके लिए पारित प्रस्ताव का विवरण।
7. प्रतिभूतियों के आबंटन और जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और समय।
8. निर्धारित तरीके से पूँजी संरचना।
9. सार्वजनिक प्रस्ताव का उद्देश्य।
10. व्यवसाय का उद्देश्य और उसका स्थान।
11. विशेष परियोजना के जोखिम कारकों, परियोजना पूरी होने की अवधि, किसी भी लंबित कानूनी कार्रवाई और परियोजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण से संबंधित विवरण।
12. न्यूनतम सदस्यता और प्रीमियम पर कौन-सी राशि देय है।

टिप्पणी

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

13. निदेशकों का विवरण, उनका पारिश्रमिक और कंपनी में उनकी रुचि की सीमा।
14. वित्तीय जानकारी के उद्देश्य से रिपोर्टें जैसे कि, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, लाभ और नुकसान की पांच वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट, व्यवसाय और लेन-देन की रिपोर्ट, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन का बयान और कोई अन्य रिपोर्ट।

3. रजिस्ट्रार के पास कॉपी दाखिल करना

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 26 की उप-धारा 4 के तहत कहा गया है, प्रॉस्पेक्टस किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से जारी नहीं किया जाना है, जब तक कि प्रकाशन की तारीख पर या उससे पहले, प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति रजिस्ट्रार को वितरित नहीं की जाती है।

प्रतिलिपि को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में निदेशक या प्रस्तावित निदेशक या उसकी ओर से निर्दिष्ट एटॉर्नी के रूप में उल्लेख किया गया है।

4. रजिस्ट्रार को प्रॉस्पेक्टस की प्रति का वितरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26(6) के अनुसार, प्रॉस्पेक्टस में उल्लेख करना चाहिए कि इसकी प्रति रजिस्ट्रार को वितरित की गई है। विवरण में प्रॉस्पेक्टस की कॉपी के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत दस्तावेज का भी उल्लेख होना चाहिए।

5. प्रॉस्पेक्टस का पंजीकरण


धारा 26 (7) रजिस्ट्रार द्वारा प्रॉस्पेक्टस के पंजीकरण के बारे में बताता है। इस खंड के अनुसार, रजिस्ट्रार एक प्रॉस्पेक्टस पंजीकृत कर सकता है जब:

1. यह इस खंड की आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात्, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 26; तथा
2. इसमें लिखित रूप में प्रॉस्पेक्टस में नामित सभी व्यक्तियों की सहमति शामिल है।
3. पंजीकरण के बाद प्रॉस्पेक्टस जारी करना।

यदि जिस दिन एक प्रति रजिस्ट्रार के पास पहुँचाई गई थी, उस तारीख से 90 दिनों से पहले एक प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं किया जाता है, तो इसे अमान्य माना जाता है।

2.4.3 प्रॉस्पेक्टस में गलत विवरण (Misstatement in Prospectus)

पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम एवं प्रविवरण...



टिप्पणी

चित्र क्र. 2.7: प्रॉस्पेक्टस के गलतकरण के लिए देनदारियाँ

Source: www.brainkart.com

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 26

यदि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत प्रावधान के उल्लंघन में एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है, तो कंपनी को धारा 26(9) के तहत दंडित किया जा सकता है। उल्लंघन के लिए सजा है:

- जुर्माना 50,000 से 3,00,000 तक हो सकता है।
- 3 साल की अवधि तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों।

2. प्रॉस्पेक्टस में गलत विवरण के लिए आपराधिक दायित्व

जहाँ एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है, जिसमें कोई भी बयान शामिल होता है जो फार्म या संदर्भ में असत्य या भ्रामक होता है या किसी भी मामले में निवेशक को गुमराह करने की संभावना होती है, तो प्रॉस्पेक्टस के मुद्दे को प्राधिकृत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास के साथ दंडनीय होगा जो छह महीने से कम नहीं हो सकता है, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है; या धोखाधड़ी में शामिल राशि से कम नहीं, लेकिन यह धोखाधड़ी की राशि का तीन गुना तक बढ़ सकता है; या दोनों के साथ।

3. प्रॉस्पेक्टस में गलत विवरण के लिए नागरिक दायित्व

यदि जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस में किसी भी मामले का कोई समावेश या चूक है, जो भ्रामक है और जिस व्यक्ति ने प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब किया है, उसे कोई नुकसान या क्षति हुई है, तो कंपनी और प्रत्येक व्यक्ति जो प्रॉस्पेक्टस जारी करते समय एक निदेशक, प्रमोटर और विशेषज्ञ है, जिम्मेदार होगा और अधिनियम की

धारा 36 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा, और इस तरह के नुकसान या क्षति को सहने वाले हर व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

11. जब एक प्रोस्पेक्टस में एक असत्य बयान होता है जो मुकदमा कर सकता है।
(क) प्राथमिक बाजार में सब्सक्राइब हुआ
(ख) द्वितीयक बाजार में सदस्यता ली
(ग) (क) और (ख) दोनों
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
12. निम्नलिखित में से किसे प्रॉस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं है?
(क) निजी कंपनी (ख) सही मुद्दे का बढ़ना
(ग) उद्यम इक्विटी (घ) उपरोक्त सभी
13. प्रोस्पेक्टस की परिभाषा किस सेक्शन के तहत दी गई थी।
(क) 2(70) (ख) 2(72)
(ग) 2(74) (घ) 2(76)
14. _____ पूरी प्रॉस्पेक्टस के बजाय जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस
(क) संक्षिप्त (ख) शैल्फ
(ग) रेड हेरिंग (घ) उपरोक्त सभी

2.5 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1. (घ) | 6. (ख) | 11. (क) |
| 2. (ग) | 7. (ख) | 12. (घ) |
| 3. (ग) | 8. (ख) | 13. (क) |
| 4. (घ) | 9. (घ) | 14. (क) |
| 5. (क) | 10. (ग) | |

2.6 सारांश (Summary)

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के लिए प्रमुख महत्व का दस्तावेज है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों, अधिकार की सीमा, योग्यता, दायित्व और कानूनी अधिकारों को दर्शाया गया है। मेमोरेण्डम एक कंपनी के लिए एक कानूनी कोड या संविधान के रूप

टिप्पणी

में कार्य करता है और कंपनी और उसके शेयरधारकों, निवेशकों, लाभार्थियों और अन्य सदस्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह वह दस्तावेज है जो कंपनी के साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करता है कि कंपनी क्या करने के लिए बनी है, उसे किस पूँजी के साथ क्या करना है और उसकी राष्ट्रीयता क्या है। यह कंपनी के बाहरी मामलों को नियंत्रित करता है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन संगठन में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। AOA का महत्व कंपनी के वित्तीय मामलों को संभालने, निदेशकों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रबंधन और कंपनी के शेयरधारकों के साथ उनके संबंधों के लिए प्रदान किए जाने वाले महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों में निहित है। संगठन के रूप में कंपनी के कल्याण के लिए और एक संगठन के रूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने में अपने सुचारु कामकाज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन महत्वपूर्ण है।

प्रोस्पेक्टस सीमित कंपनियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, लेकिन इसकी जटिल प्रक्रिया किसी भी व्यवसाय के संचालन में देरी करती है, इसलिए कई संगठन साझा पूँजी और डिबेंचर की सदस्यता के लिए आम जनता को प्रॉस्पेक्टस जारी करने में संकोच करते हैं।

2.7 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- दस्तावेज: आलेख, पत्र, लेख, लेख्य, कागज़
- स्वामित्व: मालिकी
- वैधानिक: विधिक, कानूनी
- अंतर्वस्तु: विषय-सूची
- आकस्मिक: सामयिक, अस्थिर

2.8 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को परिभाषित करें।

Define Memorandum of Association.

2. प्रोस्पेक्टस के प्रकारों का वर्णन करें।

Explain the types of Prospectus.

3. MOA और AOA में क्या अंतर है?

What is the difference between MOA and AOA?

टिप्पणी

4. AOA की अंतर्वस्तु क्या है?

What are the content of AOA?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. MOA के तहत विभिन्न खंड पर चर्चा करें।

Explain the various clauses under MOA.

2. आर्टिकल को कैसे बदला जा सकता है?

How Articles can be changed?

3. प्रॉस्पेक्टस से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें।

Discuss the main provisions related to Prospectus.

2.9 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. Shukla S.M., *Company Adhinyam S/B*, Agra (Hindi and English).
2. Nowlkha Jain and Tripathi, *Company Law*, Universal – Agra (Hindi).
3. Dr. Bajpai and Jain, *Company Law*, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal.
4. Chawla and Garg, *Company Law*, S. Chand and Vikas Publishing House, Delhi.
5. Bagrial A.K., *Company Law*, New Delhi.
6. R.N. Nolakha, *Company Law*, R.B.D. Jaipur.

इकाई 3 शेयर और डिबेंचर (Shares and Debentures)

टिप्पणी

संरचना (Structure)

- 3.0 परिचय
- 3.1 उद्देश्य
- 3.2 अंश
- 3.3 शेयर पूँजी
- 3.4 शेयर पूँजी के प्रकार
 - 3.4.1 अधिमानी अंश पूँजी/प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
 - 3.4.2 साधारण अंश पूँजी/इक्विटी शेयर कैपिटल
- 3.5 प्रतिभूतियों का आबंटन
 - 3.5.1 आबंटन पर वैधानिक प्रतिबंध
 - 3.5.2 शेयर्स के आबंटन के सिद्धांत
 - 3.5.3 निजी तौर पर शेयर आबंटन
 - 3.5.4 डिफॉल्ट के परिणाम
- 3.6 शेयर के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया
 - 3.6.1 हस्तांतरण का साधन
 - 3.6.2 शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित मुख्य प्रावधान
 - 3.6.3 एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर के हस्तांतरण की प्रक्रिया
- 3.7 शेयरों का ट्रांसमिशन
 - 3.7.1 शेयरों के ट्रांसमिशन से संबंधित मुख्य प्रावधान
 - 3.7.2 शेयर के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया
- 3.8 शेयरधारक बनाम कंपनी के सदस्य
- 3.9 ऋणपत्र/डिबेंचर
- 3.10 डिबेंचर के प्रकार
 - 3.10.1 सुरक्षा के आधार पर
 - 3.10.2 कार्यकाल के आधार पर
 - 3.10.3 परिवर्तनीयता के आधार पर
 - 3.10.4 रजिस्ट्री के आधार पर
- 3.11 डिबेंचर जारी करने का प्रावधान
- 3.12 ऋण लेने का अधिकार
 - 3.12.1 बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिबंध
 - 3.12.2 अल्ट्रा वायर्स उधार
- 3.13 बंधक और प्रभार
 - 3.13.1 प्रभार की अवधारणा
 - 3.13.2 प्रभार बनाने के लिए जरूरत है
 - 3.13.3 प्रभार दर्ज करने के लिए कर्तव्य
 - 3.13.4 प्रभार का पंजीकरण
 - 3.13.5 प्रभार न लेने का प्रभाव
 - 3.13.6 प्रभार का संशोधन
 - 3.13.7 उल्लंघन के लिए सजा
- 3.14 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 3.15 सारांश
- 3.16 मुख्य शब्दावली

टिप्पणी

3.0 परिचय (Introduction)

शेयरों द्वारा सीमित हर कंपनी के पास एक शेयर पूँजी होनी चाहिए। किसी कंपनी की शेयर पूँजी से तात्पर्य उस कंपनी में निवेश की गई राशि से है जिसके लिए वह अपना परिचालन करती है। कुछ शर्तों के अधीन शेयर पूँजी को बदल या बढ़ाया जा सकता है। कंपनी की शेयर पूँजी को विभिन्न वर्गों के छोटे शेयरों में विभाजित किया जा सकता है। शेयर पूँजी के विभिन्न वर्ग और इन वर्गों से जुड़े अधिकार अलग-अलग हैं।

एक डिबेंचर कंपनी द्वारा निष्पादित ऋण का एक उपकरण है जो एक निर्धारित दर पर राशि चुकाने के लिए अपने दायित्व को स्वीकार करता है और एक ब्याज भी वहन करता है। यह कंपनी द्वारा ऋण पूँजी जुटाने के तरीकों में से एक है। एक डिबेंचर इस प्रकार है कि ऋण का प्रमाण पत्र या एक ऋण बाँड इस तथ्य को उजागर करता है कि कंपनी ब्याज के साथ एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और हालाँकि डिबेंचर द्वारा उठाया गया पैसा कंपनी की पूँजी संरचना का एक हिस्सा बन जाता है, यह शेयर पूँजी नहीं बनता है।

3.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- शेयर की अवधारणा, शेयर पूँजी और शेयर पूँजी के प्रकार को समझेंगे।
- शेयरों के ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बारे में समझेंगे।
- शेयरधारक और कंपनी के सदस्यों के बीच के अंतर को जानेंगे।
- डिबेंचर और डिबेंचर के प्रकारों के बारे में समझेंगे।
- बंधक और प्रभार की अवधारणा के बारे में जानेंगे।

3.2 अंश (Share)

अंश किसी कंपनी या वित्तीय परिसंपत्ति में स्वामित्व की एकल इकाई है। यह अनिवार्य रूप से एक कंपनी के मूल्य का एक विनिमेय टुकड़ा है जो कई अलग-अलग बाजार कारकों के आधार पर ऊपर या नीचे उतार-चढ़ाव कर सकता है।

कंपनियाँ पूँजी जुटाने के साधन के रूप में पूँजी को अंश में विभाजित करती हैं। शेयर को स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 के संप्रदाय 2 के उप-भाग 84, "शेयर" को "शेयर" के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है शेयर सहित किसी कंपनी की शेयर पूँजी में हिस्सा। शेयर को एक प्रकार की सुरक्षा माना जाता है।

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, किसी कंपनी में किसी भी सदस्य के शेयर चल संपत्ति होंगे। इसे कंपनी के आर्टिकल द्वारा प्रदान किए गए तरीके से हस्तांतरणीय माना जाता है।

अधिनियम की धारा 45 सभी कंपनियों पर एक शेयर पूँजी रखने का आदेश देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के शेयर एक विशिष्ट संख्या से अलग होंगे। यह आवश्यकता, जहाँ एक शेयर उस व्यक्ति के पास होता है, जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी ब्याज के धारक के रूप में दर्ज किया जाता है, लागू नहीं होती है।

शेयर को आम जनता से धन जुटाने के लिए कंपनी द्वारा जारी वित्तीय साधन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। एक शेयर एक निकाय कॉर्पोरेट में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार, एक शेयर कंपनी के कुल शुद्ध मूल्य की सबसे छोटी इकाई है।

3.3 शेयर पूँजी (Share Capital)


पूँजी शब्द का अर्थ आम तौर पर एक विशेष राशि है जिसके साथ एक व्यवसाय शुरू किया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम में, अधिनियम के विभिन्न भागों में विभिन्न अर्थ में इसका उपयोग किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका मतलब कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में लिया गया धन है। वास्तव में, पूँजी उन परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके साथ उपक्रम किया जाता है।

किसी कंपनी के शेयर्स के नाममात्र मूल्य का कुल हिस्सा उसकी शेयर पूँजी के रूप में जाना जाता है। कंपनियों के मामले में, शब्द 'पूँजी' और 'शेयर पूँजी' को पर्यायवाची माना जाता है। पूँजी कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताई जाती है।

3.4 शेयर पूँजी के प्रकार (Types of Share Capital)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 के अनुसार, किसी कंपनी की शेयर पूँजी दो प्रकार की होती है:

टिप्पणी



चित्र क्र. 3.1: शेयर पूँजी के प्रकार

3.4.1 अधिमानी अंश पूँजी / प्रेफरेंस शेयर कैपिटल (Preference Share Capital)

प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी के जारी किए गए शेयर पूँजी का एक हिस्सा है जिसके लिए अधिमान्य अधिकार है:

लाभांश भुगतान: एक निश्चित राशि या एक निश्चित दर पर गणना की गई राशि। यह आयकर के अधीन हो भी सकता है और नहीं भी।

चुकौती: पेड-अप शेयर कैपिटल की राशि के समापन या पुनर्भुगतान के मामले में, किसी भी निश्चित प्रीमियम या प्रीमियम पर किसी भी निश्चित पैमाने पर भुगतान करने का अधिमान्य अधिकार है। कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल उसे निर्दिष्ट करते हैं।

प्रेफरेंस शेयर के प्रकार

1. संचयी या गैर-संचयी: संचयी या साधारण प्रेफरेंस शेयर प्रत्येक वर्ष के लाभ के निश्चित प्रतिशत लाभांश का अधिकार देते हैं। यदि किसी वर्ष में कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाता है, तो लाभ की अनुपस्थिति के कारण, प्रेफरेंस शेयर्स के धारकों को कुछ नहीं मिलता है और न ही वे उस वर्ष के संबंध में बाद के वर्षों या वर्षों में अवैतनिक लाभांश का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, संचयी प्रेफरेंस शेयर धारकों को यह अधिकार है कि वे वितरण के लिए लाभ के उपलब्ध होने के बाद किसी भी वर्ष या वर्षों के दौरान, किसी भी वर्ष में अवैतनिक लाभांश की माँग करें। इस मामले में लाभांश, जो किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता है, जमा किया जाता है और लाभ मिलने पर भुगतान किया जाता है।

2. रिडीमेबल / प्रतिदेय और गैर-प्रतिदेय: रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वे होते हैं जिन्हें कंपनी को उस अवधि के बाद चुकाना होता है जिसके लिए प्रेफरेंस शेयर जारी किए गए हैं। अतुलनीय प्रेफरेंस शेयर का मतलब है वे प्रेफरेंस शेयर जो कि कंपनी द्वारा समापन के अलावा चुकाए नहीं जाते हैं। हालाँकि, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत, कोई कंपनी अतुल्य प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं कर सकती है। वास्तव में, शेयर्स द्वारा सीमित एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं कर सकती है जो कि जारी होने की तारीख से 10 साल से अधिक समय के बाद रिडीम योग्य

हो। दूसरे शब्दों में, प्रेफरेंस शेयर्स का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष है। यदि कोई कंपनी निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स को भुनाने में असमर्थ है, तो यह कंपनी लॉ बोर्ड की सहमति के साथ, लाभांश प्रेफरेंस सहित पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को भुनाने के लिए आगे के रूप में प्रतिदेय प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है।

कंपनी प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है, जो कि शुरुआत से ही एक निश्चित तिथि पर या किसी निश्चित अवधि के बाद 10 वर्ष से अधिक नहीं होने पर प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते उसमें निम्न स्थितियाँ शामिल हों:

इस निर्गम को बनाने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए। शेयर्स को केवल तभी प्रतिदेय जा सकेगा जब वे पूरी तरह से भुगतान किए जाएंगे। शेयर्स को कंपनी के मुनाफे से प्रतिदान किया जा सकता है जो अन्यथा लाभांश के लिए उपलब्ध होगा या शेयर्स के ऐवज में किए गए शेयर्स के नए निर्गम की आय से बाहर होगा। यदि मोचन पर देय प्रीमियम है, तो शेयर्स को प्रतिदान से पहले उसे मुनाफे से बाहर या शेयर के प्रीमियम खाते से प्रदान करना चाहिए। जब शेयर्स को मुनाफे से भुनाया जाता है, तो भुनाए गए शेयर्स की नाममात्र राशि के बराबर राशि को पूँजी मोचन रिजर्व खाते में मुनाफे से बाहर स्थानांतरित किया जाता है। इस राशि का उपयोग तब छुटकारे को प्राथमिकता देने वाले शेयर्स को प्रतिदान के लिए किया जाना चाहिए। इस रिजर्व का उपयोग कंपनी के सदस्यों को पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर्स को जारी करने के लिए किया जा सकता है।

3. भागीदारी वाले प्रेफरेंस शेयर या गैर-भागीदारी वाले प्रेफरेंस शेयर: भागीदारी वाले प्रेफरेंस शेयर्स को एक निश्चित दर पर तरजीही लाभांश का अधिकार है, जो कि इक्विटी शेयर्स पर लाभांश की निश्चित दर के भुगतान के साथ या बाद में मुनाफे में आगे भाग लेने के अधिकार के साथ है। एक गैर-भागीदारी वाले प्रेफरेंस शेयर वेह हैं जो प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभांश और पूँजी के भुगतान के बाद कंपनी के मुनाफे में भाग लेने के लिए ऐसा अधिकार नहीं देते हैं।

3.4.2 साधारण अंश पूँजी / इक्विटी शेयर कैपिटल (Equity Share Capital)

सभी शेयर पूँजी जो अधिमान्य शेयर पूँजी नहीं है, वह इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर दो प्रकार के होते हैं:

1. मतदान के अधिकार के साथ,
2. नियमों के अनुसार मतदान, लाभांश आदि के अवकल अधिकारों के साथ।

2008 में, टाटा मोटर्स ने अवकल मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर पेश किए – 'A' इक्विटी शेयर। निर्गम के अनुसार,

- प्रत्येक 10 A 'इक्विटी शेयर्स' में एक वोटिंग अधिकार होता है
- 'A' 'इक्विटी शेयर्स' को सामान्य शेयर्स की तुलना में 5 प्रतिशत अंक अधिक लाभांश मिलता है।

मतदान के अधिकारों में अंतर के कारण, 'A' इक्विटी शेयर्स को पूर्ण मतदान अधिकारों के साथ साधारण शेयर्स के लिए छूट पर तिज़ारत किया जाता है।

3.5 प्रतिभूतियों का आबंटन (Allotment of Shares)

शेयर्स के लिए ऑफ़र मूल रूप से तब किए जाते हैं जब कंपनी द्वारा आवेदन पत्र प्रदान किए जाते हैं। जब कोई आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उसे आबंटन माना जाता है। इसे किसी कंपनी के पहले अप्रयुक्त पूँजी से विनियोग माना जाता है। नतीजतन, जहाँ ज़ब्त किए गए शेयर्स को फिर से जारी किया जाता है, यह एक आबंटन के रूप में समान नहीं है।

एक आबंटन को तब वैध माना जाता है जब यह अनुबंध के कानून की आवश्यकताओं और सिद्धांतों के साथ अनुपालन करता है जो प्रस्तावों की स्वीकृति के बारे में है।

3.5.1 आबंटन पर वैधानिक प्रतिबंध (Statutory Restrictions on Allotment)

1. **न्यूनतम सदस्यता और आवेदन धन:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 49 के अनुसार, वैध आबंटन की पहली आवश्यकता न्यूनतम सदस्यता है। कंपनी के दिए गए प्रॉस्पेक्टस में, न्यूनतम सब्सक्रिप्शन की राशि बताई जाएगी, जब शेयर जनता को दिए जाते हैं। जब तक एक निर्दिष्ट राशि सदस्यता नहीं ली जाती है और कोई भी धनराशि आबंटित नहीं की जाती है, तो आवेदन का पैसा, जो उस अपील से कम नहीं होगा जिसे सफल होने के लिए आयोजित किया गया था।
2. **ओवर-सब्सक्राइब्ड प्रॉस्पेक्टस:** जब स्टॉक एक्सचेंज की अनुमति दी गई है, तो एक आबंटन वैध है और आबंटन को ओवर-सब्सक्राइब माना गया है, तो प्राप्त धन का हिस्सा आवेदकों को दिए गए समय सीमा के भीतर वापस भेज दिया जाएगा।

3.5.2 शेयर्स के आबंटन के सिद्धांत (Principles of Allotment of Shares)

1. **उचित प्राधिकरण द्वारा शेयर्स का आबंटन:** आबंटन आम तौर पर एक संकल्प द्वारा किया जाता है जिसमें निदेशक मंडल होते हैं, लेकिन जहाँ लेख उपलब्ध कराए गए हैं, वहाँ सचिवों और खजानों द्वारा किए गए आबंटन को नियमित किया गया था।

2. **उचित समय के भीतर:** आबंटन मूल रूप से समय की उचित या निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाता है अन्यथा आवेदन चूक जाएगा। आवेदन और आबंटन के बीच छह महीने की निर्दिष्ट समय सीमा को उचित नहीं माना जाता है।
3. **संचार किया जाएगा:** यह प्राथमिक है कि आवेदक को आबंटन का संचार होना चाहिए। आबंटन के खो जाने की स्थिति में भी सही तरीके से संबोधित और आबंटित पत्र के पोस्टिंग को पर्याप्त संचार माना जाता है।
4. **निरपेक्ष और बिना शर्त के:** आवेदक के नियम और शर्तों के अनुसार, आबंटन पूर्ण और बिना शर्त होना चाहिए। इस प्रकार जहाँ एक व्यक्ति ने इस शर्त पर 400 शेयर्स के लिए आवेदन किया कि उसे कंपनी की एक नई शाखा का कैशियर नियुक्त किया जाएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक वह नियुक्त नहीं किया गया था, तब तक वह किसी भी आबंटन से बाध्य नहीं था।

ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद

जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 41 के तहत दिया गया है, एक कंपनी अपनी आम बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जो किसी भी विदेशी देश में इस तरह से डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने के लिए अधिकृत करती है और कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है।

3.5.3 निजी तौर पर शेयर आबंटन (Private Placement)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अनुसार, कोई कंपनी निजी प्लेसमेंट के लिए प्रस्ताव पत्र जारी करने के माध्यम से एक निजी नियुक्ति कर सकती है। धारा 42 के प्रावधान ऐसे स्थान पर लागू होते हैं। प्रतिभूतियों की सदस्यता के लिए प्रतिभूतियों या आमंत्रण की पेशकश कई व्यक्तियों के लिए की जा सकती है, लेकिन 50 या उससे अधिक की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। यह संख्या योग्य संस्थागत खरीदारों और कंपनी के कर्मचारियों को धारा 62(1)(B) के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के स्टॉक विकल्प की एक योजना के तहत प्रतिभूतियों की पेशकश करने के लिए शामिल नहीं है। यह एक वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है और ऐसी शर्तों पर निर्धारित किया जा सकता है जो निजी प्लेसमेंट के फार्म और तरीके को शामिल करना है।

उपधारा (2) के लिए पहली व्याख्या यह प्रदान करती है कि निर्धारित संख्या से अधिक निजी प्लेसमेंट का प्रस्ताव जनता के लिए एक प्रस्ताव माना जाता है और सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित (उपधारा 23-41) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। ऐसा इसलिए होगा कि कंपनी का इरादा भारत में या उसके बाहर जाने के लिए है या नहीं।

उप-धारा (2) के दूसरे स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, इसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

“एक योग्य संस्थागत खरीदार” का अर्थ SEBI विनियम 2009 में समय-समय पर संशोधन के रूप में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी

(धारा 42(3)) के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई नया प्रस्ताव या आमंत्रण नहीं दिया जाना है, जब तक कि किसी भी पहले के प्रस्ताव के तहत आबंटन पूरा नहीं हुआ हो या उस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो।

सदस्यता के लिए देय सभी धनराशि का भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि नकद।

धारा 42(5) के अनुसार, सिक्क्यूरिटीज़ को आवेदन की धनराशि प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आबंटित करना होगा या आवेदन के पैसे को 15 दिनों के भीतर वापस करना होगा या फिर 12 प्रतिशत ब्याज प्रभार्य हो जाएगा। आवेदन पर प्राप्त धन को अनुसूचित बैंक में एक अलग बैंक खाते में रखा जाना है और इसका उपयोग केवल प्रतिभूतियों के आबंटन के खिलाफ समायोजन या धारा 42 (6) के तहत दिए गए धनवापसी के लिए किया जा सकता है।

ऑफ़र केवल उन लोगों को दिया जा सकता है जिनके नाम कंपनी द्वारा ऑफ़र से पहले दर्ज़ किए गए हैं। उन्हें नाम से प्रस्ताव प्राप्त करना चाहिए। इस तरह के ऑफ़र का पूरा रिकॉर्ड कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से रखा जाना चाहिए। किसी ऑफ़र के बारे में पूरी जानकारी संबंधित निजी प्लेसमेंट ऑफ़र पत्र के प्रचलन के 30 दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर की जानी चाहिए। जैसा कि धारा 42 के तहत दिया गया है, इस धारा के तहत प्रतिभूतियों की पेशकश करने वाली कंपनी किसी भी सार्वजनिक विज्ञापन को जारी नहीं करती है और न ही किसी मीडिया का उपयोग करती है, न ही वितरण या बिक्री चैनलों का करती है और न ही एजेंटों को प्रस्ताव के बारे में जानकारी देती है।

धारा 42(8) बताती है कि आबंटन करने के बाद, कंपनी रजिस्ट्रार के पास कंपनी द्वारा निर्धारित आबंटन का रिटर्न दाखिल करेगी, जिसमें सभी सुरक्षा धारकों की पूरी सूची के साथ उनके पूर्ण नाम, पते, प्रतिभूतियों की संख्या शामिल हो और अन्य कोई जानकारी।

3.5.4 डिफॉल्ट के परिणाम (Result of Failure)

धारा 42(10) यह बताते हुए एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है कि अनुभाग का कोई भी उल्लंघन कंपनी, उसके प्रवर्तकों और निदेशकों को एक दंड के लिए उत्तरदायी बनाएगा जो प्रस्ताव में शामिल राशि या दो करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो, के लिए उत्तरदायी होगा। कंपनी फिर जुर्माना लगाने के आदेश के 30 दिनों के निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ग्राहकों को पैसे वापस करने की स्थिति में होगी।

शेयर्स की नंबरिंग

किसी कंपनी के प्रत्येक शेयर को उसकी विशिष्ट संख्या से अलग होना होता है। इस घोषणा-पत्र में कहा गया है कि यह खंड किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गए हिस्से पर लागू नहीं होता है, जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में एक शेयर में लाभकारी ब्याज के धारक के रूप में दर्ज़ किया गया है।

शेयर्स के लिए प्रमाणन

एक आबंटी को आम तौर पर कंपनी से एक दस्तावेज लेने की अनुमति होती है, वह है शेयर सर्टिफिकेट और यह प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि आबंटिती कंपनी में शेयर्स की निर्दिष्ट संख्या का धारक है। डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में शेयर्स को उनके विशिष्ट नंबरों की आवश्यकता नहीं है। किसी भी आबंटी को अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी को आबंटी द्वारा बकाया किसी भी देय राशि के लिए ग्रहणाधिकार का अधिकार डालकर नहीं हराया जा सकता है।

कंपनी को पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

डुप्लीकेट प्रमाण पत्र

एक शेयर धारक सावधानीपूर्वक अपने प्रमाण पत्र को संरक्षित और संग्रहीत करेगा क्योंकि उसे तब तक डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह यह नहीं दिखाता है कि मूल प्रमाण पत्र खो गया है, क्षतिग्रस्त है या किसी भी तरह से नष्ट हो गया है और कंपनी को आत्मसमर्पण कर दिया गया है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- किसी कंपनी के असली मालिक कौन हैं?

(क) सरकार	(ख) निदेशक मंडल
(ग) इक्विटी शेयर धारक	(घ) ऋणदाता
- एक कंपनी की पूँजी इकाइयों में विभाजित होती है जिसे कहा जाता है:

(क) डिबेंचर	(ख) शेयर
(ग) स्टॉक	(घ) बंधन
- शेयर धारक कंपनी से प्राप्त करते हैं:

(क) ब्याज	(ख) आयोग
(ग) लाभ	(घ) लाभांश
- इक्विटी शेयर को उद्देश्य से जारी नहीं किया जा सकता है:

(क) नकद प्राप्तियाँ	(ख) संपत्ति की खरीद
(ग) डिबेंचर का मोचन	(घ) लाभांश का वितरण
- एक कंपनी जारी कर सकती है _____ ।

(क) इक्विटी शेयर
(ख) प्रेफरेंस शेयर
(ग) इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

टिप्पणी

6. एक कंपनी जारी नहीं कर सकती:
- (क) रिडीमेबल इक्विटी शेयर
 (ख) रिडीमेबल वरीयता शेयर
 (ग) रिडीमेबल डिबेंचर
 (घ) पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर
7. किसी कंपनी में निश्चित दर पर किसको लाभांश दिया जाता है?
- (क) इक्विटी शेयर धारकों को (ख) प्रेफरेंस शेयर धारकों को
 (ग) डिबेंचर धारकों को (घ) प्रवर्तकों को

3.6 शेयर के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया (Process of Share Transfer)

शेयरों के हस्तांतरण का अर्थ है स्वैच्छिक अधिकारों को सौंपना और संभवतः, एक शेयर धारक से एक सदस्य के कर्तव्यों का जो कंपनी में सदस्य नहीं बनना चाहता है जो किसी व्यक्ति की इच्छा रखता है, सदस्य बनना। इस प्रकार, एक कंपनी में शेयर कंपनी के लेखों के तहत किसी भी व्यक्ति प्रतिबंध के अभाव में किसी भी अन्य चल संपत्ति की तरह हस्तांतरणीय है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 56 यह प्रदान करती है कि कंपनी के शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को कंपनी द्वारा तभी पंजीकृत किया जाएगा जब शेयरों के हस्तांतरण का एक उचित साधन (शेयर हस्तांतरण प्रपत्र) फॉर्म नंबर SH-4 में निर्धारित रूप में दर्ज किया गया हो। शेयर के हस्तांतरण के लिए फॉर्म SH-4 को विधिवत् रूप से स्टाम्प करने की आवश्यकता है, पर्याप्त मूल्य के साथ, हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी की ओर से या उसके द्वारा दिनांकित और निष्पादित की जाती है।

जहाँ एक आवेदन अकेले ट्रांसफरकर्ता द्वारा किया जाता है और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों से संबंधित होता है, तब तक पंजीकरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि कंपनी आवेदन की सूचना नहीं देती है, इस तरह से ट्रांसफरकर्ता और हस्तांतरी को निर्धारित की जा सकती है। नोटिस प्राप्त होने से दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रत्येक कंपनी, जब तक कि कानून के किसी प्रावधान या न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश द्वारा निषिद्ध न हो, आबंटित, हस्तांतरित या प्रेषित सभी प्रतिभूतियों के प्रमाण पत्र वितरित करें –

- (क) निगमन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, ग्राहकों को ज्ञापन के मामले में;
- (ख) आबंटन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, इसके किसी भी शेयर के आबंटन के मामले में;

(ग) हस्तांतरण के साधन की कंपनी द्वारा रसीद की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर या संचरण की सूचना का, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या ट्रांसमिशन के मामले में;

(घ) डिबेंचर के किसी भी आबंटन के मामले में आबंटन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर:

अपने कानूनी प्रतिनिधि द्वारा बनाई गई कंपनी में मृत व्यक्ति के किसी भी सुरक्षा या अन्य हित में स्थानांतरण, भले ही कानूनी प्रतिनिधि उसके धारक न हो, मानो कि वह निष्पादन के समय धारक हो। स्थानान्तरण का साधन।

अपने कानूनी प्रतिनिधि द्वारा बनाई गई कंपनी में मृत व्यक्ति के किसी भी सुरक्षा या अन्य ब्याज का हस्तांतरण मान्य होगा।

टिप्पणी

3.6.1 हस्तांतरण का साधन (Source of Transfer)

1. भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का एक उपकरण फॉर्म SH-4 में होगा और उसके निष्पादन की तारीख के साथ स्थानांतरण का प्रत्येक उपकरण कंपनी को ऐसे निष्पादन की तारीख से 60 दिनों के भीतर दिया जाएगा।
2. कंपनी आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करेगी, जब तक कि कंपनी ने ट्रांसफर के लिए फॉर्म नंबर SH-5 में नोटिस नहीं दिया हो और हस्तांतरी ने नोटिस की तारीख से दो सप्ताह के भीतर हस्तांतरण पर कोई आपत्ति न दी हो।

3.6.2 शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित मुख्य प्रावधान (Main Provisions Related to Transfer of Shares)

1. शेयर ट्रांसफर के लिए साधन अनिवार्य है:

धारा 56 में यह प्रावधान है कि कोई कंपनी तब तक कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करेगी, जब तक कि फॉर्म SH-4 में एक उचित हस्तांतरण विलेख कंपनी को वितरित नहीं किया गया है, साथ ही, शेयरों से संबंधित प्रमाण पत्र या यदि ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो अस्तित्व में, शेयरों के आबंटन के पत्र के साथ।

2. स्थानांतरण के लिए साधन जमा करने की समयावधि:

इसके निष्पादन की तारीख के साथ शेयरों के हस्तांतरण का एक साधन कंपनी को 60 दिनों के भीतर इस तरह के निष्पादन की तारीख से या हस्तांतरणकर्ता की ओर से या हस्तांतरी की ओर से दिया जाएगा।

3. हस्तांतरण विलेख पर चिपकाए जाने वाले शेयर हस्तांतरण टिकटों का मूल्य:

शेयरों के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क प्रत्येक 100 रुपये या उसके भाग के लिए 25 पैसे है।

4. स्थानांतरण पर प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा (धारा-56(4)):

प्रत्येक कंपनी, जब तक कि कानून के किसी भी प्रावधान या किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश द्वारा निषिद्ध न हो, एक महीने के भीतर, ऐसे सभी शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन के बाद हस्तांतरित सभी शेयरों के प्रमाण पत्र, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक प्राप्त हुआ।

5. स्थानांतरण पर प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा (धारा-56(4)):

प्रत्येक कंपनी, जब तक कि कानून के किसी भी प्रावधान या किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के किसी भी आदेश द्वारा निषिद्ध न हो, 1 महीने के भीतर स्थानांतरित सभी शेयरों के प्रमाण पत्र वितरित करेगी।

6. स्थानांतरण के पंजीकरण से इनकार करने की समय सीमा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 में पंजीकरण से इनकार करने और अपील करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने की शक्ति का उपयोग उस तारीख से तीस दिनों के भीतर कंपनी द्वारा किया जाना है, जिस पर लिखत स्थानांतरण या अंतरंगता की सूचना, जैसा कि कंपनी को दिया जा सकता है।

7. सार्वजनिक कंपनी द्वारा स्थानांतरण को पंजीकृत करने से इंकार करने के खिलाफ अपील की समय सीमा:

धारा 58(4) के अनुसार, शेयरों का एक ट्रांसफर इस तरह के इनकार के 60 दिनों की अवधि के भीतर या जहाँ कंपनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, हस्तांतरण के साधन या संचरण की सूचना की डिलीवरी के 90 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है।

**3.6.3 एक सार्वजनिक कंपनी में शेयर के हस्तांतरण की प्रक्रिया
(Process of Transfer of Shares of a Public Company)**

धारा 58(2) में यह प्रावधान है कि किसी सार्वजनिक कंपनी के शेयर या डिबेंचर और उसमें कोई ब्याज मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा। आमतौर पर शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए एक निजी कंपनी द्वारा निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा:

- SH-4 के रूप में शेयर ट्रांसफर डीड प्राप्त करें जो विधिवत् हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी दोनों द्वारा निष्पादित हो।

- ट्रांसफर डीड को भारतीय स्टाम्प अधिनियम और स्टाम्प ड्यूटी अधिसूचना के अनुसार संबंधित राज्य में लागू होना चाहिए। शेयरों के हस्तांतरण की वर्तमान दर शेयरों के मूल्य के प्रत्येक ₹ 100 या उसके हिस्से के लिए 25 पैसे है। स्थानांतरण विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले या उस समय चिपकाए गए टिकटों को रद्द करना न भूलें।
- शेयर ट्रांसफर डीड में हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी उसके हस्ताक्षर, नाम और पता देने वाले व्यक्ति द्वारा देखे जाने चाहिए।
- संबंधित शेयर सर्टिफिकेट या अलॉटमेंट लेटर को शेयर ट्रांसफर डीड के साथ अटैच करें और कंपनी को दें। शेयर अंतरण विलेख को कंपनी द्वारा 60 दिनों के भीतर हस्तांतरणकर्ता की ओर से या उसके द्वारा या उसके द्वारा हस्तांतरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
- शेयर ट्रांसफर डीड प्राप्त होने के बाद, बोर्ड इस पर विचार करेगा। यदि शेयर के हस्तांतरण के लिए दस्तावेज क्रम में है, तो बोर्ड एक प्रस्ताव पारित करके हस्तांतरण को पंजीकृत करेगा।

3.7 शेयरों का ट्रांसमिशन (Transmission of Shares)

किसी मृतक सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा बनाई गई कंपनी के एक मृत सदस्य के शेयरों में ब्याज का ट्रांसमिशन कानून के संचालन द्वारा शेयरों के ट्रांसमिशन के रूप में माना जाएगा। यह ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा पंजीकृत सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

3.7.1 शेयरों के ट्रांसमिशन से संबंधित मुख्य प्रावधान (Main Provisions Related to Transmission of Shares)

1. ट्रांसमिशन के लिए आवेदन करने के लिए योग्य व्यक्ति: संयुक्त होल्डिंग के मामले में केवल उत्तरजीवी पंजीकरण के लिए हकदार होगा और मृत सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारी के पास कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
2. शेयर हस्तांतरण विलेख के लिए आवश्यक हस्तांतरण नहीं: शेयरों के ट्रांसमिशन के मामले में हस्तांतरण विलेख की आवश्यकता नहीं है। संबंधित दस्तावेजों के साथ पारिषद की सूचना/आवेदन वैध ट्रांसमिशन अनुरोध के लिए पर्याप्त होगा।
3. शेयरों के ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज: कानून के शेयरों के संचालन के ट्रांसमिशन के मामले में, हस्तांतरण के लेन-देन को निष्पादित करना और जमा करना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित आवश्यक साक्ष्य के साथ एक कानूनी प्रतिनिधि द्वारा कंपनी के लिए एक साधारण आवेदन पर्याप्त है:

- (क) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति;
- (ख) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र;
- (ग) प्रोबेट;
- (घ) उत्तराधिकारी के विशिष्ट हस्ताक्षर।

4. **शेयरों पर देयता जारी रहेगी:** शेयरों के ट्रांसमिशन के मामले में, शेयर मूल देयताओं के अधीन होते हैं और अगर किसी रकम के लिए शेयरों पर कोई ग्रहणाधिकार होता है, तो ग्रहणाधिकार घट जाएगा।
5. **विचार या स्टॉप ड्यूटी के भुगतान की आवश्यकता नहीं:** चूंकि ट्रांसमिशन कानून के संचालन से है, इसलिए ट्रांसमिशन के लिए उपकरणों पर स्टॉप ड्यूटी के भुगतान या विचार का भुगतान आवश्यक नहीं होगा।
6. **ट्रांसमिशन पर शेयर सर्टिफिकेट जारी करने की समय सीमा (धारा-56(4)):** प्रत्येक कंपनी, जब तक कि कानून के किसी प्रावधान या किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण के किसी भी प्रावधान द्वारा निषिद्ध न हो, एक महीने के भीतर, इस तरह के किसी भी शेयर के प्रसारण के पंजीकरण के लिए आवेदन के बाद प्रेषित सभी शेयरों के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।
7. **ट्रांसमिशन के पंजीकरण से इनकार करने की समय सीमा:** इनकार के खिलाफ पंजीकरण और अपील से इनकार करने से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 58 में दिए गए हैं। शेयरों के प्रसारण के पंजीकरण से इनकार करने की शक्ति का उपयोग कंपनी द्वारा तीस दिन में किया जाना है। 30 दिन उस तारीख से जिस दिन कंपनी को ट्रांसमिशन की सूचना दी जाती है।
8. **सार्वजनिक कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन को पंजीकृत करने से इनकार करने की अपील की समय सीमा:** धारा 58(4) के अनुसार, जिस व्यक्ति ने कानून के संचालन से संचरण की सूचना दी थी, ऐसे इनकार के 60 दिनों के भीतर हो सकता है या कंपनी की ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, प्रसारण की सूचना के वितरण के 90 दिनों के भीतर, इस तरह के इनकार के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील करें।

3.7.2 शेयर के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया (Process of Transmission of Shares)

1. संयुक्त होल्डिंग या कानूनी वारिस के मामले में उत्तरजीवी, जैसा कि मामला हो सकता है, जो कानून के संचालन के माध्यम से अपने/हर पक्ष में ट्रांसमिशन चाहता है, कंपनी के साथ संबंधित दस्तावेजों, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के साथ सरल आवेदन दाखिल करेगा। प्रोबेट आदि विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

2. कंपनी मृत्यु प्रमाण पत्र के विवरणों को रिकॉर्ड करती है और शेयरधारक को रिकॉर्डिंग प्रविष्टि की एक संदर्भ संख्या दी जाती है ताकि वह कंपनी के साथ भविष्य के सभी पत्राचार में ऐसे नंबर को उद्धृत करने में सक्षम हो सके।
3. कंपनी ट्रांसमिशन अनुरोध के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की समीक्षा और सत्यापन करती है। यदि सभी दस्तावेज क्रम में हैं, तो कंपनी ट्रांसमिशन अनुरोध को स्वीकार करेगी और उत्तरजीवी या कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर शेयरों को पंजीकृत करेगी।
4. यदि ट्रांसमिशन अनुरोध के साथ जमा किए गए दस्तावेज क्रम में नहीं हैं और यह इनकार करने का मामला है, तो कंपनी को 30 दिनों के भीतर, उस तारीख से जिस दिन कंपनी को ट्रांसमिशन की सूचना दी जाती है, संबंधित व्यक्ति को मना करने का संचार करें।
5. अंशधारक की मृत्यु से पहले घोषित किया गया लाभांश कानूनी प्रतिनिधि को देय होगा, लेकिन किसी सदस्य की मृत्यु के बाद घोषित लाभांश का भुगतान उसके नाम के पंजीकरण के बाद ही किया जा सकता है और उस अवधि तक इसे पालन में रखना होगा।

3.8 शेयरधारक बनाम कंपनी के सदस्य (Shareholders vs. Members of Company)

सदस्य की परिभाषा

जिस व्यक्ति का नाम किसी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, वह उस कंपनी का सदस्य बन जाता है। रजिस्टर में सदस्य के बारे में हर एक विवरण शामिल होता है; जैसे नाम, पता, पेशा, सदस्य बनने की तारीख आदि। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होता है जो कंपनी के शेयर रखता है और जिसका नाम डिपॉजिटरी रिकॉर्ड में लाभकारी मालिकों के रूप में दर्ज किया जाता है।

सदस्यों की देयताएं शेयर पूंजी रखने वाली कंपनी के मामले में उनके द्वारा रखे गए शेयरों की मात्रा तक सीमित हैं, जबकि गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी के मामले में सदस्यों की देयता उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित है लेकिन, एक असीमित कंपनी के मामले में सदस्यों को ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से योगदान करना पड़ता है।

सदस्य कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते हैं, अर्थात् कंपनी के प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा देखा जाता है। यद्यपि निदेशकों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार सदस्यों के हाथ में है।

किसी कंपनी का सदस्य कैसे बने

- यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की सदस्यता लेता है, तो वह उस पर हस्ताक्षर करके सदस्य बन जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति शेयरों का लाभकारी मालिक बन जाता है जिसका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है, तो वह भी सदस्य बन जाता है।
- यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसफर के माध्यम से शेयर मिलते हैं और ट्रांसफर को कंपनी द्वारा दर्ज किया जाता है, तो सदस्यों के रजिस्टर में हस्तांतरी के नाम के साथ प्रवेश किया जाता है।
- यदि किसी व्यक्ति को ट्रांसमिशन के माध्यम से शेयर मिलते हैं और कंपनी द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में नाम दर्ज करने के साथ ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड किया जाता है।
- यदि कोई व्यक्ति कंपनी के योग्यता शेयरों को लेने और इसके लिए भुगतान करने के लिए सहमत है, तो वह भी कंपनी का सदस्य बन जाता है।

शेयरधारक की परिभाषा

एक व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक या निजी कंपनी के शेयर का मालिक है, उसे शेयरधारक के रूप में जाना जाता है। शेयरों के एक ग्राहक को शेयरधारक के रूप में तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि शेयर वास्तव में उसे आबंटित नहीं किए जाते हैं।

शेयरधारक कंपनी के मालिक हैं, अर्थात् उनके द्वारा आयोजित शेयर पूंजी की सीमा तक। मृत सदस्य का कानूनी प्रतिनिधि, एक शेयरधारक है, सदस्य नहीं, जब तक कि उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज न हो। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक शेयरधारक एक सदस्य है, लेकिन प्रत्येक सदस्य, शेयरधारक नहीं है।

एक शेयरधारक के अधिकार निम्नलिखित हैं:

- उनके शेयरों को हस्तांतरित करने या बेचने का अधिकार।
- लाभांश प्राप्त करने का अधिकार।
- आम सभा में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार।
- मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रतियां लेने का अधिकार।
- वैधानिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का अधिकार।

टिप्पणी

तुलना के लिए आधार	सदस्य	शेयरधारक
अर्थ	एक व्यक्ति जिसका नाम किसी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, कंपनी का पंजीकृत सदस्य है।	वह व्यक्ति जो किसी कंपनी के शेयरों का मालिक है, शेयरधारक के रूप में जाना जाता है।
शेयर वारंट	शेयर वारंट का धारक सदस्य नहीं है।	शेयर वारंट का धारक एक शेयरधारक होता है।
न्यूनतम या अधिकतम सीमा	सार्वजनिक कंपनी के संबंध में, न्यूनतम 7 सदस्य होने चाहिए। अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई समान टोपी नहीं है। समान रूप से, एक निजी कंपनी में न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं।	शेयरधारकों के स्थान पर, सार्वजनिक कंपनी के मामले में कोई न्यूनतम या अधिकतम प्रतिबंध या सीमा नहीं है।
मेमोरेंडम	जो व्यक्ति कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करता है, वह सदस्य बन जाता है।	मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने के बाद, एक व्यक्ति केवल एक शेयरधारक हो सकता है जब उसे शेयर आबंटित किए जाते हैं।

3.9 ऋण पत्र/ डिबेंचर (Debenture)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(30) में डिबेंचर को परिभाषित किया गया है "डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या किसी कंपनी का कोई अन्य उपकरण ऋण शामिल है, चाहे कंपनी की संपत्ति पर कोई शुल्क लगाना हो या नहीं।"

डिबेंचर एक कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया ऋण है जो कंपनी की परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाता है या नहीं, बाद के चरणों में शेयरों में परिवर्तनीय है या नहीं। जिसका अर्थ है कि एक डिबेंचर सुरक्षित या असुरक्षित हो सकता है, यह परिवर्तनीय (पूर्ण या आंशिक रूप से) या गैर-परिवर्तनीय हो सकता है। जैसा कि डिबेंचर ऋण के रूप में होता है, शेयरों के विपरीत वे मतदान के अधिकार नहीं रखते हैं।


कंपनी अधिनियम की धारा 71 में सक्षम है कि कोई कंपनी डिबेंचर को ऐसे डिबेंचर को शेयरों में बदलने के विकल्प के साथ जारी कर सकती है, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से छुटकारे के समय। इस तरह की डिबेंचर को शेयरों में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवर्तित करने के विकल्प के साथ डिबेंचर के मुद्दे को एक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह खंड वोटिंग अधिकारों को ले जाने वाली डिबेंचर के मुद्दे पर रोक लगाता है।

टिप्पणी

डिबेंचर जारी करते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

1. वोटिंग अधिकारों के साथ डिबेंचर जारी नहीं किया जा सकता है।
2. एक कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त किए बिना 500 से अधिक लोगों को डिबेंचर जारी नहीं कर सकती है, जिसका कर्तव्य डिबेंचर होल्डर्स के हितों की रक्षा करना और उनकी शिकायतों का निवारण करना होगा।
3. डिबेंचर के निर्गम पर एक कंपनी एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएगी। (DRR)
4. यदि परिपक्वता की स्थिति में राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक होती है या ब्याज के भुगतान में चूक होती है, तो ट्रिब्यूनल से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा उचित उपाय करने के लिए संपर्क किया जाएगा।
5. यदि इस धारा के प्रावधानों में कोई चूक है, तो कंपनी और अधिकारी जुर्माना या कारावास या दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे।

3.10 डिबेंचर के प्रकार (Types of Debentures)



चित्र क्र. 3.2: डिबेंचर के प्रकार

3.10.1 सुरक्षा के आधार पर (On the Basis of Security)

(क) सुरक्षित डिबेंचर: सुरक्षित डिबेंचर उन डिबेंचर को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट के मामले में कंपनी के एसेट पर उद्देश्यपूर्ण भुगतान के लिए बनाया जाता है। कंपनी की अमूर्त संपत्ति को छोड़कर अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति पर पहला शुल्क के साथ एक चार्ज।

सुरक्षित डिबेंचर होल्डर्स के पास अधिक सुरक्षा है। भुनाए जाने की स्थिति में सुरक्षित डिबेंचर के धारक ब्याज के भुगतान और मूलधन के भुगतान के बारे में आश्वस्त रहते हैं।

(ख) असुरक्षित डिबेंचर: इन डिबेंचर को नग्न डिबेंचर के रूप में भी जाना जाता है। इन डिबेंचर को कंपनी की संपत्ति पर प्रभार के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया गया है। असुरक्षित ऋण पर देय ब्याज दर आम तौर पर उस से अधिक होती है जो सुरक्षित डिबेंचर पर देय होती है।

3.10.2 कार्यकाल के आधार पर (On the Basis of Tenure)

(क) रिडीमेबल डिबेंचर: रिडीमेबल डिबेंचर वे हैं जो विशिष्ट अवधि (इश्यू की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष) की समाप्ति पर देय होते हैं या तो कंपनी के जीवन काल के दौरान एकमुश्त या किस्तों में। डिबेंचर को बराबर या प्रीमियम पर भुनाया जा सकता है।

(ख) इरेडिमेबल डिबेंचर: इरेडिमेबल डिबेंचर को सतत डिबेंचर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कंपनी इस तरह के डिबेंचर जारी करके उधार ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए कोई उपक्रम नहीं करती है। ये डिबेंचर किसी कंपनी के समापन या लंबी अवधि की समाप्ति पर देय होते हैं।

डिबेंचर निश्चित शर्तों के लिए हो सकता है या मांग पर देय हो सकता है:

डिबेंचर निश्चित अवधि के लिए हो सकता है या नोटिस पर चुकाने योग्य हो सकता है। (विली बनाम स्टॉक्स (1909))

उन्हें कानूनी रूप से वाहक (एडलस्टीन बनाम शुबरेलो (1902)) को देय माना जा सकता है।

3.10.3 परिवर्तनीयता के आधार पर (On the Basis of Convertibility)

ये डिबेंचर एक कंपनी द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी के इक्विटी शेयरों में डिबेंचर के रूपांतरण के लिए प्रदान किए गए विकल्प के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) परिवर्तनीय डिबेंचर: ये डिबेंचर एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाते हैं।

(ख) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर: आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात्, परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय भाग। परिवर्तनीय भाग निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो जाता है। गैर-परिवर्तनीय भाग को समस्या के संदर्भ में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भुनाया जाता है।

(ग) आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर: गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में समान शेयरों को इक्विटी शेयरों में बदलने का कोई विकल्प नहीं है और इन्हें निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भुनाया जाता है।

3.10.4 रजिस्ट्री के आधार पर (On the Basis of Registration)

किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर प्रतिभूत या अप्रतिभूत हो सकते हैं। निम्नलिखित दो प्रकार के डिबेंचर हैं:

- (क) **बेयरर डिबेंचर:** ये डिबेंचर, डिबेंचर के वाहक के लिए देय होते हैं और केवल वितरण द्वारा हस्तांतरणीय होते हैं। इन डिबेंचर को अपंजीकृत डिबेंचर के रूप में भी जाना जाता है।
- (ख) **पंजीकृत डिबेंचर:** ये डिबेंचर, डिबेंचर प्रमाण पत्रों के वितरण से मात्र हस्तांतरणीय नहीं हैं और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ट्रांसफर कर्मों को निष्पादित करके और कंपनी द्वारा पंजीकृत ट्रांसफर द्वारा हस्तांतरित किए जाएंगे। पंजीकृत डिबेंचर परक्राम्य लिखित नहीं हैं। डिबेंचर के पंजीकृत धारक का अर्थ है, एक व्यक्ति जिसका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट और डिबेंचरहोल्डर्स के रजिस्टर में दिखाई देता है। मूलधन और ब्याज राशि, जब इन डिबेंचर के संबंध में केवल पंजीकृत धारकों को देय होता है।

3.11 डिबेंचर जारी करने का प्रावधान (Provisions Related to Issue of Debenture)

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित डिबेंचर में ऋण के रूप में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या किसी कंपनी का कोई अन्य उपकरण शामिल है, चाहे वह कंपनी की संपत्ति पर कोई शुल्क लगाए या नहीं। डिबेंचर जारी करने की शक्ति 2013 अधिनियम की धारा 179(3) के प्रावधानों के तहत निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी की ओर से प्रयोग की जा सकती है।

2013 अधिनियम के अध्याय IV की धारा 71 में गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ डिबेंचर जारी करने से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है:

1. एक कंपनी डिबेंचर को शेयरों में बदलने के विकल्प के साथ जारी कर सकती है, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से छुटकारे के समय:
 - बशर्ते कि डिबेंचर के निर्गम को इस तरह की डिबेंचर को शेयरों में परिवर्तित करने के विकल्प के साथ, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, सामान्य बैठक में पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
2. कोई भी कंपनी किसी भी मतदान के अधिकार को लेकर कोई डिबेंचर जारी नहीं करेगी।
3. सुरक्षित डिबेंचर कंपनी द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
4. जहाँ इस धारा के तहत किसी कंपनी द्वारा डिबेंचर जारी किया जाता है, कंपनी डिविडेंड के भुगतान के लिए उपलब्ध कंपनी के मुनाफे में से एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएगी और इस तरह के अकाउंट में

जमा की गई राशि को कंपनी रिडेम्पशन के अलावा डिबेंचर का उपयोग नहीं करेगी।

5. कोई भी कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं करेगी या जनता या उसके सदस्यों को अपनी डिबेंचर की सदस्यता के लिए पांच सौ से अधिक की पेशकश या निमंत्रण नहीं देगी, जब तक कि कंपनी के पास इस तरह के निर्गम या प्रस्ताव से पहले, एक या अधिक डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त न हों और शर्तें लागू न हों, ऐसे ट्रस्टियों की नियुक्ति ऐसी होगी जो निर्धारित की जा सकती है।
6. एक डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा और उनकी शिकायतों का निवारण ऐसे नियमों के अनुसार करेगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
7. एक ट्रस्ट डीड को डिबेंचर के निर्गम को सुरक्षित रखने के लिए, या एक ट्रस्ट डीड द्वारा सुरक्षित डिबेंचर-धारकों के साथ किसी भी अनुबंध में निहित है, जहाँ तक यह शून्य से ट्रस्टी को छूट देने, या क्षतिपूर्ति करने का प्रभाव होगा। उसके खिलाफ, विश्वास के उल्लंघन के लिए कोई दायित्व, जहाँ वह एक ट्रस्टी के रूप में देखभाल की डिग्री और उसके लिए आवश्यक परिश्रम दिखाने में विफल रहता है, ट्रस्ट के प्रावधानों के संबंध में उस पर किसी भी शक्ति, अधिकार या विवेक का उल्लेख करते हुए:
बशर्तें डिबेंचर ट्रस्टी की देयता इस तरह की छूटों के अधीन होगी, क्योंकि अधिकांश डिबेंचर धारकों द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है, जो उद्देश्य के लिए आयोजित बैठक में कुल डिबेंचर के मूल्य में तीन चौथाई से कम नहीं है।
8. एक कंपनी ब्याज का भुगतान करेगी और डिबेंचर को उनके निर्गम के नियमों और शर्तों के अनुसार भुनाएगी।
9. जहाँ किसी भी समय डिबेंचर ट्रस्टी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कंपनी की संपत्ति अपर्याप्त है या प्रमुख राशि का निर्वहन करने के लिए अपर्याप्त होने की संभावना है और जब यह देय हो जाएगा, तो डिबेंचर ट्रस्टी ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। कंपनी द्वारा और इस मामले में रुचि रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सुनने के बाद, आदेश द्वारा, कंपनी द्वारा किसी भी आगे की देनदारियों के कारण इस तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल डिबेंचर धारकों के हितों में आवश्यक विचार कर सकता है।
10. जहाँ एक कंपनी अपनी परिपक्वता की तारीख पर डिबेंचर को भुनाने में विफल रहती है या जब यह देय होता है, तो डिबेंचर पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रहता है, ट्रिब्यूनल किसी भी या सभी डिबेंचर धारकों, या डिबेंचर ट्रस्टी के आवेदन पर और उसके बाद हो सकता है। पार्टियों को संबंधित, प्रत्यक्ष, आदेश द्वारा सुनवाई, कंपनी ने डिबेंचर के ऐवज में मूलधन और ब्याज के भुगतान पर पुनर्विचार किया।

टिप्पणी

11. यदि इस धारा के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश का अनुपालन करने में कोई चूक हुई है, तो कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो डिफॉल्ट रूप से है, उसे ऐसे कारावास के साथ दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक का हो सकता है या जुर्माना जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ।
12. कंपनी के साथ एक अनुबंध लेने और कंपनी के किसी भी डिबेंचर के लिए भुगतान करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री द्वारा लागू किया जा सकता है।
13. डिबेंचर के निर्गम को सुरक्षित करने के लिए, डिबेंचर ट्रस्ट डीड के रूप, डिबेंचर धारकों के लिए ट्रस्ट डीड का निरीक्षण करने और उसके बाद प्रतियां प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार प्रक्रिया को निर्धारित कर सकती है।

डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए शर्तें

कोई भी कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं करेगी या जनता या उसके सदस्यों को अपनी डिबेंचर की सदस्यता के लिए 500 से अधिक की पेशकश या निमंत्रण नहीं देगी, जब तक कि कंपनी के पास इस तरह के मुद्दे या प्रस्ताव से पहले एक या एक से अधिक डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त न हों।

कंपनी निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के बाद डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त करेगी, अर्थात्:

- (क) डिबेंचर ट्रस्टियों के नाम डिबेंचर के लिए आमंत्रित सदस्यता की पेशकश के पत्र में और बाद के सभी नोटिस या डिबेंचर धारकों को भेजे गए अन्य संचारों में भी बताए जाएंगे;
- (ख) डिबेंचर ट्रस्टी या ट्रस्टी की नियुक्ति से पहले, इस तरह के डिबेंचर ट्रस्टी या ट्रस्टी नियुक्त किए जाने से एक लिखित सहमति प्राप्त की जाएगी और इस आशय का एक बयान डिबेंचर की सदस्यता को आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए प्रस्ताव के पत्र में दिखाई देगा;
- (ग) एक व्यक्ति को डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह:
 - (i) कंपनी में लाभकारी रूप से शेयर रखता है;
 - (ii) एक प्रमोटर, निदेशक या KMP (Key Management Personnel) या कोई अन्य अधिकारी या कंपनी या उसके होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी का कर्मचारी है;
 - (iii) लाभप्रद रूप से धन का हकदार है जो कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना है अन्यथा डिबेंचर ट्रस्टी को देय पारिश्रमिक की तुलना में;
 - (iv) कंपनी या उसकी सहायक कंपनी या उसकी होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी का ऋणी है;

- (v) डिबेंचर या ब्याज द्वारा सुरक्षित मूल ऋण के संबंध में कोई गारंटी प्रदान की है;
- (vi) कंपनी के साथ उसके 2% या उससे अधिक सकल कारोबार या कुल आय या 50 लाख या उससे अधिक की राशि, जो भी कम हो, के साथ कोई विचित्र संबंध है जो निर्धारित किया जा सकता है;
- (vii) किसी भी प्रमोटर या किसी ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार है जो कंपनी के निदेशक या KMP के रूप में कार्यरत है।
- (घ) बोर्ड ट्रस्टी के कार्यालय में किसी भी आकस्मिक रिक्ति को भर सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी वैकेंसी जारी रहती है, तो शेष ट्रस्टी या ट्रस्टी, यदि कोई हो, कार्य कर सकता है।
- यदि ऐसी रिक्ति डिबेंचर ट्रस्टी के इस्तीफे के कारण होती है, तो रिक्ति केवल डिबेंचर धारकों के बहुमत की लिखित सहमति से भरी जाएगी।
- (ङ) किसी भी डिबेंचर ट्रस्टी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पद से हटा दिया जा सकता है, यदि यह डिबेंचर की बकाया राशि के कम 3/4 वें धारकों द्वारा अनुमोदित हो, उनकी बैठक में।

डिबेंचर ट्रस्टी के कर्तव्य:

यह प्रत्येक डिबेंचर ट्रस्टी का कर्तव्य होगा:

- (क) खुद को संतुष्ट करता है कि प्रस्ताव के पत्र में कोई भी मामला नहीं है जो डिबेंचर के मुद्दे की शर्तों के साथ या ट्रस्ट डीड के साथ असंगत है;
- (ख) खुद को संतुष्ट करें कि ट्रस्ट डीड में वाचाएं डिबेंचर धारकों के हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं हैं;
- (ग) कंपनी से आवधिक स्थिति या प्रदर्शन रिपोर्ट के लिए कॉल करें;
- (घ) डिबेंचर धारकों के डिफॉल्ट्स पर तुरंत संवाद करें, यदि कोई हो, तो ब्याज के भुगतान या ट्रस्टी द्वारा की गई कार्रवाई के भुगतान या मोचन के संबंध में;
- (ङ) स्थिति में कंपनी के बोर्ड में एक नामित निदेशक की नियुक्ति—
- डिबेंचर धारकों को ब्याज के भुगतान में 2 लगातार चूक;
 - डिबेंचर के लिए सुरक्षा के निर्माण में डिफॉल्ट; या
 - डिबेंचर के मोचन में डिफॉल्ट
- (च) यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी ट्रस्ट डीड के डिबेंचर या वाचा के निर्गम की शर्तों का उल्लंघन नहीं करती है और ऐसे उचित कदम उठाती है जो इस तरह के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं;
- (छ) डिबेंचर धारकों को ट्रस्ट डीड के डिबेंचर या वाचा के निर्गम के किसी भी उल्लंघन के बारे में तुरंत सूचित करें;

टिप्पणी

- (ज) डिबेंचर, यदि कोई हो, और डिबेंचर मोचन रिजर्व के लिए सुरक्षा के निर्माण के संबंध में शर्तों को लागू करना सुनिश्चित करता है;
- (i) यह सुनिश्चित करता है कि डिबेंचर और गारंटर जारी करने वाली कंपनी की संपत्ति, यदि कोई हो, तो ब्याज और मूल राशि को हर समय डिस्चार्ज करने के लिए पर्याप्त है और ऐसी परिसंपत्तियाँ किसी भी अन्य एन्कम्ब्रेन्स से मुक्त हैं, सिवाय उनके जो विशेष रूप से डिबेंचर धारकों द्वारा सहमत हैं;
- (झ) इस तरह कार्य करना जरूरी है जो स्थिति में सुरक्षा लागू करने योग्य हो;
- (त्र) डिबेंचर के निर्गम द्वारा उठाए गए धन के उपयोग पर रिपोर्ट के लिए कॉल करें;
- (ट) डिबेंचर धारकों की एक बैठक बुलाने के लिए कदम उठाते हैं, जब ऐसी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है;
- (ठ) सुनिश्चित करें कि डिबेंचर को डिबेंचर के निर्गम की शर्तों के अनुसार परिवर्तित या भुनाया गया है;
- (ड) डिबेंचर धारकों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं और ऐसे अन्य कार्य करते हैं जैसे डिबेंचर धारकों की शिकायतों को हल करने के लिए अन्य सभी कार्य करते हैं।

इक्विटी शेयरों में डिबेंचर के रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, धारा 71(1) कंपनी को डिबेंचर को इक्विटी शेयरों में रूपांतरण के विकल्प के साथ जारी करने के लिए अधिकृत करता है। डिबेंचर ऑफ इक्विटी शेयरों में रूपांतरण के उपरोक्त विकल्प को आम बैठक में बोर्ड द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

1. होल्डिंग बोर्ड बैठक

बोर्ड मीटिंग में डिबेंचर को इक्विटी शेयरों में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी चाहिए। रूपांतरण के लिए शेयरधारकों, साथ ही डिबेंचर होल्डर्स का अनुमोदन लिया जाता है। बोर्ड के प्रस्ताव को पारित करने के बाद, सामान्य बैठक के लिए नोटिस पारित किया जाना चाहिए।

2. सामान्य बैठक आयोजित करें

बोर्ड प्रस्ताव पारित होने के बाद, आम सभा आयोजित की जाती है। इक्विटी शेयरों में डिबेंचर के रूपांतरण के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA) इक्विटी शेयरों में डिबेंचर के रूपांतरण के लिए अधिकृत नहीं करता है, तब तक शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प पारित नहीं किया जा सकता है।

3. फाइल फॉर्म MGT – 14

सदस्यों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के पास दायर किया जाना चाहिए। पारित किए गए विशेष प्रस्ताव को इक्विटी शेयरों में डिबेंचर के रूपांतरण के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। यह विशेष प्रस्ताव फॉर्म MGT – 14 के साथ पारित किया गया है।

4. विकल्प का पत्र

लेटर ऑफ ऑप्शन को डिबेंचर होल्डर्स को भेजा जाता है और लेटर की एक प्रति सेबी (सिक्क्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) को भी भेजी जाती है। डिबेंचर को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने के लिए सभी डिबेंचर होल्डर्स की सहमति की पुष्टि के लिए पत्र भेजा जाता है। सचिव विकल्प के पत्र की पुष्टि करता है।

5. शेयरों का आबंटन

इक्विटी शेयरों में डिबेंचर का रूपांतरण किया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स को तब डिबेंचर सर्टिफिकेट देने के लिए कहा जाता है। सचिव इस बीच डिबेंचर धारकों को शेयरों के आबंटन का वहन करता है।

6. शेयर प्रमाण पत्र जारी करना

शेयर प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं और फिर फॉर्म SH – 1 में निर्धारित अनुसार जारी किए जाते हैं।

7. प्रभार के रजिस्टर में परिवर्तन

कंपनी को उन परिसंपत्तियों के खिलाफ आरोपों को रद्द करना होगा जो डिबेंचर जारी करने के समय बनाए गए थे। शेयरों के आबंटन के बाद, रजिस्टर के प्रभार में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

8. सदस्यों के रजिस्टर में प्रवेश

शेयरधारकों को शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, सदस्यों के रजिस्टर में उनके नाम दर्ज किए जाते हैं।

9. रिटर्न अलॉटमेंट की फाइलिंग

शेयरों के आबंटन के 30 दिनों के भीतर एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के पास दाखिल किया जाना चाहिए। आबंटन का रिटर्न कंपनियों (पंजीकरण और कार्यालयों और शुल्क) नियमों, 2014 के तहत निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म PAS – 3 में दर्ज किया जाना चाहिए। निम्नलिखित अनुलग्नकों को फॉर्म पीएएस – 3 के साथ दाखिल करना आवश्यक है:

- आबंटियों की पूरी सूची
- बोर्ड प्रस्ताव की प्रति पारित

टिप्पणी

- विशेष प्रस्ताव की प्रति पारित
- मूल्यांकन रिपोर्ट

टिप्पणी

न्याय दृष्टांत

भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर को इक्विटी शेयरों में बदलने पर चर्चा की है।

आशिमा सिंटेक्स बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ इन-कम टैक्स में अदालत ने कहा कि पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर खर्च का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। परिवर्तनीय डिबेंचर को शेयरों के रूपांतरण पर कंपनी की इक्विटी पूँजी में जोड़ा जाना चाहिए। खर्चों का भुगतान न करने का कारण यह है कि निर्धारिती द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचर को आबंटन पर या एक निश्चित अवधि के बाद इक्विटी शेयरों में पूरी तरह से परिवर्तित किया जाना था और यह पैसा आवेदनकर्ता के रूप में निर्धारिती द्वारा प्राप्त धन को कभी नहीं चुकाना था। पैसा इक्विटी के रूप में कंपनी के फंड का हिस्सा बन जाता है और कंपनी को फायदा होता है।

CIT बनाम मोटो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड में, अदालत ने कहा कि "वित्तीय संस्था द्वारा दिए गए ऋण को स्वीकार करने के लिए डिबेंचर जारी किए जाते हैं या सब्सक्राइब किए जाते हैं, जिनसे ऋण प्राप्त किया गया था और राशि का उपयोग किया गया था"।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ इन-कम टैक्स बनाम मॉडर्न सिंटेक्स (इंडिया) लिमिटेड में, ट्रिब्यूनल ने कहा कि "व्यय ऋण के लिए दूसरे शब्दों में डिबेंचर के मुद्दे पर था 'और डिबेंचर कंपनी द्वारा जारी किए गए थे निश्चित ऋणग्रस्तता के रूप में'। यह इस तथ्य के बावजूद था कि ये डिबेंचर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय थे।"

गणेश बंजोप्लास्ट लिमिटेड बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ इन-कम टैक्स में, अदालत ने कहा कि "डिबेंचर, कन्वर्टिबल या नॉन-कन्वर्टिबल को ऋणी माना जाता है"।

सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सेबी में, सुप्रीम कोर्ट ने एक विपरीत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संकर उपकरणों की जांच की है कि परिवर्तनीय डिबेंचर अधिनियम के सुरक्षा उद्देश्य के लिए हैं। अदालत ने कहा कि "यह स्पष्ट है, कि 'संकर' न केवल कंपनी अधिनियम के उद्देश्य से, बल्कि सेबी अधिनियम के तहत भी 'प्रतिभूतियों' की शर्तों में शामिल हैं"।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली ("ITAT") DCIT बनाम सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड के मामले में, ITAT स्पष्ट रूप से एक ओर 'प्रतिभूतियों' और दूसरी ओर 'ऋणों' के बीच अंतर करता है। यह माना गया कि "वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर 'प्रतिभूतियाँ' हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्य के लिए ऋण 'या' जमा 'को प्रेरित करें"।

जहीर मॉरीशस बनाम आयकर निदेशक में, कि अनिवार्य शेयरों में अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी) को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करते

टिप्पणी

समय याचिकाकर्ता को आयकर से मुक्त नहीं किया जाता है। इक्विटी शेयरों की पूरी बिक्री और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीसीडी) पर कर लगाने की जरूरत है। यह माना जाता था कि "याचिकाकर्ता के पास इक्विटी और सीसीडी के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजना में अपने निवेश को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त व्यवसायिक कारण था"।

नरेंद्र कुमार माहेश्वरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्सेस में, अदालत के समक्ष यह मुद्दा था कि किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए कुछ ब्रोशर और पैम्फलेट को "पूरी तरह से सुरक्षित परिवर्तनीय डिबेंचर" के रूप में वर्णित किया गया है या नहीं। अदालत ने कहा कि मुद्रित ब्रोशर उन शब्दों का उपयोग करते हैं जो कुछ भी बदलने का इरादा किए बिना करते हैं। लेकिन ब्रोशर और पर्चे में "पूरी तरह से सुरक्षित परिवर्तनीय डिबेंचर" जोड़ने के लिए कंपनी की सहमति आवश्यक है।

शेयर बनाम डिबेंचर

शेयर	डिबेंचर
शेयर कंपनी के स्वामित्व वाले फंड हैं।	डिबेंचर कंपनी के उधार लिए गए फंड हैं।
शेयर कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं।	डिबेंचर कंपनी के ऋण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
शेयरों के धारक को शेयरधारक के रूप में जाना जाता है।	डिबेंचर धारक को डिबेंचर धारक के रूप में जाना जाता है।
शेयर धारक कंपनी के मालिक हैं	डिबेंचर धारक कंपनी के लेनदार हैं
शेयरधारकों को लाभांश मिलता है।	डिबेंचर धारकों को ब्याज मिलता है।
लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को केवल मुनाफे से किया जा सकता है।	लाभ न होने पर भी डिबेंचर धारकों को ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।
लाभांश लाभ का एक विनियोग है और इसलिए इसे कटौती के रूप में अनुमति नहीं है।	ब्याज एक व्यवसाय व्यय है और इसलिए इसे लाभ से कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।
भुगतान की कोई सुरक्षा नहीं है।	भुगतान की सुरक्षा है।
शेयरों के धारकों के पास मतदान के अधिकार हैं।	डिबेंचर के धारकों के पास कोई वोटिंग अधिकार नहीं है।
शेयरों को डिबेंचर में कभी नहीं बदला जा सकता है।	डिबेंचर को शेयरों में बदला जा सकता है।
सभी देनदारियों के भुगतान के बाद शेयरों को चुकाया जाता है।	डिबेंचर को शेयरों पर प्राथमिकता मिलती है, और इसलिए उन्हें शेयरों से पहले चुकाया जाता है।
शेयरों पर लाभांश लाभ का एक विनियोग है।	डिबेंचर पर ब्याज लाभ के खिलाफ एक आरोप है।
शेयरों के मामले में किसी भी ट्रस्ट डीड को निष्पादित नहीं किया जाता है।	जब डिबेंचर जनता को जारी किया जाता है, तो ट्रस्ट डीड को निष्पादित किया जाना चाहिए।

न्याय दृष्टांत

1. सरला गोयल और ORS बनाम किशन चंद के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "यह अच्छी तरह से तय है कि क्या" शब्द "का उपयोग" करेगा "के रूप में किया जाएगा, यह विधानमंडल के इरादे पर निर्भर करेगा। इसलिए, विधायिका के इरादे को समझने के लिए, 2013 के अधिनियम की धारा 23 के इतिहास का पता लगाना उपयोगी होगा।

निष्कर्ष: क्या 'का मतलब' होना चाहिए'

मोहन सिंह और ORS बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिये;

"यह सवाल कि क्या कोई क़ानून अनिवार्य है या निर्देशिका विधानमंडल के इरादे पर निर्भर करती है, न कि उस भाषा पर, जिसमें इरादे को गढ़ा जाता है। विधानमंडल का अर्थ और इरादा शासन करना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए, न कि केवल प्रावधान के वाक्यांश शास्त्र से, लेकिन इसकी प्रकृति, इसके डिजाइन और परिणामों के बारे में विचार करके जो इसे एक तरह से या दूसरे तरीके से मानते हैं ..."

यदि 'हो सकता है' शब्द को "माना जाता है" के रूप में माना जाता है, तो प्रभावी रूप से धारा 23 ज्यादा नहीं कह रही है। एक निजी कंपनी अपने शेयरों को जारी किए गए मोड के माध्यम से जारी कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। जिस मामले में धारा 23 है, वह ऐसा नहीं होने के बराबर है। दूसरी ओर, यदि कोई मानता है कि 'हो सकता है' का अर्थ 'करेगा' है, तो अन्य सभी प्रावधान या तो निजी प्लेसमेंट या अधिकार जारी करने की प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे। हालांकि, हमें 2013 के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं मिला है, जो विशेष रूप से बताता है कि सभी जारी करने के लिए आवश्यक रूप से धारा 23 के तहत किया जाना चाहिए और उसी को व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से 2013 के अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों ने इस मुद्दे से निपटने से इनकार कर दिया है और मौजूदा अन्तर्विरोधी प्रावधानों का कोई मार्गदर्शन नहीं किया है। प्रस्तावित कंपनी विधेयक 2016 भी इस विषय पर चुप है।

2. नानालाल झावर बनाम बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी को मौजूदा शेयरधारकों को किसी अन्य का पक्ष लेने से पहले पहला विकल्प देना होगा। कंपनी अधिनियम, १९५६ और कंपनी अधिनियम, २०१३ भी स्पष्ट रूप से कंपनी के नए शेयरों के लिए शेयरधारकों के एक पूर्वनिर्धारित अधिकार के लिए प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन बनाम SEBI के लैंडमार्क मामले में यह कहा कि धारा 81 मौजूदा शेयरधारकों के हिस्से पर एक पूर्वनिर्धारित अधिकार को शेयरों के नए मुद्दे पर पोस्ट करती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक

कंपनी जो शेयरों के आगे के मुद्दे में संलग्न है, उसे किसी और का पक्ष लेने से पहले अपने मौजूदा शेयरधारकों को पेश करना चाहिए। यह भारत और अन्य न्यायालयों में भी एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है।

यह सिद्धांत सुनिश्चित करने के लिए है कि शेयरधारक के साथ गलत व्यवहार न हो। यदि नए शेयरों को उनके मौजूदा होल्डिंग के अनुपात में मौजूदा शेयरधारकों को पेश किए बिना जारी किया जाता है, तो कंपनी पर उनके नियंत्रण का हिस्सा काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा, पूर्व-खाली अधिकारों का अस्तित्व आगे के शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों के विवेक पर एक गंभीर जांच के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, पूर्व-खाली अधिकार प्रदान नहीं करने से मौजूदा शेयरधारकों के असमान व्यवहार का परिणाम होगा। इसका कारण यह है कि अतिरिक्त शेयर जो कम कीमत पर जारी किए जाते हैं, वे बाहरी तौर पर कंपनी में बेहद लचीले तरीके से काम करेंगे, लेकिन दूसरी ओर, मौजूदा शेयरधारक जो शेयर हासिल करने के लिए अधिक कीमत चुकाते हैं, वे गलत तरीके से हारेंगे। इस प्रकार, पूर्व-खाली अधिकारों का अस्तित्व मौजूदा शेयरधारकों की भलाई सुनिश्चित करता है क्योंकि वित्तीय कमजोरियां नहीं होती हैं। हालाँकि, यह पूर्व-खाली अधिकार अधिकतम 30 दिनों के लिए ही उपलब्ध है, जिसके भीतर मौजूदा शेयरधारक को अपनी रुचि व्यक्त करनी चाहिए।

3. भले ही मौजूदा शेयरधारकों के पास नए शेयरों के लिए पूर्व-खाली अधिकार हैं, लेकिन शेयरों के आगे के मुद्दे में उनके हस्तक्षेप की सीमा का विश्लेषण पेपर के इस भाग में किया जाएगा। एक शेयरधारक निदेशक के विशेष या असाधारण स्थितियों में विवेक के अभ्यास में हस्तक्षेप कर सकता है। श्री हरि राव बनाम गोपाल ऑटोमोटिव लिमिटेड के मामले में, अदालत ने कहा कि निदेशक के पास शेयरों के आगे के मामले में संलग्न होने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध थे। इसलिए, उन्होंने माना कि वे कंपनी को केवल इस कारण के लिए और शेयर जारी करने से रोक नहीं सकते हैं कि अल्पसंख्यक शेयरधारक अतिरिक्त पूँजी की सदस्यता लेने के लिए तैयार नहीं हैं।
4. चंद्रकांत मूलराज बनाम टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड के मामले में अदालत ने कहा कि शेयरों के बाजार मूल्य में कमी कंपनी को शेयरों के आगे के मुद्दे पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा उपाय किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निदेशक के निर्णय में शेयरधारकों के हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद संकीर्ण है और केवल विशेष या असाधारण स्थितियों में है। असाधारण हस्तक्षेप जो इस तरह के हस्तक्षेप को रोकते हैं, उन्हें कागज के अगले भाग से निपटा जाएगा, जो आगे के मुद्दे पर उलझाने के दौरान निदेशक के कर्तव्यों के संबंध में है।
5. नानालाल झावर बनाम बॉम्बे लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड के ऐतिहासिक मामले में, अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि कंपनी के नियंत्रण हासिल करने के लिए किया गया था, क्योंकि आगे के शेयर जारी करने में निदेशक के विवेक का

टिप्पणी

टिप्पणी

उपयोग पुरुष रूप में किया गया था। न्यायालय ने इस विवाद से निपटते हुए कहा कि चूँकि निदेशकों ने कंपनी के सर्वोत्तम हितों के लिए एक शत्रुतापूर्ण तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, इसलिए निदेशकों को आकस्मिक लाभ शेयरों के आगे के मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

6. नीडल इंडस्ट्रीज (इंडिया लिमिटेड) बनाम नीडल इंडस्ट्रीज नेवी (इंडिया) होल्डिंग लिमिटेड के मामले में, कोर्ट ने निदेशक के कृत्यों पर रोक नहीं लगाई, क्योंकि उन्होंने न केवल कंपनी के लाभ के लिए एक शालीन तरीके से काम किया, बल्कि अपने मकसद को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी मकसद के काम किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि निदेशक के विवेक का प्रयोग अनुचित उद्देश्य के लिए होगा, यदि यह पूरी तरह से उनके अपने लाभ के लिए किया जाता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अदालत ने निदेशक की आवश्यकता के अलावा एक और मानक (प्रॉपर पर्स) जोड़ा है जो कि एक न्यायसंगत तरीके से कार्य करने के लिए है।
7. हॉग बनाम क्रैम्फोर्न लिमिटेड के ऐतिहासिक मामले में, अदालत ने शेयरों के आगे के मामले में हस्तक्षेप किया, भले ही उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कंपनी के हितों के लिए काम किया, क्योंकि उन्होंने कंपनी के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने के लिए अनुचित मकसद के साथ काम किया।
8. क्लेमेंस बनाम क्लेमेंस ब्रोस लि. के मामले में, अदालत ने माना कि बहुसंख्यक शेयरधारकों को निचोड़ने के एकमात्र उद्देश्य के लिए आगे के मुद्दे के बाद से निदेशक अपनी प्रत्ययी ड्यूटी के उल्लंघन में काम कर रहे थे। इसके बाद उचित उद्देश्य के अतिरिक्त सिद्धांत को भारत में भी बड़े पैमाने पर लागू किया गया।
9. डेल और कैरिंगटन इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड और Anr बनाम P.K. प्रथप्पन और ORS के मामले में न्यायालय ने निदेशक के आगे के मुद्दे को अमान्य कर दिया, क्योंकि वह न तो यह साबित करने में सक्षम था कि ऐसा मुद्दा कंपनी के लाभ के लिए था और न ही वह यह साबित करने में सक्षम था कि वह कंपनी के नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने मकसद से एक असमान तरीके से काम कर रहा था।

इस प्रकार, न्यायालय के न्यायिक घोषणाओं से यह स्पष्ट है कि निदेशक के विवेक के अभ्यास के तरीके का विश्लेषण करने के लिए मानक केवल आवश्यकता के आधार पर परिवर्तित किया गया है जो कि bona fide + के उचित उद्देश्य के संशोधित सिद्धांत के लिए है। यह मेरे अनुसार शेयरों के आगे के मुद्दे में निदेशक के विवेक की जाँच करने का सही मानक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी अधिनियम निदेशक के विवेक के पहलू पर आगे के शेयर जारी करने में कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार, संशोधित सिद्धांत को अपनाने से, एक निदेशक द्वारा अनियमित तरीके से अपने विवेक का उपयोग करने की संभावना को अधिकतम संभव न्यूनतम तक कम कर दिया जाता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

8. किसी कंपनी को दिया गया नकद ऋण कहा जाता है:
- | | |
|------------|-------------|
| (क) लाभांश | (ख) डिबेंचर |
| (ग) शेयर | (घ) आरक्षण |
9. डिबेंचर धारक _____ हैं।
- | | |
|---------------------|----------------------|
| (क) कंपनी का लेनदार | (ख) कंपनी का कर्जदार |
| (ग) कंपनी का मालिक | (घ) कंपनी के सदस्य |

टिप्पणी

3.12 ऋण लेने का अधिकार (Borrowing Rights)

एक कंपनी की शक्ति के तहत उसके निदेशकों द्वारा अधिकृत राशि से अधिक उधार नहीं ले सकते। इन दो कंपनी निदेशकों के तहत केवल डिबेंचर जारी करके पैसे उधार लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। धारा 179(3)(सी) और (डी) के तहत, निदेशकों के पास पैसे उधार लेने का प्रस्ताव पारित करने की शक्ति है। हालाँकि, पैसे को उधार लेने की शक्ति केवल प्रस्ताव पारित करके ही दी जा सकती है। धारा 180 के तहत, कंपनी के निदेशक मंडल को राशि के उधार लेने से प्रतिबंधित किया जाता है जो अस्थायी ऋण से प्राप्त होता है जो कंपनी के बैंकर से प्राप्त होता है। धारा 180 के अनुसार, अस्थायी ऋण वे ऋण हैं जो तारीख से 6 महीने के भीतर मांग पर फिर से देय होते हैं।

3.12.1 बोर्ड की शक्तियों पर प्रतिबंध (Restrictions on the Power of Board)

कंपनियों के अधिनियम की धारा 180 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा उधार लेने की शक्ति पर प्रतिबंध संबंधी नियम प्रदान करता है।

एक कंपनी के निदेशक मंडल केवल विशेष संकल्प द्वारा कंपनी की सहमति से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेंगे:

- कंपनी के पूरे उपक्रम को बेचने, पट्टे पर देने या अन्यथा पूरी तरह से या काफी हद तक निपटान करने के लिए या जहाँ कंपनी एक से अधिक उपक्रमों का मालिक है, कुल मिलाकर या ऐसे किसी भी उपक्रम का।
- किसी भी विलय या समामेलन के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों की राशि पर विश्वास प्रतिभूतियों में अन्यथा निवेश करने के लिए;
- धन उधार लेने के लिए, जहाँ उधार लिया जाने वाला धन, कंपनी द्वारा पहले से उधार लिए गए धन के साथ, उसके भुगतान किए गए शेयर पूँजी और मुक्त भंडार के कुल मिलाकर पार हो जाएगा, इसके अलावा साधारण पाठ्यक्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण व्यापार का;

टिप्पणी

- (iv) निदेशक से देय किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए समय देना।
- (v) कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में पारित किए जाने वाले प्रत्येक विशेष प्रस्ताव में कुल राशि निर्दिष्ट की जाएगी, जिसके लिए निदेशक मंडल द्वारा धनराशि उधार ली जा सकती है।
- (vi) किसी खरीददार या अन्य व्यक्ति का शीर्षक जो किसी भी संपत्ति को निवेश करता है या पट्टे पर लेता है, जैसा कि उस खंड में संदर्भित है, अच्छे विश्वास में; या कंपनी के किसी भी संपत्ति की बिक्री या पट्टे, जहाँ कंपनी का साधारण व्यवसाय होता है, या शामिल होता है, जैसे कि बेचना या पट्टे पर देना।
- (vii) लेन-देन के लिए सहमति के रूप में कंपनी द्वारा पारित कोई विशेष प्रस्ताव, जो उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट है, इस तरह की शर्तों को निर्धारित कर सकता है जैसे कि इस संकल्प में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिसमें उपयोग, निपटान या शर्तों के बारे में शर्तें शामिल हैं बिक्री आय का निवेश जो लेनदेन से हो सकता है:
- (viii) उप-धारा (1) के खंड (ब) द्वारा लगाई गई सीमा से अधिक कंपनी द्वारा किया गया कोई भी ऋण तब तक मान्य या प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि ऋणदाता यह साबित नहीं करता है कि उसने ऋण सद्भावना में और ज्ञान के बिना उन्नत किया है कि उस खंड द्वारा लगाई गई सीमा को पार कर लिया गया था।

3.12.2 अल्ट्रा वायर्स उधार (Ultra vires Borrowing)

धन उधार लेने की शक्ति कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन और लेखों द्वारा निर्दिष्ट की जाती है और निदेशक ऐसे प्राधिकरण से आगे नहीं जा सकते हैं, अगर निदेशक ऋण से अधिक एमओए और एओए द्वारा निर्धारित शक्ति से परे उधार लेते हैं, तो अल्ट्रा वायर्स उधार के रूप में माना जाता है।

किसी कंपनी द्वारा उधार लेना हो सकता है:

1. एक उधार जो अल्ट्रा वायर्स कंपनी है, या
2. एक उधार जो इंट्रा वायर्स कंपनी है, लेकिन अल्ट्रा डायरेक्टर्स को तार देता है।

कंपनी से अल्ट्रा वायर्स उधार लेने का परिणाम है

जब किसी कंपनी के पास उधार लेने की शक्तियाँ नहीं होती हैं, या जहाँ मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन/कंपनी की उधार लेने की शक्तियों की सीमा तय करता है, तो पहले मामले में कोई उधार लेने वाला और दूसरे मामले में इस तरह की सीमा से अधिक किसी भी प्रकार का उधार लेना कंपनी का अल्ट्रा वायर्स है।

ऐसे मामले में अनुबंध निरर्थक है और ऋणदाता ऋण की वापसी के लिए कंपनी पर मुकदमा नहीं कर सकता। ऋणदाता भी प्रतिभूतियों को वापस करने के

लिए एक दायित्व के तहत होगा, यदि कोई हो। कंपनी सामान्य बैठक में संकल्प द्वारा अल्ट्रा वायर्स ऋण की पुष्टि नहीं कर सकती है।

उधार के प्रकार

उधार के विभिन्न प्रकार हैं जिन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है:

दीर्घकालिक उधार: दीर्घावधि के तहत निधियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि से उधार लिया जाता है।

लघु अवधि की उधारी: अल्पावधि के तहत बहुत कम अवधि के लिए उधार लिया गया है जो 1 वर्ष तक है। इन निधियों को आम तौर पर उधार लिया जाता है ताकि कार्यशील पूँजी राशि बनाई जा सके।

टिप्पणी

3.13 बंधक और प्रभार (Mortgage and Charges)

3.13.1 प्रभार की अवधारणा (Concept of Charge)

कंपनी अधिनियम, 2013 एक कंपनी की संपत्ति या संपत्ति या उसके किसी उपक्रम की सुरक्षा पर बनाए गए ब्याज या ग्रहणाधिकार के रूप में एक शुल्क को परिभाषित करता है और इसमें एक बंधक धारा 2(16) में शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 से धारा 87 के तहत आरोपों से संबंधित है।

कंपनी अपनी संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करके धन उधार ले सकती है और कंपनी की संपत्तियों पर एक धारणाधिकार बना सकती है। कंपनी फंड जुटाने के लिए डिबेंचर भी जारी कर सकती है जो कंपनी के एसेट्स/प्रॉपर्टी में एक सही/ब्याज ले सकती है। एक चार्ज कंपनी के लेनदारों/कंपनी के संपत्तियों पर उसके ब्याज/अधिकार के लेनदार/ऋणदाता को सुरक्षा का एक तरीका है।

3.13.2 प्रभार बनाने के लिए जरूरत है (Need for Creating Charge)

लगभग सभी बड़ी और छोटी कंपनियाँ अपनी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए शेयर पूँजी और उधार ली गई पूँजी पर निर्भर करती हैं। उधार ली गई पूँजी में डिबेंचर जारी करने से जुटाए गए धन शामिल हो सकते हैं, जो सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं या वित्तीय संस्थान या बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय संस्थान/बैंक अपने मौद्रिकों को उधार नहीं देते हैं जब तक कि वे यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि उनका धन सुरक्षित है और उन्हें ब्याज के भुगतान के साथ-साथ सहमत चुकौती अनुसूची के अनुसार चुकाना होगा। अपने ऋण को सुरक्षित करने के लिए वे उधार लेने वाली कंपनियों की संपत्ति और संपत्तियों में अधिकार बनाने का सहारा लेते हैं, जिन्हें परिसंपत्तियों पर शुल्क के रूप में जाना जाता है। यह लोन एग्रीमेंट्स, हाइपोथीकेशन एग्रीमेंट्स, मॉर्टगेंज डीड्स और इसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट्स को निष्पादित करके किया जाता है, जिन्हें उधार देने वाली संस्था/बैंकों आदि के पक्ष में निष्पादित करने के लिए उधार लेने वाली कंपनी की आवश्यकता होती है।

3.13.3 प्रभार दर्ज करने के लिए कर्तव्य (Duty to Register Charge)

टिप्पणी

चार्ज बनाने वाली कंपनी, उक्त शुल्क के विवरणों को उसके निर्माण के 30 दिनों के भीतर आरओसी के पास पंजीकृत करा सकती है।

यह शुल्क हो सकता है:

- अपनी संपत्ति या संपत्ति पर या
- इसका कोई उपक्रम
- चाहे मूर्त हो या अन्यथा
- भारत में या उसके बाहर स्थित
- कंपनी और प्रभारी-धारक दोनों द्वारा हस्ताक्षरित
- एक साथ चार्ज बनाने वाले उपकरणों के साथ

3.13.4 प्रभार का पंजीकरण (Registration of Charge)

चार्ज का पंजीकरण (अधिनियम की धारा 77) जो व्यक्ति चार्ज बनाता है:

- चार्ज बनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रचना के 30 दिनों के भीतर CHG-1 दाखिल करेगा।
- हालाँकि, दाखिल करने के लिए विस्तार को ROC द्वारा दी जा सकती है:
- 2 नवंबर, 2018 (अध्यादेश, 2018 की शुरुआत) से पहले बनाए गए शुल्क के लिए 300 दिन। अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर इस मामले में 6 महीने का और विस्तार दिया जा सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
- 2 नवंबर, 2018 को या उसके बाद बनाए गए शुल्क के लिए 60 दिन। आवेदन किए जाने पर 60 दिनों का और विस्तार दिया जा सकता है और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ROC को किया जाता है।
- हालाँकि, पंजीकरण में देरी ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिग्रहित किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श किया जाए, तो कुछ शुल्क पंजीकृत नहीं होंगे।
- ROC फॉर्म CHG-2 में प्रभार के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

3.13.5 प्रभार न लेने का प्रभाव (Effect of Non-registration of Charge)

जब तक आरओसी और प्रमाण पत्र के साथ पंजीकृत विधिवत् रूप से आरओसी द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिसमापक या लेनदार द्वारा विचार करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

हालाँकि, पंजीकरण संविदा या आरोप द्वारा सुरक्षित धन को चुकाने के लिए बाध्य नहीं करता है।

उस व्यक्ति द्वारा शुल्क का पंजीकरण (अधिनियम की धारा 78) जिसके पक्ष में आरोप बनाया गया है:

- यदि चार्ज बनाने वाला व्यक्ति इसके निर्माण के 30 दिनों के भीतर फॉर्म सीएचजी-1 प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह व्यक्ति जिसके पक्ष में चार्ज बनाया जाता है, वही दाखिल कर सकता है।
- इस तरह के फॉर्म की प्राप्ति के बाद, आरओसी इस तरह के चार्ज को पंजीकृत करता है और ऐसे फॉर्म को न भरने वाले व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस भेज सकता है।
- इस तरह के अन्य व्यक्ति को भुगतान की गई राशि के पंजीकरण के लिए चार्ज बनाने वाले व्यक्ति से वसूल करने का हकदार होगा।

टिप्पणी

3.13.6 प्रभार का संशोधन (Amendment of Charge)

- किसी भी नियम या शर्तों में कोई संशोधन या पंजीकृत किसी भी प्रभार के संचालन की सीमा ROC के साथ पंजीकृत होगी।
- प्रभारी के संशोधन को पंजीकृत करने की क्रिया सृजन के समान है।
- हालांकि, इस मामले में, आरओसी फॉर्म सीएचजी-3 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

3.13.7 उल्लंघन के लिए सजा (Punishment for Violation)

- राशि का जुर्माना एक लाख से कम नहीं और दस लाख से अधिक नहीं है।
- डिफॉल्ट रूप से प्रत्येक अधिकारी को छह महीने तक कारावास की सजा होगी या एक लाख या दोनों के लिए पच्चीस हजार से कम जुर्माना नहीं होगा।
- इसके अलावा, गलत या गलत सूचनाओं को प्रस्तुत करना या भौतिक जानकारी का दमन करना इस प्रकार उत्तरदायी होगा:
 - कम-से-कम 10 लाख या 1% टर्नओवर की राशि के लिए, व्यक्ति को 6 साल से कम कारावास के साथ 6 साल तक की कैद की सजा और धोखाधड़ी के लिए, इस तरह की राशि का 3 गुना तक की राशि से कम का जुर्माना नहीं होगा। हालांकि, यदि धोखाधड़ी में सार्वजनिक हित शामिल हैं, तो कारावास की शर्तें 3 वर्ष से कम नहीं होंगी।
 - अन्य मामलों में, दोषी व्यक्ति को 5 साल तक कारावास या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

3.14 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (ग)
2. (ख)
3. (घ)
4. (घ)
5. (ग)
6. (क)
7. (ख)
8. (ख)
9. (क)

3.15 सारांश (Summary)

2013 अधिनियम, एक कंपनी को कंपनी के संपत्ति या संपत्ति (चल या अचल) पर प्रभार या बंधक के निर्माण के माध्यम से उसी के मुद्दे को सुरक्षित करके सुरक्षित डिबेंचर जारी करने की अनुमति देता है। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि उक्त अधिनियम डिबेंचर ट्रस्टी के पक्ष में कंपनी के किसी भी विशिष्ट चल संपत्ति पर प्रतिज्ञा के पक्ष में डिबेंचर के ऐसे मुद्दे को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबंधित करता है, जिसका मतलब है कि कंपनी प्रतिज्ञा नहीं कर सकती है। इसके मुद्दे को सुरक्षित करने के लिए इसकी चल संपत्ति। यह ऊपर से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुरक्षित डिबेंचर जारी करने से संबंधित प्रावधान 2013 के अधिनियम में अधिक कड़े हो गए हैं ताकि अनुपालन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी के खिलाफ सख्त दंड प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किसी भी डिफॉल्ट के मामले में 1956 के एक्ट के अर्थ की तुलना में, जिसके कारण किसी कंपनी को सुरक्षित डिबेंचर जारी करने की योजना बनाते समय अधिक सतर्क रहना पड़ता है, ताकि यह किसी भी तरह के दंड संबंधी प्रावधानों को आकर्षित न कर सके, जो कंपनी को और अधिक परेशानी में डाल सकता है।

3.16 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- ऋण: उधार, ऋणराशि, उधार लिया हुआ धन
- लाभांश: भाज्य, अंश, सूद, भाग
- निर्दिष्ट: उल्लिखित
- अधिकृत: स्वीकृत, प्रत्यायित

3.17 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

टिप्पणी

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. शेयर को परिभाषित करें।

Define shares with an example.

2. शेयर पूँजी के प्रकारों पर चर्चा करें।

Discuss various types of share capital.

3. कंपनी के शेयर धारक और सदस्य के बीच अंतर क्या है?

What is the difference between shareholder and member of a company in terms of rights?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. शेयरों के आबंटन से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

What are the provisions regarding allotment of shares?

2. शेयर के हस्तांतरण और ट्रांसमिशन की व्याख्या करें।

Explain the provisions regarding transfer and transmission of shares.

3. डिबेंचर के प्रकारों की व्याख्या करें।

Discuss the various types of debentures.

4. प्रभार से संबंधित प्रावधान नीचे लिखें।

Discuss various provisions regarding registration of charge.

3.18 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. Shukla S.M., *Company Adhinyam S/B*, Agra (Hindi and English).
2. Nowlkha Jain and Tripathi, *Company Law*, Universal – Agra (Hindi).
3. Dr. Bajpai and Jain, *Company Law*, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal.
4. Chawla and Garg, *Company Law*, S. Chand and Vikas Publishing House, Delhi.
5. Bagrial A.K., *Company Law*, New Delhi.
6. R.N. Nolakha, *Company Law*, R.B.D. Jaipur.

इकाई 4 संचालक और कंपनी की सभाएँ (Directors and Meetings of Company)

संरचना (Structure)

- 4.0 परिचय
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
 - 4.2.1 प्रबंध संचालक
 - 4.2.2 पूर्णकालिक संचालक
 - 4.2.3 प्रबंध संचालक बनाम पूर्णकालिक संचालक
 - 4.2.4 मैनेजर
 - 4.2.5 प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति
 - 4.2.6 केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ नियुक्ति
 - 4.2.7 अयोग्यताएँ
 - 4.2.8 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति
 - 4.2.9 प्रबंध संचालक की शक्तियाँ और कर्तव्य
 - 4.2.10 संचालक के कर्तव्य
 - 4.2.11 संचालक के दायित्व
- 4.3 कंपनी की सभाएँ
 - 4.3.1 सभा के प्रकार
- 4.4 कार्यसाधक संख्या
 - 4.4.1 सभा के लिए कोरम (धारा 103)
 - 4.4.2 बोर्ड की सभा के लिए कोरम (धारा 174)
- 4.5 मतदान
 - 4.5.1 वोटिंग के तरीके
 - 4.5.2 मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध (धारा 106)
- 4.6 प्रस्ताव
 - 4.6.1 साधारण संकल्प
 - 4.6.2 विशेष संकल्प
 - 4.6.3 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साधारण संकल्प की आवश्यकता के मामले
 - 4.6.4 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विशेष संकल्प की आवश्यकता वाले मामले
- 4.7 मिनट्स
 - 4.7.1 मिनट्स बुक
 - 4.7.2 बाइंडिंग ऑफ मिनट्स
 - 4.7.3 मिनट्स का हस्ताक्षर और परिसंचरण
 - 4.7.4 मिनट बुक का निरीक्षण
 - 4.7.5 मिनट बुक का संरक्षण
- 4.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 4.9 सारांश
- 4.10 मुख्य शब्दावली
- 4.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास
- 4.12 सहायक पाठ्य सामग्री

4.0 परिचय (Introduction)

कंपनी का कार्यकारी प्रबंधन कंपनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। कंपनी अधिनियम, 2013 ने कार्यकारी प्रबंधन को परिभाषित करने के लिए प्रमुख प्रबंधन कर्मियों शब्द का उपयोग किया है। प्रमुख प्रबंधन कर्मी कंपनी और उसके हितधारकों के बीच पहले संपर्क के बिंदु हैं, जबकि संचालक मंडल ओवरसाइट प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, यह प्रमुख प्रबंधन कर्मी हैं जो केवल रणनीतियों को लागू करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमों के साथ पढ़ा गया, 2014 प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक सहित प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति के कानून और प्रक्रियात्मक पहलुओं, सचिवीय ऑडिट आदि से संबंधित है।

टिप्पणी

4.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- एक कंपनी में विभिन्न निदेशकों और उनकी नियुक्ति, योग्यता और कर्तव्यों के बारे में जानेंगे।
- कंपनी की सभा और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे।
- कोरम, मतदान, संकल्प और कंपनी के मिनटों के बारे में समझ होगी।

4.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (Main Managerial Personnel)

कंपनी अधिनियम, 2013 ने प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की अवधारणा को मान्यता दी है। किसी कंपनी के संबंध में धारा 2(51) के अनुसार, "प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों" का अर्थ है:

- (i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध संचालक या प्रबंधक;
- (ii) कंपनी सचिव;
- (iii) पूर्णकालिक संचालक;
- (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी; तथा
- (v) ऐसे अन्य अधिकारी जो निर्धारित हो सकते हैं।

टिप्पणी

4.2.1 प्रबंध संचालक (Managing Director)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(54) के तहत प्रबंध संचालक:

एक संचालक, जो किसी कंपनी के लेखों के आधार पर या कंपनी के साथ एक समझौते या एक प्रस्ताव को अपनी आम सभा में पारित करता है, या उसके संचालक मंडल द्वारा, को कंपनी के मामलों के प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियाँ सौंपी जाती हैं और इसमें एक संचालक शामिल होता है जो प्रबंध संचालक के पद पर काबिज होता है।

दूसरे शब्दों में, प्रबंध संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कंपनी के मामलों के प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियाँ सौंपी जाती हैं। यह स्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

परिभाषा का विश्लेषण दिखाता है कि:

- (i) प्रबंध संचालक को एक व्यक्ति होना चाहिए,
- (ii) वह संचालक मंडल का सदस्य होना चाहिए
- (iii) उसे कंपनी के साथ एक समझौते के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए या कंपनी द्वारा आम सभा में या उसके संचालक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव या उसके मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आधार पर,
- (iv) उन्हें प्रबंधन की पर्याप्त शक्ति सौंपी जाती है,
- (v) उसे रूटिन प्रकृति की शक्तियाँ के साथ नहीं सौंपा गया है और
- (vi) वह अपने संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा।

4.2.2 पूर्णकालिक संचालक (Whole Time Director)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(94) कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में एक संचालक के रूप में "पूर्णकालिक संचालक" को परिभाषित करती है।

दूसरे शब्दों में, एक संचालक तो अपना सारा समय और ध्यान कंपनी के कार्य में लगाना चाहिए और कंपनी के अलावा अन्यत्र कहीं भी काम नहीं करना चाहिए।

4.2.3 प्रबंध संचालक बनाम पूर्णकालिक संचालक (Managing Director vs. Whole Time Director)

एक प्रबंध संचालक और एक पूर्णकालिक संचालक के बीच मूल अंतर यह है कि एक प्रबंध संचालक को एक समय में 5 से अधिक वर्षों के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक पूर्णकालिक संचालक पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, एक व्यक्ति दो कंपनियों का प्रबंध संचालक हो सकता है,

लेकिन एक व्यक्ति एक से अधिक कंपनियों का पूर्णकालिक संचालक नहीं हो सकता है।

संचालक और कंपनी की सभाएँ

4.2.4 मैनेजर (Manager)

टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(53) "प्रबंधक" को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जो संचालक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और दिशा के अधीन है, संपूर्ण या प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण कंपनी का प्रबंधन है और इसमें एक संचालक या कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है जो किसी भी सेवा के अनुबंध के तहत, चाहे वह किसी भी नाम से, प्रबंधक की स्थिति में हो।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(18) और (19) में "मुख्य कार्यकारी अधिकारी"/"मुख्य वित्तीय अधिकारी" को कंपनी के एक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे कंपनी द्वारा नामित किया गया है;

कंपनी सचिव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(24) "कंपनी सचिव" या "सचिव" को परिभाषित करती है, जो कंपनी सचिवों के अधिनियम, 1980 की धारा 2 के उप-खंड (1) के खंड (ब) में परिभाषित कंपनी सचिव का अर्थ है, इस अधिनियम के तहत कंपनी सचिव के कार्यों को करने के लिए एक कंपनी द्वारा नियुक्त व्यक्ति।

4.2.5 प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति (Appointment of Managing Director, Whole Time Director or Manager)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी एक ही समय में एक प्रबंध संचालक और एक प्रबंधक की नियुक्ति या नियोजन नहीं करेगी। इसके अलावा, कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को उसके प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक के रूप में एक बार में पांच साल से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं करेगी और उनके कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष से पहले कोई पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196(4) में यह प्रावधान है कि धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अधीन, एक प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक नियुक्त किया जाएगा और इस तरह की नियुक्ति और पारिश्रमिक की नियम और शर्तों को एक सभा में संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।, जो कंपनी की अगली आम सभा में एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा और केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की नियुक्ति अनुसूची V में निर्दिष्ट शर्तों के लिए विचरण पर है। यदि अनुसूची V के अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नियुक्ति की जाती है, तो केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

इसलिए, एक प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियम और शर्तें एक सभा में संचालक मंडल द्वारा पहले अनुमोदित की जानी चाहिए और फिर कंपनी की सामान्य सभा में एक साधारण प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

ऐसी नियुक्ति पर विचार करने के लिए बोर्ड या आम सभा बुलाने वाले नोटिस में इस तरह की नियुक्ति के नियम और शर्तें, पारिश्रमिक देय होंगे और इस तरह की नियुक्तियों में संचालक या निदेशकों के हित सहित अन्य मामले, यदि कोई हो।

इस तरह की नियुक्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र अर्थात् MR 1 में रजिस्ट्रार के साथ रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

धारा 196(5) में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, जहाँ एक सामान्य सभामें कंपनी द्वारा किसी प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी जाती है, ऐसी मंजूरी से पहले उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अवैध माना जाता जायेगा।

4.2.6 केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ नियुक्ति (Appointment with the Approval of Central Government)

यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के प्रावधानों को कंपनी द्वारा पूरा नहीं किया जाता है, तो एक प्रबंध संचालक (पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक) की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए एक आवेदन केंद्र सरकार को ई-फॉर्म नंबर MR-2 में किया जाएगा।

धारा 200 के अनुसार, केंद्र सरकार या कंपनी, जबकि धारा 196 के तहत अपनी मंजूरी के अनुसार, किसी प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक के पारिश्रमिक व नियुक्ति को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित बिंदु देखे जाएंगे:

- (क) कंपनी की वित्तीय स्थिति;
- (ख) किसी अन्य क्षमता में संबंधित व्यक्ति द्वारा निकाला गया पारिश्रमिक या कमीशन;
- (ग) किसी अन्य कंपनी से उसके द्वारा लिया गया पारिश्रमिक या कमीशन;
- (घ) संबंधित व्यक्ति की पेशेवर योग्यता और अनुभव;
- (ङ) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

धारा 200 के मद (ई) के प्रयोजनों के लिए नियम 6 के अनुसार, केंद्र सरकार या कंपनी को धारा 196 के तहत प्रबंध संचालक की नियुक्ति को मंजूरी देते समय निम्नलिखित बिंदु देखे जाएंगे:

- (1) तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन।
- (2) पारिश्रमिक और प्रदर्शन के बीच संबंध।
- (3) कंपनी के भीतर पारिश्रमिक के अनुपातिकता का सिद्धांत, आदर्श रूप से एक रेटिंग पद्धति द्वारा, जो संचालक के पारिश्रमिक की तुलना बोर्ड के अन्य कार्यकारी निदेशकों और कर्मचारियों या कंपनी के अधिकारियों से करता है।
- (4) क्या निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक नीति से भिन्न है और यदि हाँ, तो अंतर के लिए एक स्पष्टीकरण।
- (5) संचालक द्वारा रखी गई प्रतिभूतियाँ, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में दिए गए शेयरों के विकल्प और विवरण शामिल हैं।

टिप्पणी

4.2.7 अयोग्यताएँ (Disqualification)

अधिनियम की धारा 196(3) प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में एक विशिष्ट निषेधात्मक प्रावधान करती है। यह खंड नीचे दिया गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को अपने प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त या जारी नहीं रखेगी, जो:

(क) इक्कीस वर्ष की आयु से कम है या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है:

सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति की नियुक्ति एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की जा सकती है, जिस स्थिति में इस तरह के प्रस्ताव के लिए नोटिस में दिया गया व्याख्यात्मक बयान ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के औचित्य को इंगित करेगा।

(ख) एक अविभाजित दिवालिया है या कभी भी एक दिवालिया हो चुका है।

(ग) किसी भी समय अपने लेनदारों को भुगतान निलंबित कर दिया है, या बनाता है, या किसी भी समय किया है, उनके साथ एक रचना; या

(घ) किसी भी समय, एक अपराध की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और छह महीने से अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा, अनुसूची I के भाग I में पाँच शर्तें शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना एक व्यक्ति को प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होना चाहिए। ये स्थितियाँ निम्नानुसार हैं:

(क) उन्हें किसी भी अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई थी, या निम्नलिखित में से किसी भी अधिनियम के तहत अपराध की सजा के लिए, एक हजार रुपये से अधिक के जुर्माना की सजा दी गई थी:

टिप्पणी

- (i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899,
- (ii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944,
- (iii) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951,
- (iv) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954,
- (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955,
- (vi) कंपनी अधिनियम, 2013,
- (vii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956,
- (viii) धन-कर अधिनियम, 1957,
- (ix) आयकर अधिनियम, 1961
- (x) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962,
- (xi) प्रतियोगिता अधिनियम, 2002,
- (xii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999,
- (xiii) बीमार औद्योगिक कंपनियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985,
- (xiv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992,
- (xv) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992;
- (xvi) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;

(ख) उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत किसी भी अवधि के लिए हिरासत में नहीं लिया गया था;

(ग) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसे 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हुई है:

(घ) जहाँ वह एक से अधिक कंपनियों में प्रबंधकीय व्यक्ति है, वह भाग II के खंड ट में प्रदत्त अधिकतम सीमा के अधीन एक या एक से अधिक कंपनियों से पारिश्रमिक प्राप्त करता है;

(ङ) वह भारत का निवासी है।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए, भारत में निवासी में एक व्यक्ति शामिल है, जो बारह महीने से कम समय तक लगातार भारत में रह रहा है, एक प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से तुरंत पहले और जो भारत में रहने के लिए आया है:

(i) भारत में रोजगार लेने के लिए, या

(ii) किसी व्यवसाय या व्यवसाय पर ले जाने के लिए।

लेकिन यह शर्त विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कंपनियों पर लागू नहीं होगी, जैसा कि समय-समय पर वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

हालांकि, एक व्यक्ति, जो भारत में अनिवासी है, विदेश में संबंधित भारतीय मिशन से उचित रोजगार वीजा प्राप्त करने के बाद ही भारत में प्रवेश करेगा। इस

प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति को वीजा आवेदन पत्र, कंपनी की प्रोफाइल, प्रमुख नियोक्ता और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की शर्तों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

टिप्पणी

4.2.8 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति (Appointment of Chief Executive Officer)

रूल्स 8 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है और यह सूचीबद्ध कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य है, जिसकी दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता शेयर पूँजी है, जो पूरे समय के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को नियुक्त करने के लिए है:

- (i) प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधक और उनकी अनुपस्थिति में, एक पूर्णकालिक संचालक;
- (ii) कंपनी सचिव; और
- (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी:

कंपनी के प्रत्येक पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को बोर्ड के एक प्रस्ताव के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा जिसमें पारिश्रमिक सहित नियुक्ति के नियम और शर्तें शामिल हैं।

किसी व्यक्ति को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा, साथ-ही-साथ कंपनी के प्रबंध संचालक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी उसी समय तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी कंपनी के लेख अन्यथा प्रदान नहीं करते हैं; या कंपनी कई व्यवसाय नहीं करती है। हालाँकि, कई व्यवसायों में लगी कंपनियाँ और जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक या एक से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त किया है, उन्हें उपरोक्त नियम से छूट दी गई है।

एक पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी एक ही समय में अपनी सहायक कंपनी को छोड़कर एक से अधिक कंपनी में पद धारण नहीं करेंगे। हालाँकि, वह बोर्ड की अनुमति से इस तरह के अन्य निर्देशन का आयोजन कर सकता है।

एक पूरे समय के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मि एक ही समय में एक से अधिक कंपनी में पद धारण करते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियों में वह आरंभ से छह महीने की अवधि के भीतर उस एक कंपनी का चयन करना होगा जिसमें वह अपना काम जारी रखना चाहता है।

एक कंपनी किसी व्यक्ति को उसके प्रबंध संचालक के रूप में नियुक्त कर सकती है, यदि वह केवल एक अन्य कंपनी का प्रबंध संचालक या प्रबंधक हो और सभा में उपस्थित सभी निदेशकों की सहमति से बोर्ड की सभा में पारित एक प्रस्ताव द्वारा इस तरह की नियुक्ति या नियोजन किया जाता है या अनुमोदित

किया जाता है और इस प्रस्ताव की भारत के सभी निदेशकों को विशेष सूचना दी गई है।

टिप्पणी

यदि किसी भी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पद को खाली कर दिया जाता है, तो परिणामी रिक्ति बोर्ड द्वारा इस तरह की रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर बोर्ड की सभा में भरी जाएगी।

4.2.9 प्रबंध संचालक की शक्तियाँ और कर्तव्य (Powers and Duties of Managing Director)

प्रबंध संचालक को कंपनी प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियाँ सौंपी जाती हैं, जो संचालक मंडल की अधीनता, नियंत्रण और दिशा के अधीन होती हैं।

लेकिन उन्हें इस तरह के रूप में एक नियमित प्रकृति के प्रशासनिक कार्य करने के लिए नहीं सौंपा गया है:

- (i) किसी भी दस्तावेज़ के लिए कंपनी की आम मुहर को लागू करने के लिए
- (ii) किसी भी बैंक में कंपनी के खाते पर किसी भी चेक को ड्रॉ और उसका समर्थन करने के लिए, या
- (iii) किसी भी परक्राम्य लिखत को ड्रॉ करने और समर्थन करने के लिए, या
- (iv) शेयरों के किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, या
- (v) किसी भी शेयर के हस्तांतरण के प्रत्यक्ष पंजीकरण के लिए।

प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियाँ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) कंपनी की व्यापक नीतियों और नियमों को निर्धारित करना।
- (ii) ऐसी नीतियों और उद्देश्यों को निष्पादित करना।

प्रबंधन की प्रमुख शक्तियाँ किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंध संचालक को कंपनी के पूरे मामले के प्रबंधन के साथ सौंपा जाना चाहिए जैसा कि प्रबंधक के मामले में है। वह संचालक मंडल और बाकी संगठन के बीच संपर्क अधिकारी है। वह संचालक-सह-कार्यकारी है और संचालक मंडल के सदस्य के रूप में वह कंपनी के उद्देश्यों और नीतियों को साझा करता है, हालाँकि वह बोर्ड के अधीनस्थ है।

प्रबंध संचालक की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निम्नानुसार बताई जा सकती हैं:

1. संचालक मंडल के सदस्य के रूप में वह बोर्ड के उद्देश्यों और नीति-निर्माण कार्यों को तैयार करने में भाग लेता है।
2. संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को निष्पादित करना।
3. वह संचालक मंडल और बाकी संगठन के बीच संपर्क अधिकारी है।
4. कर्मचारियों को अधीनस्थ करने के लिए कंपनी की नीतियों की व्याख्या और संवाद करना।

5. कंपनी के संचालन और समय-समय पर मौजूद खातों और आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड को कंपनी की प्रगति और वर्तमान स्थिति दिखाना।
6. कंपनी की स्वीकृत नीतियों के अनुसार रोजगार और समझौता योजना तैयार करना।
7. कंपनी के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करना।
8. व्यवसाय के विकास और विस्तार की योजना बनाना।
9. विभाग प्रमुखों के साथ सभा आयोजित करना।
10. निपुणता की भावना पैदा करके कंपनी के कर्मचारियों के बीच उच्च मनोबल को बढ़ावा देना।
11. सरकार, चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघ और समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर संपर्क बनाए रखने के लिए।
12. लाइन और स्टाफ प्रबंधकों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए।
13. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विकास योजनाओं को अनुमोदित या अस्वीकृत करना और अंतिम अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखना।
14. बजटीय नियंत्रण की एक प्रणाली स्थापित करने के लिए जिसके द्वारा कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन नियोजित कार्रवाई के खिलाफ किया जा सकता है।
15. कंपनी के उत्पादन और बिक्री गतिविधियों को संचालित करना।
16. बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर आपूर्ति द्वारा सुनिश्चित की गई उपभोक्ता संतुष्टि पर उचित ध्यान देना।

टिप्पणी

4.2.10 संचालक के कर्तव्य (Duties of Directors)

- संचालक को AOA के अनुसार कार्य करना होता है।
- किसी कंपनी का एक संचालक अपने सदस्यों के लाभ के लिए और कंपनी के सर्वोत्तम हित में, अपने कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदाय और वातावरण की सुरक्षा के लिए कंपनी की वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए अच्छे विश्वास में कार्य करेगा।
- एक कंपनी के संचालक उचित और वाजिब देख-भाल, कौशल और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और स्वतंत्र निर्णय का प्रयोग करेंगे।
- एक कंपनी के एक संचालक ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होंगे जिसमें उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि हो सकती है जो कंपनी के हित के साथ टकराव या संघर्ष कर सकते हैं।

टिप्पणी

- किसी कंपनी का एक संचालक किसी भी अनुचित मुनाफे या लाभ को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा या स्वयं या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों या सहयोगियों के लिए नहीं करेगा।
- कंपनी का कोई संचालक अपने पद को नहीं सौंपेगा और ऐसा किया गया कोई भी कार्य निरर्थक होगा।

4.2.11 संचालक के दायित्व (Liabilities of Director)

निम्नलिखित दायित्व हैं जिनके लिए संचालक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है:

- **चेक का डिस्ऑनर:** जो अधिकारी चेक बाउंस के लिए जिम्मेदार है, उसे पूरी कंपनी के बजाय उत्तरदायी माना जाता है।
- **श्रम या रोजगार कानून:** कर्मचारी भविष्य निधि या कारखानों के अधिनियमों में से किसी भी विवाद के साथ किसी भी कुप्रबंधन के मामले में, विभाग के प्रभारी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। जिन निदेशकों को कंपनी का समग्र प्रभार नहीं दिया गया है और कुछ पर प्रभुत्व है, उन्हें आपराधिक आरोपों के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- **आयकर मामले:** किसी भी कंपनी को टैक्स चोरी के लिए दोषी पाया गया, तो उस कंपनी के एजेंट को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- **प्रोस्पेक्टस में भ्रामक बयान:** प्रोस्पेक्टस में भ्रामक बयान के लिए एक संचालक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उसे उन लोगों को मुआवजा देने के लिए बनाया जाएगा जो मानते हैं कि प्रोस्पेक्टस में एक विशेष कथन सच है जो वास्तव में नहीं है।
- **लापरवाही का दोषी:** जब निदेशकों को किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दोषी पाया जाता है या जब संचालक के फैसले में देरी के कारण कंपनी धोखाधड़ी करती है, तो संचालक को कंपनी की क्षति का मुआवजा देने हेतु बाध्य होना पड़ता है।
- **ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट की प्रतिबद्धता:** यदि संचालक को विश्वास भंग करने का दोषी पाया जाता है, तो वह क्षति के साथ किसी अन्य पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। कुछ मामले हो सकते हैं जहाँ विशिष्ट प्रदर्शन को भी मज़बूर किया जा सकता है। विश्वास का उल्लंघन किसी के भी शेयरधारकों, कर्मचारियों, सह-निदेशकों या उपभोक्ताओं के खिलाफ हो सकता है।
- **अपकरण:** यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जब एक अधिनियम कानूनी होता है, लेकिन यह अवैध तरीके से किया जाता है।
- **कंपनियों के शेयर खरीदना:** जब एक संचालक का अन्य निदेशकों की जानकारी के बिना अपनी कंपनी के शेयर खरीदना शामिल होता है, तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है।

- **संचालक की शक्तियाँ का अल्ट्रा वायर्स:** संचालक को कहा जाता है कि वे अल्ट्रा वायर्स पावर में होते हैं जब वे अपनी शक्तियाँ से बाहर निकलते हैं जो कि लेखों में वर्णित नहीं हैं। इसमें अन्य निदेशकों और शेयरधारकों की सहमति के बिना संपत्ति खरीदना या अनुबंध में प्रवेश करना शामिल हो सकता है।

संचालक पूरी तरह से कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं और वे एक कंपनी में बहुत शक्तिशाली स्थिति रखते हैं। ऐसी संभावना है कि वे खुद को उन गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं जो कंपनी की स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

1. एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में निदेशकों की _____ न्यूनतम नं. है:
(क) 1 (ख) 2
(ग) 3 (घ) 4
2. कोई व्यक्ति _____ से अधिक कंपनियों के प्रबंध संचालक के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
(क) 1 (ख) 2
(ग) 4 (घ) 5

4.3 कंपनी की सभाएँ (Meetings of a Company)

कॉर्पोरेट मामलों पर चर्चा के लिए कई लोगों की सभासंघ या सभा है। निर्णय लेने के लिए अधिकांश मतों की आवश्यकता होती है। संचालक और सदस्य भी विभिन्न मामलों पर चर्चा करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार, सभा के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अधिनियम में सभा के लिए कई प्रावधान हैं। सभा में कम-से-कम दो व्यक्ति होने चाहिए। एक व्यक्ति सभा का गठन नहीं कर सकता।

मान्य मीटिंग के अनुरोध

मान्य मीटिंग के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:


1. ठीक से संचालित
2. प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा आयोजित
3. उचित और पर्याप्त नोटिस भी
4. कानूनी रूप से गठित।
5. चेयरपर्सन होना चाहिए।

6. कोरम के नियमों का पालन करें
7. वैध रूप से लेन-देन का व्यवसाय होना चाहिए।

टिप्पणी

4.3.1 सभा के प्रकार (Types of Meeting)

एक कंपनी की सभा को मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।



चित्र क्र. 4.1: सभा के प्रकार

1. शेयर होल्डर्स की मीटिंग

यह सभा केवल कंपनी के सदस्यों के लिए है। सदस्य और संचालक कंपनी से संबंधित मामलों पर भी चर्चा करते हैं।

शेयरधारकों की बैठकों को आगे चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है,

A. वैधानिक सभा: वैधानिक सभा पहली सभाहोती है, जिसे कंपनी अपनी आरंभ के बाद आयोजित करती है। वैधानिक सभा का संचालन अनिवार्य है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को एक महीने से कम की अवधि के भीतर ऐसी सभा आयोजित करने की आवश्यकता होती है और शुरू होने की तारीख से छह महीने से अधिक नहीं। कंपनी के निदेशकों को भी वैधानिक रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सदस्यों को सभा की तारीख से कम-से-कम 21 दिन पहले रिपोर्ट की एक प्रति दी जानी चाहिए और पंजीकरण के लिए एक प्रति रजिस्ट्रार को भी भेजी जानी चाहिए।

धारा 165(3) प्रदान करती है कि वैधानिक रिपोर्ट को निम्नलिखित विवरणों को प्राप्त करना चाहिए:

- (i) आबंटित किए गए पूर्ण रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों की कुल संख्या;
- (ii) प्राप्त नकद की कुल राशि;
- (iii) प्राप्तियाँ, उन्हें वर्गीकृत करना और कमीशन के लिए किए गए खर्च, दलाली आदि भी।
- (iv) निदेशकों, लेखा परीक्षकों, प्रबंधकों और सचिवों के नाम, पते और व्यवसायों पर भी नाम, पता इत्यादि का परिवर्तन।

- (v) अनुमोदन के लिए सभा में प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधनों के साथ अनुबंधों का विवरण;
- (vi) कॉल की बकाया राशि;
- (vii) संचालक और प्रबंधकों को भुगतान किए गए कमीशन और ब्रोकरेज।

प्रत्येक संचालक या कंपनी का कोई अन्य अधिकारी जो डिफॉल्ट रूप से है, उस दंड के साथ दंडनीय होगा जो ₹ 500 तक विस्तारित हो सकता है।

B. वार्षिक आम सभा (AGM): कंपनियों की धारा 96 के तहत, हर कंपनी हर साल वार्षिक आम सभा के रूप में एक आम सभा करेगी, वन पर्सन कंपनी को छोड़कर। दो AGM के बीच पंद्रह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

AGM की सूचना या तो लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। सदस्य को नोटिस को कम-से-कम 21 स्पष्ट दिनों में प्राप्त करना चाहिए। नोटिस में जगह, दिन, तारीख और सभा का उचित समय शामिल होना चाहिए। इसमें सभा का एजेंडा भी होना चाहिए। कंपनी के प्रत्येक सदस्य, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि और दिवालिया सदस्य, लेखा परीक्षक और कंपनी के प्रत्येक संचालक को नोटिस मिलना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 101, AGM के लिए नोटिस के प्रावधान से संबंधित है।

C. असाधारण सभा (EGM): प्रत्येक सभा जो AGM या वैधानिक सभा नहीं है, वह EGM है। एक EGM कुछ विशेष व्यवसाय के लिए आयोजित किया जाता है जिसे AGM में लेन-देन नहीं किया जा सकता है। यह कुछ जरूरी व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए भी आयोजित किया जाता है। यह सभा निदेशकों द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के Sec. 169 के अनुसार सदस्य द्वारा बुलाया जा सकता है।

EGM को आम तौर पर कुछ जरूरी या विशेष व्यवसाय के लेन-देन के लिए कहा जाता है, जिसे अगली वार्षिक आम सभा तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। इन बैठकों में लेन-देन करने वाले प्रत्येक व्यवसाय को विशेष व्यवसाय कहा जाता है।

D. वर्ग सभा: वर्ग की सभा वे सभा होती हैं, जो शेयरों के एक विशेष वर्ग के शेयरधारकों द्वारा आयोजित की जाती हैं जैसे: प्रेफरेंस शेयर धारकों या डिबेंचर धारकों द्वारा।

वर्ग सभा आम तौर पर तब आयोजित की जाती हैं जब शेयरधारकों के किसी विशेष वर्ग के अधिकारों में परिवर्तन, बदलाव या उन्हें प्रभावित करने का प्रस्ताव होता है। इस प्रकार, ऐसे परिवर्तनों को प्रभावी करने के लिए यह आवश्यक है कि उन शेयरों के धारकों की एक अलग सभा आयोजित की जाए और इस मामले को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा सभा में अनुमोदित किया जाए।

उदाहरण के लिए, संचयी प्रेफरेंस शेयरों पर लाभांश के बकाया को रद्द करने के लिए, इस तरह के शेयर धारकों की सभा के लिए कॉल करना और

टिप्पणी

टिप्पणी

कंपनियों अधिनियम द्वारा आवश्यक के रूप में एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। ऐसी कक्षा की सभा के मामले में, अन्य वर्ग के शेयरों के धारकों को उपस्थित होने और मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।

2. निदेशकों की बैठक

निदेशकों की सभा को बोर्ड सभा कहा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही कंपनी की सबसे अक्सर आयोजित सभा है। केवल इन बैठकों में ही कंपनी और उसकी नीतियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाती है और उन पर निर्णय लिया जाता है।

चूँकि कंपनी का प्रशासन बोर्ड के हाथों में है, इसलिए इसे कंपनी के व्यवसाय के उचित संचालन के लिए अक्सर मिलना चाहिए। कंपनी अधिनियम इसलिए बोर्ड की बैठकों के आयोजन और संचालन के संबंध में नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए निदेशकों को व्यापक विवेक देता है।

अधिकांश कंपनियों के संचालक इस बात से संबंधित हैं कि वे कैसे, कहाँ और कब मिलेंगे और उनकी बैठकों को कैसे विनियमित किया जाएगा। इन नियमों को आमतौर पर स्थायी आदेश के रूप में जाना जाता है।

3. डिबेंचर होल्डर्स की सभा

एक विशेष वर्ग के डिबेंचर धारक इन सभाओं का संचालन करते हैं। वे आम तौर पर तब आयोजित किए जाते हैं जब कंपनी सुरक्षा की शर्तों को अलग करना चाहती है या अपने अधिकारों को संशोधित करना या देय ब्याज दर आदि को अलग करना चाहती है। डिबेंचर धारकों की बैठकों के संबंध में नियम और विनियम या तो ट्रस्ट डीड में दर्ज किए जाते हैं या डिबेंचर बॉन्ड पर समर्थन किया गया है ताकि वे डिबेंचर के धारकों और कंपनी पर बाध्य हों।

4. लेनदारों की बैठक

ये किसी कंपनी की सभा नहीं हैं। ये तब आयोजित किए जाते हैं जब कंपनी अपने लेनदारों के साथ व्यवस्था की योजना बनाने का प्रस्ताव करती है। व्यक्तियों जैसी कंपनियों को कभी-कभी अपने लेनदारों के साथ समझौता करने या कुछ व्यवस्था करने के लिए आवश्यक हो सकता है। इन परिस्थितियों में, लेनदारों की सभा आवश्यक है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

3. _____ सभा ने सदस्य को कंपनी के प्रचार और गठन पर चर्चा करने का अवसर दिया।
- (क) एक सामान्य (ख) EGM
(ग) वैधानिक (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
4. नीचे दिए गए में, जिन्हें वैधानिक आम सभा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है:
- (क) निजी कंपनी (ख) सरकारी कंपनी
(ग) सार्वजनिक कंपनी (घ) दोनों (क) और (ख)
5. वैधानिक सामान्य सभा की रसीदें और भुगतान रिपोर्ट की तारीख से _____ दिन पहले तैयार किए जाते हैं:
- (क) 3 (ख) 5
(ग) 7 (घ) 9
6. नीचे दिए गए में A.G.M. _____ रखने की आवश्यकता है:
- (क) सार्वजनिक कंपनी (ख) निजी कंपनी
(ग) सरकारी कंपनी (घ) तीनों
7. AGM के संचालन की समय अवधि आरओसी द्वारा कितने महीनों के लिए विस्तारित की जाती है?
- (क) 1 (ख) 2
(ग) 3 (घ) 4

टिप्पणी

4.4 कार्यसाधक संख्या (Quorum)

कोरम उन निदेशकों की न्यूनतम संख्या है जिन्हें बोर्ड सभा आयोजित करना आवश्यक माना जाता है। अपेक्षित न्यूनतम कोरम के बिना बोर्ड की सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। हालाँकि, बोर्ड की सभा में न्यूनतम आवश्यकता से अधिक कोरम हो सकता है। एक न्यूनतम कोरम निदेशकों की कुल ताकत का एक तिहाई या 2 संचालक, जो भी अधिक हो। बोर्ड की सभा तभी हो सकती है जब कोरम मौजूद हो और कोरम की उपस्थिति के बिना बोर्ड की सभा में लिया गया कोई भी निर्णय निरर्थक होगा। कोरम में संचालक शामिल होते हैं जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से बोर्ड की सभा में भाग लेते हैं।

4.4.1 सभा के लिए कोरम। (धारा 103) (Quorum for Meeting)

- (1) जब तक कंपनी के आर्टिकल बड़ी संख्या के लिए प्रदान नहीं करते, —
- (क) एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में, —
- (i) पाँच सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, यदि सभा की तारीख पर सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है;
- (ii) पंद्रह सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, यदि सभा की तारीख के रूप में सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक है, लेकिन पाँच हजार तक है;
- (iii) तीस सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, यदि सभा की तारीख के रूप में सदस्यों की संख्या पाँच हजार से अधिक हो;
- (ख) एक निजी कंपनी के मामले में, दो सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, कंपनी की सभा के लिए कोरम होगा।
- (2) यदि कंपनी की सभा आयोजित करने के लिए नियुक्त समय से आधे घंटे के भीतर कोरम मौजूद नहीं है—
- (क) सभा अगले सप्ताह में उसी दिन उसी स्थान और समय पर स्थगित की जाएगी, या ऐसी अन्य तिथि और ऐसे अन्य समय और स्थान के रूप में जिन्हें बोर्ड निर्धारित कर सकता है; या
- (ख) बैठक, यदि धारा 100 के तहत अपेक्षितकर्ताओं द्वारा बुलाया जाता है, तो रद्द कर दिया जाएगा:
- खण्ड (क) के तहत सभा की एक सभा या दिन, समय या स्थान के परिवर्तन के मामले में, कंपनी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी और मौखिक भाषा में एक) जो उस स्थान पर प्रचलन में है, जहाँ कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, विज्ञापन प्रकाशित करके तीन दिन से कम का नोटिस नहीं देगी है।
- (3) यदि स्थगित सभा में भी, सभा आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य कोरम होंगे।

अपवाद / संशोधन / अनुकूलन

1. **निजी कंपनी के मामले में:** धारा 103 लागू होगी, जब तक कि संबंधित अनुभागों में निर्दिष्ट न हो या कंपनी के आर्टिकल अन्यथा प्रदान न करें।
2. **निर्दिष्ट IFSC पब्लिक कंपनी के मामले में:** धारा 103 एक निर्दिष्ट IFSC सार्वजनिक कंपनी के मामले में लागू होगी, जब तक कि कंपनी के आर्टिकल में निर्दिष्ट न हो।

4.4.2 बोर्ड की सभा के लिए कोरम (धारा 174) (Quorum for Board Meeting)

टिप्पणी

- (1) किसी कंपनी के संचालक मंडल की सभा के लिए कोरम 1 होगा (इसकी कुल संख्या का एक तिहाई या दो संचालक, जो भी अधिक हो), और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल द्वारा निदेशकों की भागीदारी इस उपधारा के तहत कोरम के प्रयोजनों के लिए भी गणना की जाएगी।
- (2) बोर्ड में किसी भी रिक्ति के बावजूद निरंतर संचालक कार्य कर सकते हैं; लेकिन, यदि और जब तक बोर्ड की एक सभा के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित कोरम से नीचे उनकी संख्या कम हो जाती है, तो जारी संचालक या संचालक कोरम के लिए तय किए गए निदेशकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर सकते हैं, या कंपनी की एक सामान्य सभा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
- (3) जहाँ किसी भी समय इच्छुक निदेशकों की संख्या संचालक मंडल की कुल ताकत के दो-तिहाई के बराबर या अधिक है, उन निदेशकों की संख्या जो इच्छुक संचालक नहीं हैं और सभा में मौजूद हैं, दो से कम नहीं, ऐसे समय में कोरम होगा।
- (4) जहाँ बोर्ड की एक सभा कोरम के लिए आयोजित नहीं की जा सकती है, तब तक, जब तक कि कंपनी के लेख प्रदान न करें, सभा स्वचालित रूप से अगले सप्ताह में उसी दिन और स्थान पर स्थगित होगी या यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है, तो अगले दिन तक, जो कि एक ही समय और स्थान पर, एवम् उस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिये।

अपवाद / संशोधन / अनुकूलन

1. धारा 8 कंपनी के मामले में, धारा 174 की उप-धारा (1) में, "कुल संख्या का एक तिहाई या दो संचालक, जो भी अधिक हो" शब्दों के लिए, "या तो आठ सदस्य या पच्चीस प्रतिशत, इसकी कुल शक्ति का जो भी कम हो" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
निम्नलिखित अनंतिम धारा 8 कंपनी के मामले में सम्मिलित किया जाएगा:
"बशर्ते कि कोरम दो सदस्यों से कम नहीं होगा"।
2. निर्दिष्ट IFSC पब्लिक कंपनी के मामले में – धारा 174 की उप-धारा (3) इस अपवाद के साथ लागू होगी कि इच्छुक संचालक ऐसी सभा में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि उनकी रुचि का खुलासा संबंधित संचालक द्वारा पहले या सभा में किया गया हो।
3. निजी कंपनी के मामले में – धारा 174 की उप-धारा (3) इस अपवाद के साथ लागू होगी कि इच्छुक संचालक को भी इस तरह की सभा में कोरम की ओर गिना जा सकता है, जो कि धारा 184 के लिए उसकी रुचि के अनुसार है।"

टिप्पणी

4.5 मतदान (Voting)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-साधनों) द्वारा सदस्यों को वोट देने के अधिकार के अभ्यास से संबंधित है।

4.5.1 वोटिंग के तरीके (Ways of Voting)

विभिन्न प्रकार जिसके माध्यम से एक शेयरधारक अपना वोट डाल सकता है, नीचे दिए गए हैं:

सामान्य सभा में भाग लेने से:

1. हाथों का प्रदर्शन

धारा 107 के अनुसार, सभा के वोट के लिए एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जब तक कि धारा 109 के तहत मतदान की मांग नहीं की जाती है या मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं किया जाता है, हाथों के शो पर निर्णय लिया जाता है।

इसके अलावा, एमसीए के जनरल सर्कुलर नं 20/2014 दिनांक 17/06/2014, यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 108 के तहत आने वाली कंपनियों के नियम 20 (इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान) के साथ पढ़े जाने के मामले में, धारा 107 के प्रावधान (हाथों से वोट देना) लागू नहीं होंगे।

2. पोल

धारा 109 के अनुसार, ऐसे सदस्यों की संख्या के हिसाब से सर्वेक्षण की मांग की जा सकती है, जिनके शेयरों की न्यूनतम मूल्य रु पांच लाख या कंपनी में 10% मतदान शक्ति।

इसके अलावा, MCA ने अपने पूर्ववर्ती जनरल सर्कुलर को स्पष्ट कर दिया है कि धारा 108 के तहत आने वाली कंपनियों के नियम 20 के साथ पोल 20 की मांग की अवधारणा बेमानी है।

यदि कंपनी धारा 108 के दायरे में आती है, तो सभा में उपस्थित शेयरधारकों द्वारा मतदान का प्रबंध: परिपत्र द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इन कंपनियों को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है, जहाँ "एक शेयर – एक वोट" के सिद्धांत को मान्यता दी जाती है, इसलिए अध्यक्ष के अनुसार सभा को विनियमित किया जाना चाहिए।

सभापति द्वारा सभा का विनियमन:

अध्यक्ष धारा 109 (6) और पूर्वोक्त परिपत्र के आधार पर सभा को विनियमित करने के लिए अधिकृत है। इस लेख में प्रक्रिया को नीचे दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करके:

नियम 20 के साथ धारा 108 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और 1000 से अधिक शेयरधारकों वाली कंपनियों को अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग विकल्प देने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, 17 अप्रैल, 2014 से लागू लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 35 बी (2) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयरधारकों को प्रदान करने के लिए सहमत है जिनके पास ई-वोटिंग सुविधा तक पहुँच नहीं है, उन्हें डाक मत के माध्यम से मतदान का विकल्प दिया गया है।

लेकिन, MCA द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार किसी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वह शेयरहोल्डर्स को नियम 20 (यानी ई-वोटिंग) के मामले में शेयर बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराए। हालाँकि यह सूची समझौते के क्लॉज़ 35 बी (2) के साथ विरोधाभासी है।

सर्वोच्च न्यायालय के तय मामले के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में कंपनी कानून की तुलना में समझौते को सूचीबद्ध करना होगा। इसलिए, डाक मतपत्र के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के विकल्प के मामले में उन शेयरधारकों को भी प्रदान किया जाना है, जिनके पास-ई वोटिंग की सुविधा नहीं है।

4.5.2 मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध (धारा 106) (Restrictions on the Right to Vote)

- (1) इस अधिनियम में किसी कंपनी के लेखों के होते हुए भी कोई भी सदस्य अपने नाम से पंजीकृत किसी भी शेयर के संबंध में किसी भी मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, जिस पर उसके द्वारा देय किसी भी कॉल या अन्य रकम का भुगतान नहीं किया गया है, या जिसके संबंध में कंपनी ने ग्रहणाधिकार के किसी भी अधिकार का प्रयोग किया है।
- (2) एक कंपनी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आधारों को छोड़कर, किसी भी सदस्य को किसी अन्य आधार पर उसके मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से रोक नहीं सकती है।
- (3) किसी कंपनी की सभा में लिए गए एक सर्वेक्षण में, एक सदस्य जो एक से अधिक वोटों का हकदार है, या उसका प्रॉक्सी, जहाँ अनुमति दी गई है, या अन्य व्यक्ति उसके लिए वोट करने का हकदार है, जैसा कि मामला हो सकता है, यदि उसे जरूरत नहीं है, तो वोट, अपने सभी वोटों का उपयोग करें या सभी वोटों का उसी तरह से उपयोग करें।

टिप्पणी

टिप्पणी

4.6 प्रस्ताव (Resolution)

एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय एक संकल्प के रूप में होगा। तदनुसार, किसी कंपनी के निदेशकों या सदस्यों (या सदस्यों का एक वर्ग) द्वारा किए गए समझौते या निर्णय के रूप में एक संकल्प को परिभाषित किया जा सकता है। एक प्रस्तावित प्रस्ताव एक प्रस्ताव है। जब कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो एक कंपनी इसके लिए बाध्य होती है। संकल्प बोर्ड की बैठकों के मामले में किसी भी विषय के बारे में हो सकते हैं क्योंकि वे अंततः कंपनी चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम आम तौर पर उन मामलों को निर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में सदस्यों को सामान्य बैठकों में पारित करने की आवश्यकता होती है।

मूल रूप से, संकल्प के तीन प्रकार होते हैं: साधारण संकल्प, विशेष संकल्प और सर्वसम्मत संकल्प। बोर्ड की बैठकों के मामले में, विशेष प्रस्तावों की कोई अवधारणा नहीं है और बहुत कम मामलों में भी सर्वसम्मत प्रस्तावों की आवश्यकता होती है। हालांकि, सामान्य बैठकों के मामले में, तीनों शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 114 एक साधारण और विशेष प्रस्तावों को परिभाषित करती है।

4.6.1 साधारण संकल्प (General Resolution)

यदि कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना विधिवत् रूप से दी गई है और यह जरूरी है कि वोट डाले गए मतों से पारित किया जाए, चाहे वह किसी शो के दौरान, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी पोल पर हो, तो एक साधारण प्रस्ताव होगा।

जब सामान्य सभा में मतदान करने की अनुमति देने वाली कंपनी से संबंधित अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो यह कहा जाता है कि यह एक साधारण प्रस्ताव द्वारा पारित किया गया है।

संकल्प के विरोध में डाले गए मतों से अधिक होने पर अध्यक्ष के पक्ष में मत डाले जाते हैं।

4.6.2 विशेष संकल्प (Special Resolution)

एक संकल्प एक विशेष संकल्प होगा जब:

- (क) प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित करने की मंशा को सामान्य सभा या प्रस्ताव के सदस्यों को दी गई अन्य सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया गया है;
- (ख) इस अधिनियम के तहत आवश्यक सूचना विधिवत् दी गई है; तथा
- (ग) प्रस्ताव के पक्ष में सदस्यों द्वारा वोट डाले गए, चाहे वह हाथों के प्रदर्शन पर हो, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी पोल पर, जैसा भी मामला हो,

जो व्यक्ति में या प्रॉक्सी द्वारा या पोस्टल बैलट से वोट देने का हकदार हो, सदस्यों द्वारा संकल्प के विरुद्ध डाले गए मतों की संख्या तीन गुना से कम नहीं होनी चाहिए ताकि वे हकदार और मतदान कर सकें।

संचालक और कंपनी की सभाएँ

टिप्पणी

4.6.3 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साधारण संकल्प की आवश्यकता के मामले (Matters Requiring Ordinary Resolution as per Companies Act, 2013)

खंड संख्या	कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साधारण संकल्प की आवश्यकता के मामले
4	जहाँ रजिस्ट्रार 3 महीने के भीतर कंपनी का नाम बदलने का निर्देश देते हैं
16	जहाँ केंद्र सरकार 3/6 महीने के भीतर कंपनी का नाम बदलने का निर्देश देती है
61	मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन का परिवर्तन (वृद्धि/समेकित/उप-विभाजन/शेयर पूँजी को रद्द करना)
63	कंपनी के लाभ का पूँजीकरण या पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी करने के लिए आरक्षित है
65	सीमित कंपनी में रूपांतरण पर आरक्षित शेयर पूँजी प्रदान करने के लिए असीमित कंपनी
73 और 76	जनता से जमा स्वीकार करना
102 को 123, 139, 140, 142, 152 के साथ पढ़ें	साधारण व्यवसाय को वार्षिक आम सभा में ही लेन-देन किया जाता है
148	लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का निर्धारण
161	वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति
169	कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल/बोर्ड द्वारा नियुक्त संचालक को छोड़कर कार्यकाल समाप्त होने से पहले संचालक को हटाना
181	वित्तीय वर्ष से पहले तुरंत 3 के लिए अपने औसत शुद्ध लाभ के 5% से अधिक चैरिटेबल ट्रस्ट में योगदान
192	निदेशकों को प्रतिबंधित गैर-नकद लेन-देन के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है
196	प्रबंध संचालक, संपूर्ण समय संचालक, प्रबंधक की नियुक्ति धारा 197 के प्रावधान के अधीन है
197	निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक
304	कंपनी के स्वैच्छिक घाव के मामले में
310	आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति और उसका पारिश्रमिक तय करना
311	डेथ, इस्तीफा या निष्कासन के माध्यम से आधिकारिक लिक्विडेटर के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए

स्व-अधिगम पाठ्य सामग्री

314	आधिकारिक परिसमापक कंपनी की मंजूरी पाने के लिए सामान्य सभा बुलाते हैं
318	अनुमोदन के लिए शेयरधारकों द्वारा आधिकारिक परिसमापक की रिपोर्ट का अनुमोदन

4.6.4 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विशेष संकल्प की आवश्यकता वाले मामले (Matters Requiring Special Resolution as per Companies Act, 2013)

खंड क्रमांक	कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार विशेष संकल्प की आवश्यकता वाले मामले
5	प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में परिवर्तित करते हुए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का परिवर्तन और वाइस-वर्सा
12	शहर, नगर या गांव की स्थानीय सीमाओं के बाहर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए
13	कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के लिए
14	कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के लिए
13 और 27	कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बदलाव
41	किसी भी विदेशी देश में ग्लोबल डिपॉज़िटरी रसीद जारी करना
54	उद्यम इक्विटी शेयरों का निर्गम (इस शेयर को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता है)
62	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को और शेयर जारी करने के लिए और शेयरों में परिवर्तनीय डिबेट जारी करने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए
66	शेयर पूँजी में कमी
68	शेयर की वापस खरीद
71	पूर्ण या आंशिक रूप से शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए,
140	उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद धारा 139 के तहत नियुक्त ऑडिटर को हटाना
149(1)	15 से अधिक निदेशकों की नियुक्ति
149(10)	5 वर्षों की आगे की अवधि के लिए स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति
165	विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी के सदस्य किसी भी कंपनी की कम संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें कंपनी का एक संचालक के रूप में कार्य कर सकता है

टिप्पणी

180	बोर्ड की शक्ति पर प्रतिबंध
186	कंपनी द्वारा ऋण और निवेश
196	70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रबंध संचालक, संपूर्ण समय संचालक या प्रबंधक के रूप में
197	अनुसूची ट से अधिक निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए
210	कंपनी के मामलों की जाँच के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने के लिए
212	चालन के लिए गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय में आवेदन करना कंपनी के मामलों की जाँच करना
248	कंपनी के नाम पर हड़ताल करने के लिए रजिस्ट्रार को एक आवेदन करना
262	विलय और समामेलन की योजना को मंजूरी
271	अधिकरण द्वारा कंपनी का समापन
304	कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए
314	आधिकारिक परिसमापक कंपनी की मंजूरी पाने के लिए सामान्य सभा बुलाते हैं
319	कंपनी के संपत्ति की बिक्री के लिए शेयरों को विचार के रूप में आधिकारिक परिसमापक को शक्ति प्रदान करने के लिए
343	कंपनी लिक्विडेटर विशेष संकल्प और ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन द्वारा अनुमोदन के अधीन कुछ शक्तियाँ का प्रयोग करते हैं
371	अनुसूची I में तालिका F को अपनाने के लिए (आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन)

4.7 मिनट्स (Minutes)

हर कंपनी मिनट्स की किताब में सभी बोर्ड और समिति की बैठकों के मिनट रखेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रखे गए कार्यवाहियों में दर्ज की गई कार्यवाही के साक्ष्य हैं। सभा में किए गए विचार-विमर्श और निर्णयों को समझने में मिनट्स की मदद मिलती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी संबंधित ऐसी सभा के समापन के 30 दिनों के भीतर हर सभा की कार्यवाही को हस्ताक्षर सहित तैयात रखेगी। कंपनी की सभा में दर्ज कार्यवाही प्रमाणिक मानी जायेगी।

4.7.1 मिनट्स बुक (Minutes Book)

बोर्ड और उसकी प्रत्येक समितियों की बैठकों के लिए एक अलग मिनट की पुस्तक रखी जाएगी। अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से शारीरिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिनट बनाए रखा जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिनटों को समय-सीमा के साथ बनाए रखा जाएगा।

मिनट्स को मिनट बुक में चिपकाया या संलग्न नहीं किया जाएगा या किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सभा के समापन के 30 दिनों के भीतर उस उद्देश्य के लिए रखी गई पुस्तकों में प्रत्येक सभाकल्पना की कार्यवाही के मिनट दर्ज किए जाते हैं।

मिनट की पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ को प्रारंभिक या हस्ताक्षरित किया जाएगा और अंतिम पृष्ठ को उक्त सभा के अध्यक्ष या अगली सभाके अध्यक्ष द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह टाइमस्टैम्प के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिनट्स बुक के रख-रखाव के लिए समान रूप से लागू होगा। इस घटना में मिनट बुक में किसी भी पेज या उसके हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता है, इसे चेयरमैन द्वारा हस्ताक्षरित और आरंभ किया जाएगा जो मिनट्स पर हस्ताक्षर करता है।

4.7.2 बाइंडिंग ऑफ मिनट्स (Binding of Minutes)

कार्यवृत्त पुस्तक (Minutes Book)

क्रमवर्ती पृष्ठों में रखी जाएगी। मिनट बुक उसमें अभिलिखित कार्यवाहियों के 'साक्ष्य' (Evidence) होंगे। कंपनी की साधारण बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की पुस्तकें कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी। कोई भी सदस्य विहित शुल्क का संदाय कर मिनट बुक की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। ऐसी प्रतिलिपि आवेदन किए जाने के सात दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी।

हर कंपनी मिनट को बनाए रखने के लिए एक समान और सुसंगत रूप का पालन करेगी। इस तरह के रख-रखाव के किसी भी विचलन को बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाएगा।

मिनट्स, एक बार मिनट बुक में दर्ज किए जाने के बाद, बदल नहीं जाएगा। कोई भी परिवर्तन इसके बाद की सभा में बोर्ड के अनुमोदन के साथ होगा। किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या नोटों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और मिनटों में संदर्भित किया जाता है, ऐसे दस्तावेज, रिपोर्ट या नोटों को सीएस या अध्यक्ष द्वारा आरंभ करके पहचाना जाएगा।

4.7.3 मिनट्स का हस्ताक्षर और परिसंचरण (Signing and Circulation of Minutes)

सभा या अगली सभा के अध्यक्ष के मिनट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ड्राफ्ट मिनट बोर्ड या समिति की सभा की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर परिचालित

किया जाएगा और मिनटों की सभा की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर मिनट की पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

संचालक, सभा में उपस्थित होते हैं या नहीं, उनकी टिप्पणियों को, यदि कोई हो, तो मसौदा मिनट पर लिखित रूप से प्रचलन की तारीख से सात दिनों के भीतर, ताकि मिनटों को अंतिम रूप दिया जाए और तीस दिनों के भीतर मिनट्स बुक में दर्ज किया जाए।

यदि कोई भी संचालक सात दिनों के उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपनी टिप्पणी करता है, तो अध्यक्ष को यह विचार करने का विवेक होगा कि क्या उनकी राय में यह कंपनी के सर्वोत्तम हित में है।

कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षरित मिनटों की एक प्रति या जहाँ बोर्ड द्वारा अधिकृत संचालक द्वारा कोई कंपनी सचिव नहीं है, उनके हस्ताक्षरित होने के बाद 15 दिनों के भीतर सभी निदेशकों को परिचालित किया जाएगा।

मिनट्स रखने की जगह

बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पंजीकृत कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर रखे जाएंगे, जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

4.7.4 मिनट बुक का निरीक्षण (Inspection of Minutes Book)

संचालक मंडल द्वारा बोर्ड की सभा और उसके बाद की किसी भी समिति के कार्यवृत्त का निरीक्षण किया जा सकता है। मिनट बुक का निरीक्षण भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जा सकता है।

4.7.5 मिनट बुक का संरक्षण (Preservation of Minutes Book)

सभी बैठकों के मिनटों को स्थायी रूप से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में समय की मुहर के साथ संरक्षित किया जाएगा। कंपनी सचिव के संरक्षण में कार्यवृत्त रखा जाएगा, यदि कोई कंपनी सचिव नहीं है, तो बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत् अधिकृत किसी भी संचालक की अभिरक्षा में है।

नोटिस, एजेंडा, एजेंडे और अन्य संबंधित कागजात की कार्यालय प्रतियां अच्छे क्रम में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में तब तक संरक्षित रखी जाएंगी जब तक कि वे चालू या आठ वित्तीय वर्षों तक बनी रहें, जो कि बाद में बोर्ड की मंजूरी से नष्ट किया जा सकता है।

न्याय दृष्टांत

1. शिव कुमार जटिया बनाम दिल्ली राज्य के एनसीटी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को केवल इस आधार पर शुरू किया कि आरोपी कंपनी का प्रबंध निदेशक था और वह केवल गैर-स्वतंत्र कार्यकारी निदेशक था कंपनी का। इस मामले में कोर्ट ने सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो ("सुनील भारती मित्तल केस") के मामले में अपने विचारों की पुष्टि की, जहाँ यह अंतर-आलिया ने माना कि किसी भी

टिप्पणी

तरह के दायित्व, दायित्व प्रावधान को अलग-अलग किया जा सकता है, व्यक्तिगत निदेशक हो सकते हैं। केवल तभी आरोपी बनाया जाता है, जब आपराधिक इरादे से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त सामग्री हो।

तथ्य

मामले के तथ्य होटल हयात रीजेंसी, नई दिल्ली से संबंधित हैं जो एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी, एशियन होटल्स (नॉर्थ) लिमिटेड ("एशियन होटल्स") द्वारा संचालित है। होटल में आने वाले मेहमानों में से एक, धूम्रपान के लिए 6 ठी मंजिल की छत पर गया और गिरने का सामना करना पड़ा। यह आरोप लगाया गया कि छत पर कोई रोशनी नहीं थी और होटल के कर्मचारियों ने मेहमानों को वहाँ जाने से नहीं रोका। तदनुसार, होटल प्रबंधन की ओर से मेहमानों के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने और उन्हें ऐसे क्षेत्र में धूम्रपान करने की अनुमति देने में चूक हुई जो सुरक्षित नहीं था।

जाँच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आईपीसी") की धारा 32 के साथ पढ़े धारा 336/338 के तहत अपराध के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक और अन्य कर्मचारियों पर आरोप लगाया। दूसरे शब्दों में, आपराधिक लापरवाही जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और आपराधिक लापरवाही के कारण जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए बनाई गई थी और जाँच एजेंसी द्वारा चार्जशीट दायर की गई थी। आईपीसी की धारा 336/338 के अलावा, आरोपी व्यक्तियों पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 ("COTPA") की धारा 4 के तहत मुकदमा चलाने की माँग की गई थी।

प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक ने उनके खिलाफ शुरू की गई पूर्वोक्त कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ("DHC") के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("CRPC") की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। हालाँकि, डीएचसी ने कहा कि उक्त आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करना उचित नहीं था। इसके बाद दोनों आरोपी व्यक्तियों ने कोर्ट के सामने डीएचसी के आदेश को चुनौती दी।

2. श्री राम मिल्स लिमिटेड बनाम अतिरिक्त लाभ कर के आयुक्त के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "लोन" शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है:

आधार में यह तथ्य का सवाल है। बेशक, पार्टियों के बीच एक उचित समझौते द्वारा छोड़ा गया धन, ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन प्रबंधन एजेंटों की ओर से एक समझौता मात्र निष्क्रियता की अनुपस्थिति में, उनके कारण पैसे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और वापस नहीं लिया जाता है, एक ऋण में। एक ऋण ऋण के

सकारात्मक पक्ष को एक ऋण के रूप में धन के दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति के साथ आयात करता है।

3. साराडिन्दु शेखर बनर्जी बनाम ललित मोहन के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रत्येक ऋण एक ऋण है, लेकिन प्रत्येक ऋण ऋण नहीं है।

K.M. मोहम्मद अब्दुल कादिर रोथर बनाम S. मुथिया चेट्टियार के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का कहना है कि अग्रिम का अर्थ शाब्दिक रूप से पहले से भुगतान है। कुछ मामलों में, यह एक ऋण हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अग्रिम के माध्यम से भुगतान की गई राशि आवश्यक रूप से एक ऋण है। यह तर्क दिया गया था कि, अग्रिम को ऋण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, राशि को वापस लेने का इरादा था और इसलिए, इस राशि को चुकाने का दायित्व बांझ होना चाहिए; इस प्रकार एक व्यक्तिगत दायित्व चुकाने का दायित्व निर्वाह हो जाएगा। अपीलार्थी के लिए सीखे गए अधिवक्ता ने आग्रह किया कि 'एडवांस' शब्द स्वयं एक ऋण होगा।

'अग्रिम' का अर्थ है हाथ से पहले भुगतान करना; कुछ मामलों में यह एक ऋण हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अग्रिम के माध्यम से भुगतान की गई राशि आवश्यक रूप से एक ऋण है, यह निर्णय लंदन फाइनेंशियल एसोसिएशन बनाम केल्क एल.आर. पर आधारित था। जहाँ यह देखा गया, कि शब्द – 'वृंद 'और' उधार 'प्रत्येक का एक अलग महत्व है, धन उन्नत नहीं हो सकता है, बिना 'उधार दिए' हो सकता है।

4. वेंकटगिरी के राजा बनाम कृष्णैया राव बहादुर के मामले में माननीय प्रिवी काउंसिल ने देखा है कि आम तौर पर अग्रिम पुनर्भुगतान के किसी भी विचार को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ऋण अग्रिम से पूरी तरह से अलग है जैसा कि सामान्य अर्थ में समझा जाता है, पहले से पैसे का भुगतान और जो कुछ भविष्य के समय पर होने की संभावना है।
5. पेन्वाल्ड इंडिया लिमिटेड बनाम आरओसी के मामले में, जिसमें बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि यह पता लगाने के लिए कि लेन-देन एक ऋण है या नहीं, आसपास के हालात, लेन-देन का चरित्र और किस तरह की पार्टियाँ व्यवहार किए गए लेन-देन पर विचार करना होगा। इसलिए, निदेशकों और अन्य व्यक्ति के साथ प्रत्येक लेनदेन के संदर्भ में जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं; लेनदेन की प्रकृति का अध्ययन करना होगा।
6. यॉर्क और नॉर्थ मिडलैंड रेलवे कंपनी बनाम हडसन में, यह आयोजित किया गया था कि शेयरधारकों के लाभ के लिए कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए निदेशकों का चयन किया गया है। यह विश्वास का एक कार्यालय है जो अगर वे शुरू करते हैं; यह उनका कर्तव्य है कि वे पूरी तरह से और पूरी तरह से प्रदर्शन करें। चूंकि निर्देशक विश्वास का एक

टिप्पणी

टिप्पणी

महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए पहला और सबसे स्पष्ट दायित्व ईमानदारी के साथ काम करना है।

अच्छे विश्वास की आवश्यकता होगी कि निदेशकों के सभी प्रयासों को कंपनी के लाभ के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। [संदर्भ। मामला: बैंक ऑफ पूना लिमिटेड बनाम नारायणदास] यह आयोजित किया गया था कि एक निदेशक को अपने स्वयं के कॉर्पोरेट अवसरों का उपयोग करने के लिए शोषण नहीं करना चाहिए। [संदर्भ। मामला: कुक बनाम गाल। रीगल [हिस्टिंग्स] लिमिटेड बनाम गुलिवर के मामले में], यह ऐसा लाभ था जिसे निदेशकों ने कंपनी के साथ प्रत्ययी संबंध के आधार पर बनाया था।

7. निदेशकों की देखभाल का भी कर्तव्य है जो उचित देखभाल होनी चाहिए। उसे उचित परिश्रम के साथ उपस्थित होना है और उसे सौंपे गए कार्य को सावधानीपूर्वक करना है। देखभाल का कर्तव्य सभी निदेशकों के लिए समान है। [संदर्भ मामला: जोरचेस्टर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेबिंग] हालांकि, अदालतों ने राहत दी थी, जहाँ निदेशकों ने अच्छे विश्वास के साथ काम किया था, हालांकि देयता खर्च की गई थी। इस प्रकार, उसे निर्णय की त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
8. आधिकारिक परिसमापक बनाम P.A. तेंदुलकर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक निदेशक को कर्तव्यों के निर्वाह के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उसकी लापरवाही इस तरह के चरित्र की है, जिससे धोखाधड़ी करने और कंपनी को नुकसान हो सकता है।
9. निदेशक के अन्य कर्तव्यों में कंपनी के लिए ब्याज का खुलासा करना और यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के एजेंट के रूप में उनका व्यक्तिगत हित और कंपनी का हित प्रमुख है, जो कि विवाद नहीं है, कर्तव्य शामिल होंगे। [संदर्भ। मामला: वालचंदनगर उद्योग बनाम रतनचंद]
10. एक निदेशक के विभिन्न अन्य कर्तव्यों में बोर्ड बैठकों में भाग लेने के लिए ड्यूटी शामिल होगी, हालांकि वह सभी बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तविक कारणों के मामले में वह बोर्ड से अनुपस्थिति की छुट्टी माँग सकता है। हालांकि, अगर बोर्ड की बैठकों में भाग लेने से नियमित अनुपस्थिति होती है, तो इसे निदेशक की ओर से लापरवाही का कार्य माना जा सकता है। [संदर्भ। मामला: चैरिटेबल कॉर्प बनाम सौटन]
11. निदेशक को अपने कार्यों को सौंपना नहीं है और वह अधिकतम प्रतिनिधि गैर-शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा बाध्य है। शेरधारकों ने निदेशक को उनके कौशल, योग्यता और अखंडता में विश्वास के कारण नियुक्त किया है और किसी अन्य व्यक्ति में समान विश्वास नहीं हो सकता है। लेकिन इसके कई अपवाद हैं, क्योंकि कंपनी कानून और एसोसिएशन के लेखों के संदर्भ में प्रतिनिधिमंडल की अनुमति है। इसके अलावा, कुछ कर्तव्यों के संबंध में कुछ अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को व्यापार के परिश्रम के लिए ठीक से छोड़ा जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल के बाद, साधारण निदेशकों में

सुविधाओं की अनुपस्थिति में संदेह पैदा हो जाता है कि संदेह है कि कंपनी के मामलों को ठीक से संचालित किया जा रहा है। [संदर्भ। मामला: गणेशन बनाम ब्रह्मया एंड कंपनी]।

टिप्पणी

12. निदेशक सद्भावना में कार्य करेंगे। यह, जाहिरा तौर पर, एक व्यक्तिपरक मामला है जिसे अच्छी आस्था कहा जाता है, उसे परिभाषित करना कठिन होगा, लेकिन कंपनी के सर्वोत्तम हित में उचित, विवेकपूर्ण और सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण और कार्यों से इसका अंदाजा लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी को नुकसान पहुँचाने या अनुचित व्यवहार करने का कोई मकसद नहीं है। इससे लाभ मिलता है। विशेष रूप से यह टर्नर मॉरिसन एंड कंपनी बनाम शालीमार टार प्रोडक्ट्स के मामले में आयोजित किया गया था कि अच्छे विश्वास के लिए आवश्यक है कि कंपनी के लाभ के लिए सभी प्रयासों के निदेशकों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
13. निदेशक हितों के टकराव से बचेंगे। इसका मतलब यह है कि उसे ऐसी स्थिति में शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि हो, जो कंपनी के हित के साथ टकराव या संभवतः संघर्ष हो सकता है। एक कोरोलरी के रूप में इसका मतलब है कि जहाँ हितों का टकराव है, ऐसी संभावनाएँ हैं कि निदेशक का हित उस कंपनी पर हावी हो सकता है जो कंपनी के लिए हानिकारक हो सकती है। यह कानून स्थिति को दर्शाता है कि निदेशक कंपनी के एजेंटों के परिणामस्वरूप परिणामी कर्तव्यों के साथ हैं। एलेन बनाम हयात के मामले में यह आयोजित किया गया है कि एजेंटों जैसे निदेशकों को हितों के टकराव से बचने के लिए कंपनी के किसी भी लेन-देन में, यदि कोई हो, तो अपने व्यक्तिगत हित का खुलासा करना होगा।
14. ओरिएंटल मेटल प्रेसिंग वर्क्स {पी} लिमिटेड बनाम भास्कर काशीनाथ ठाकुर के मामले में, यह आयोजित किया गया था कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 312 में प्रदर्शित "असाइनमेंट" शब्द में नियुक्ति शामिल नहीं है और इसलिए एक निदेशक अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकता है।
15. संजीव कोठारी बनाम वसंत कुमार चोरडिया के मामले में, यह देखा गया कि यदि पंजीकृत कार्यालय में उसी तिथि को निदेशक द्वारा अपेक्षित तिथि पर प्रबंध निदेशक द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है, तो उन मामलों पर चर्चा के लिए जो निदेशक द्वारा आगे लाए गए थे, निदेशक को उस बैठक में भाग लेना चाहिए और किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य बैठक की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए।
16. पार्कर और कूपर लिमिटेड बनाम रीडिंग के मामले में, यह देखा गया कि जब नोटिस जो बैठक के सदस्यों को दिया गया था, वह अनुचित है लेकिन फिर भी बैठक के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया, तो नोटिस अच्छा हो सकता है और बैठक इस तथ्य के बावजूद एक वैध बैठक माना जा

सकता है कि क्या बैठक के लिए जो नोटिस दिया गया था, वह उचित या अनुचित था।

टिप्पणी

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

8. यदि कोई कंपनी जो असीमित देयता के साथ बनती है, सीमित देयता में परिवर्तित करना चाहती है, तो फिर इसे पास होना चाहिए:
(क) साधारण रिज़ॉल्यूशन (ख) विशेष रिज़ॉल्यूशन
(ग) कोई ज़रूरत नहीं है (घ) क और ख दोनों
9. _____ पास करके एक कंपनी अपने विवेक से अपना नाम बदल सकती है:
(क) साधारण संकल्प (ख) विशेष संकल्प
(ग) बोर्ड संकल्प (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
10. एक कंपनी पास करके अपना नाम बदल सकती है
(क) साधारण संकल्प
(ख) विशेष संकल्प
(ग) या तो विशेष या साधारण संकल्प द्वारा
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

4.8 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (ग)
2. (ख)
3. (ग)
4. (घ)
5. (ग)
6. (क)
7. (ग)
8. (ख)
9. (ख)
10. (ग)

4.9 सारांश (Summary)

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कि कंपनी की सभा वैध रूप से होती है और ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णय कंपनी अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार होते हैं, जो निदेशकों के पास होता है। यह संभव है कि वे इस कार्य को कंपनी में किसी और को सौंप सकते हैं; हिरन हमेशा उनके साथ रुक जाएगा। यदि वे आवश्यक रूप से नोटिस देने में विफल रहते हैं या सभा बुलाने में विफल रहते हैं, तो वे जुर्माना के लिए उत्तरदायी होते हैं। निर्देशकों को सद्भाव और कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने की आवश्यकता होती है।

टिप्पणी

4.10 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- अनुबंध: समझौता, सहमति, शर्त, सुलह
- अनुमोदन: प्रतिबंध, आश्रय, प्रमाण
- पारिश्रमिक: प्रतिफल, पारितोषिक, पुरुस्कार, मुआवज़ा
- दस्तावेज़: आलेख, पत्र, लेख, लेख्य, कागज़

4.11 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. प्रबंध निदेशक को परिभाषित करना।
Define Managing Director.
2. निदेशकों की योग्यता पर चर्चा करें।
Discuss the qualification of Directors.
3. कंपनी की बैठक के मिनट क्या हैं?
What are the minutes of a Company Meeting?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को लिखें।
Write the provisions related to appointment of directors.
2. मतदान से संबंधित प्रावधान लिखें।
Write the provisions related to voting.
3. कोरम से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें।
Explain the provisions related to quorum.

4.12 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

टिप्पणी

1. Shukla S.M., *Company Adhinyam S/B*, Agra (Hindi and English).
2. Nowlkha Jain and Tripathi, *Company Law*, Universal – Agra (Hindi).
3. Dr. Bajpai and Jain, *Company Law*, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal.
4. Chawla and Garg, *Company Law*, S. Chand and Vikas Publishing House, Delhi.
5. Bagrial A.K., *Company Law*, New Delhi.
6. R.N. Nolakha, *Company Law*, R.B.D. Jaipur.

इकाई 5 बहुसंख्य शक्तियाँ और अल्पसंख्यक अधिकार (Majority Powers and Minority Rights)

बहुसंख्य शक्तियाँ और
अल्पसंख्यक अधिकार

टिप्पणी

संरचना (Structure)

- 5.0 परिचय
- 5.1 उद्देश्य
- 5.2 अल्पसंख्यक शेयरधारक, बहुसंख्य शेयरधारक
 - 5.2.1 अल्पसंख्यक शेयरधारक
 - 5.2.2 बहुसंख्य शेयरधारक
- 5.3 शेयरहोल्डर्स के अधिकार
- 5.4 बहुसंख्य शक्तियाँ
 - 5.4.1 नॉन-इंटरफेरेंस के सिद्धांत
 - 5.4.2 नियम
 - 5.4.3 फॉस बनाम हारबोटल में नियम का प्रतिबंधात्मक चरित्र
- 5.5 अल्पसंख्यक अधिकारों पर न्यायिक विचार
 - 5.5.1 अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार
 - 5.5.2 अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन
 - 5.5.3 अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम
- 5.6 उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम
 - 5.6.1 उत्पीड़न की रोकथाम
 - 5.6.2 कौन आवेदन कर सकता है?
 - 5.6.3 अपेक्षित संख्या की सहमति
 - 5.6.4 राहत देने के लिए शर्तें
- 5.7 कुप्रबंधन की रोकथाम
 - 5.7.1 कुप्रबंधन के रूप में आयोजित कृत्य
 - 5.7.2 निम्नांकित कृत्यों को मिसमैनेजमेंट के लिए नहीं किया गया है
 - 5.7.3 कुप्रबंधन की रोकथाम
 - 5.7.4 कौन आवेदन कर सकता है (धारा 398(1))
 - 5.7.5 सदस्यों के अलावा, निम्नलिखित भी धारा 398 के तहत राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं
 - 5.7.6 जो आवेदन नहीं कर सकता है
 - 5.7.7 केंद्र सरकार को नोटिस
 - 5.7.8 कुप्रबंधन के खिलाफ राहत
 - 5.7.9 कंपनी लॉ बोर्ड की शक्तियाँ (अब ट्रिब्यूनल)
- 5.8 कंपनी का समापन
- 5.9 कंपनी के समापन के मोड़
 - 5.9.1 याचिका को समाप्त करना
- 5.10 स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया
- 5.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर
- 5.12 सारांश
- 5.13 मुख्य शब्दावली

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

5.0 परिचय (Introduction)

कंपनी एक ऐसी संस्था है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संचालित होती है और इसका अधिकांश संचालन बहुसंख्यक शेयरधारकों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। इसलिए, कंपनी के प्रभावी नियंत्रण और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है ताकि कंपनी में शेयरधारकों लोकतंत्र की अवधारणा को बनाए रखा जा सके। पामर द्वारा यह सही कहा गया है कि कंपनी के सुचारु संचालन के लिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों का उचित संतुलन आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 से 409 में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा और बहुसंख्यक शेयरधारकों के दमनकारी कृत्य के खिलाफ उनके हितों की रक्षा के लिए प्रावधान का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक अंशधारकों के अधिकार प्राकृतिक न्याय 4 के सिद्धांत पर आधारित हैं। किसी कंपनी के मामलों के प्रशासन से संबंधित मूल प्रमुख यह है कि "बहुमत की इच्छा प्रबल है या बहुमत सर्वोच्च है"। निदेशक मंडल में निहित शक्ति को छोड़कर, कंपनी के मुद्दों को नियंत्रित करने की समग्र शक्तियाँ, शेयरधारकों के साथ होती हैं जिन्हें कंपनी की आम बैठक में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर सामान्य नियम यह है कि किसी कंपनी में बहुमत शेयरधारकों का निर्णय अल्पसंख्यक को बांधता है। इसलिए, यह केवल सदस्यों का बहुमत है जो निदेशक मंडल को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुमत उस स्थिति में है जहाँ वह कंपनी के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। वे अल्पसंख्यकों के हितों पर विचार किए बिना अपने अधिकारों को बनाए रखते हैं, जो कि सुस्त प्रभाव पैदा करता है। वे अल्पसंख्यक के अधिकारों का दोहन करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों का उचित संतुलन कंपनी के सुचारु कामकाज के लिए आवश्यक है। भारत में कंपनियों के भीतर सामान्य प्रवृत्ति यह है कि वे बहुमत के नियम के दर्शन पर काम करते हैं। हालांकि, अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, कंपनी के प्रबंधन को अपने अल्पसंख्यक शेयरधारकों या सामान्य सार्वजनिक हित के अधिकारों का पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए।

5.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- बहुसंख्यक शक्तियों और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में जानेंगे।
- उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम को समझेंगे।
- कंपनी के समापन के विभिन्न तरीकों को जानेंगे।

5.2 अल्पसंख्यक शेयरधारक, बहुसंख्य शेयरधारक (Meaning of Minority Shareholders and Majority Shareholders)

टिप्पणी

5.2.1 अल्पसंख्यक शेयरधारक (Minority Shareholder)

फर्म का इक्विटी धारक, जिसके पास फर्म के इक्विटी पूँजी के पचास प्रतिशत से कम शेयर हैं, अल्पसंख्यक शेयरधारक को स्वामित्व के आधार पर, फर्म में मतदान नियंत्रण नहीं है।

5.2.2 बहुसंख्य शेयरधारक (Majority Shareholder)

एक एकल शेयरहोल्डर, जो निगम के आधे से अधिक बकाया शेयरों का मालिक या नियंत्रण करता है, या कभी-कभी, शेयरधारकों का एक छोटा समूह, जो कंपनी के बकाया शेयरों के आधे से अधिक स्वामित्व और सामूहिक रूप से नियंत्रित करते हैं।

या हम कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या कंपनी के पास सीमित कंपनी में अधिकांश शेयर (50% से ज्यादा) का मालिक होता है, तो कंपनी के संचालन का एकमुश्त नियंत्रक होता है, विशेषकर उसके निदेशक मंडल के चुनाव में प्रमुख भूमिका होती है।

बहुसंख्य शेयरधारक आमतौर पर कंपनी के माता-पिता होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति या जुड़े शेयरधारकों का समूह भी हो सकता है। यह छोटी कंपनियों के साथ और उभरते बाजार में अधिक आम है।

दूसरी ओर, अल्पसंख्यक अंशधारक शेयरधारक हैं जो एक कंपनी में न्यूनतम प्रतिशत शेयर के मालिक हैं जो बहुमत के हिस्सेदार द्वारा नियंत्रित होता है।

5.3 शेयरहोल्डर्स के अधिकार (Rights of Shareholders)

- I. बुनियादी शेयरधारक अधिकारों की मान्यता।
- II. शेयरधारकों को मौलिक कॉर्पोरेट परिवर्तनों से संबंधित निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है।
- III. शेयरधारकों को वोटिंग अधिकार है।

5.4 बहुसंख्य शक्तियाँ (Majority Powers)

कंपनी का प्रबंध एवं प्रशासन बहुमत पर आधारित रहता है। कंपनी के समस्त नीतिगत निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। कंपनी की साधारण बैठक में अंशधारकों एवं सदस्यों का बहुमत तथा निदेशक बोर्ड की बैठक में निदेशकों का बहुमत प्रभावी माना जाता है।

टिप्पणी

पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चुकता इक्विटी अंश (Paid-up equity shares) रखने वाला प्रत्येक अंशधारक कंपनी की साधारण बैठक में मतदान का अधिकार रखता है। वह अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग मनचाहे तरीके से कर सकता है। ऐसी स्थिति में बहुमत से पारित निर्णय सभी अंशधारकों, सदस्यों एवं यहाँ तक कि कंपनी पर भी आबद्धकर होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 47 के अनुसार, किसी भी इक्विटी शेयर को रखने से कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर ऐसी पूँजी के संबंध में मतदान का अधिकार होगा। सदस्य के वोट के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है और शेयरधारक उसे अपनी रुचि और पसंद के चुन सकता है। इस नियम को कुछ मामलों में संशोधित किया गया है। एक विशेष प्रस्ताव में बैठक में उन वोटों के 3/4 के बहुमत की आवश्यकता होती है। इसलिए, जहाँ अधिनियम या लेखों को किसी भी उद्देश्य के लिए एक विशेष संकल्प की आवश्यकता होती है, 3/4th बहुमत आवश्यक है और एक साधारण बहुमत पर्याप्त नहीं है। विधिवत् बुलाई गई आम बैठक में बहुसंख्यक शेयरधारकों के प्रस्ताव को और जिसमें किसी भी प्रश्न पर कंपनी कानूनी रूप से निपटने के लिए सक्षम है, अल्पसंख्यक के लिए बाध्यकारी है।

5.4.1 नॉन-इंटरफेरेंस के सिद्धांत (Rule in Foss vs. Harbottle)

कंपनी के आंतरिक प्रशासन के मामलों में अल्पसंख्यक की इच्छा पर बहुमत की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, यह सिद्धांत फॉस बनाम हारबोटल के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे आज फॉस बनाम हारबोटल में नियम के रूप में जाना जाता है।

इस सिद्धांत के अनुसार, अदालतें शेयरधारकों के उदाहरण पर हस्तक्षेप नहीं करेंगी, किसी कंपनी के प्रबंधन में यह तब तक प्रत्यक्ष है जब तक वे कंपनी के लेखों द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के भीतर कार्य कर रहे हों। नियम में कहा गया है कि "कंपनी या व्यक्तियों के संबंध में किए गए गलत काम के संबंध में उचित वादी कंपनी या एसोसिएशन का स्वयं का चेहरा है।" यदि अल्पसंख्यकों द्वारा कानूनी रूप से शिकायत की गई या बहुमत से शिकायत की गई, तो अदालत अल्पसंख्यक के कहने (instance) पर एक कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

5.4.2 नियम (The Rule)

फॉस बनाम हारबोटल के सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि –

- (i) यदि दोषपूर्ण कार्य कंपनी के विरुद्ध किया गया है तो वाद कंपनी द्वारा ही संस्थित किया जाना चाहिए।
- (ii) यदि दोषपूर्ण कार्य ऐसा है जो साधारण बहुमत द्वारा कंपनी पर आबद्धकर किया जा सकता है तो उसके बारे में अंशधारकों द्वारा वाद नहीं लाया जा सकता क्योंकि यदि बहुमत उसके पक्ष में है तो उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

5.4.3 फॉस बनाम हारबोटल में नियम का प्रतिबंधात्मक चरित्र (Restrictive Character to the Majority Rule in Foss vs. Harbottle)

हारबोटल ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए वैधानिक उपायों का निर्माण किया है। इसके बारे में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उत्पीड़न या कुप्रबंधन की रोकथाम के लिए अदालत में जाने की अनुमति है।

टिप्पणी

5.5 अल्पसंख्यक अधिकारों पर न्यायिक विचार (उल्लेखनीय मामले) (Legal Views on Minority Rights)

भारतीय न्यायिक प्रणाली ने बहुसंख्यक शेयरधारकों पर अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।

भारत बीमा कंपनी लि. vs. कन्हैया लाल, में वादी प्रतिवादी कंपनी के शेयरधारक थे। भारत में स्थित भूमि, मकान, मशीनरी और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा पर ब्याज पर धन अग्रिम करने के लिए एक वस्तु खंड था, वादी ने शिकायत की कि कंपनी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और इसके विपरीत कई निवेश किए गए हैं। कंपनी द्वारा कई निवेश पर्याप्त सुरक्षा के बिना किए गए हैं और ज्ञापन के प्रावधानों के विपरीत हैं और इसलिए इस तरह के निवेश करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई थी।

अदालत ने कहा, "इस तरह के मामलों में व्यापक नियम में कोई संदेह नहीं है कि किसी कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के सभी मामलों में, कंपनी खुद ही अपने मामलों का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपनी की परिसंपत्तियों का आवेदन केवल आंतरिक प्रबंधन का मामला नहीं है। यह आरोप लगाया जाता है कि निदेशक कंपनी के फंड के अपने आवेदन में अल्ट्रा वायर्स का काम कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में एक एकल सदस्य घोषणा के लिए एक सूट बनाए रख सकता है, जैसा कि प्रश्न में लेख के वास्तविक निर्माण के लिए है।"

सुप्रीम कोर्ट में श्री रामदास मोटर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम ताड़ी अधिनारायण रेड्डी ने कहा कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 397 के तहत कंपनी का कोई भी सदस्य जो यह शिकायत करता है कि कंपनी के मामलों का संचालन जनहित के लिए पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है या किसी भी सदस्य या सदस्यों के लिए दमनकारी तरीका उस धारा के तहत कंपनी लॉ बोर्ड को आदेश के लिए लागू हो सकता है। हालाँकि, बहुसंख्यक शेयरधारक अल्पसंख्यक सक्रियता के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं हैं।

शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड के मामले में भी यह सुनिश्चित किया गया था कि कंपनी के अपीलकर्ता चेयरमैन के नियंत्रण के लिए

टिप्पणी

बिजनेस मैनेज के दो समूहों के बीच लड़ाई थी, उन्होंने कंपनी के मामलों को दमनकारी तरीके से संचालित किया। अपीलकर्ता सदस्यों का समूह ने दावा किया कि बाहरी लोगों को नए शेयरों का आवंटन मौजूदा शेयरधारकों के अधिकारों को हराने और उत्पीड़न की राशि के लिए था। शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 397 के तहत कार्रवाई के लिए कोई मामला रखने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार था क्योंकि आवंटन का मात्र तथ्य उत्पीड़न का गठन नहीं करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुप्रबंधन या उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए शक्तिशाली तथ्य होने चाहिए।

मिहिर एच मफतलाल बनाम मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी शक्ति सीमित है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय किसी मामले में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह न्यायसंगत और साझा धारकों के हित के लिए उचित या पक्षपातपूर्ण न हो। यदि स्कीम शेयरधारकों के बहुमत से मंजूर की जाती है और वैध है तो कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोर्ट केवल योजना के माध्यम से जा सकता है और यह जांच कर सकता है कि क्या धारा 391(2) के तहत इसकी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है या अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया था या नहीं। जहाँ कंपनी बहुमत से पास की गई योजना न्यायसंगत और निष्पक्ष है और कोई भी अल्पसंख्यक हित प्रभावित नहीं होता है, तब तक अल्पसंख्यक शेयर धारकों के व्यक्तिगत हित में कोई चिंता नहीं है जब तक कि वह ऐसे इक्विटी शेयरधारकों के वर्ग हित को प्रभावित नहीं कर रहा है।

इसके अलावा, रेकित बेन्किज़र (इंडिया) लिमिटेड में प्रतिवादी की प्राथमिक आपत्ति यह थी कि पूँजी की प्रस्तावित कटौती भेदभावपूर्ण और गैर-कानूनी थी और सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर करने का प्रयास किया गया था ताकि कंपनी का पूरा नियंत्रण प्रमोटर के साथ रहे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूँजी की कमी का प्रभाव सार्वजनिक हिस्सेदारी के प्रभाव को कम करने के लिए है, लेकिन यदि आपत्तिकर्ता अपने इक्विटी के साथ भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो कंपनी उसी पर जोर नहीं देगी। यदि कुछ अल्पसंख्यक सदस्यों को प्रस्तावित दरों पर अपने शेयरों के साथ भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं है, तो उनके द्वारा आयोजित शेयर पूँजी कम हो जाती है। जब तक उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, तब तक आपत्ति करने वालों को कोई शिकायत नहीं हो सकती है।

5.5.1 अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार (Rights of Minority Shareholders)

क. निदेशक नियुक्त करने का अधिकार— कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 151 के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में "छोटे शेयरधारकों" द्वारा चुने गए एक निदेशक हो सकते हैं। इस खंड के प्रयोजन के लिए, "छोटे शेयरधारक" का अर्थ है कि एक शेयरधारक जो बीस हजार रुपये से अधिक के नाममात्र मूल्य के शेयरों को धारण करता है।

- ख. निर्णय लेने का अधिकार और नियुक्त किए गए ऐसे निदेशक को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।
- ग. विरोध और कुप्रबंधन – अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा ट्रिब्यूनल में आवेदन करने का अधिकार, जब कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को वर्ग या कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा हो।
- घ. पुनर्निर्माण और समामेलन के संबंध में अधिकार—
- I. पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य पर अंशधारकों के शेयरों की खरीद।
 - II. अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयरों को खरीदने के लिए बहुमत शेयरधारकों को प्रस्ताव देने का अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है।
 - III. ट्रांसफर कंपनी अल्पसंख्यक शेयरधारकों को भुगतान करने के लिए एजेंट होगी।
- ङ. क्लास एक्शन सूट: कंपनी एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा क्लास एक्शन सूट दायर किया जा सकता है।

टिप्पणी

5.5.2 अल्पसंख्यकों अधिकारों का उल्लंघन (Violation of Minority Rights)

किसी कंपनी के मामलों के प्रशासन से संबंधित मूल प्रमुख यह है कि "बहुमत की इच्छा प्रबल है या बहुमत सर्वोच्च है"। निदेशक मंडल में निहित शक्ति को छोड़कर, कंपनी के उन मुद्दों को नियंत्रित करने की समग्र शक्तियाँ, जो शेयरधारकों के साथ होती हैं, जिनका किसी कंपनी की आम बैठक में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर सामान्य नियम यह है कि किसी कंपनी में बहुमत शेयरधारकों का निर्णय अल्पसंख्यक को बांधता है। इसलिए, यह केवल सदस्यों का बहुमत है जो निदेशक मंडल को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुमत उस स्थिति में है जहाँ वह कंपनी के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। वे अल्पसंख्यकों के हितों पर विचार किए बिना अपने अधिकारों को बनाए रखते हैं, जो कि सुस्त प्रभाव पैदा करता है। वे अल्पसंख्यक के अधिकारों का दोहन करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों का उचित संतुलन कंपनी के सुचारु कामकाज के लिए आवश्यक है।

ऐसे मामले में, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक या कुप्रबंधन का विरोध हो सकता है जहाँ इसकी कुछ उपचारात्मक क्रियाएं हैं।

लेकिन कंपनी अधिनियम 1956 में कुछ प्रावधानों को आधार बनाया गया है, जो कि गैर-सर्वोच्च सर्वोच्च बहुमत को प्रतिबंधित करते हैं और अल्पसंख्यक पर अधिकार जताने के लिए नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्यूनल या केंद्र सरकार को उत्पीड़न या कुप्रबंधन के मामले में लागू करते हैं।

टिप्पणी

5.5.3 अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम (Steps taken by Company to Protect the Rights of Minority Shareholders)

1. Piggy Backing का प्रावधान – जब एक बहुमत शेयरधारक अपने शेयर बेचता है, तो एक अल्पसंख्यक शेयरधारक को सौदे में शामिल होने का अधिकार होता है। इसे “पिगीबैकिंग” कहा जाता है। यह आपके निवेश की रक्षा करता है कि कंपनी को बेचा जाना चाहिए। पिगीबैकिंग के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय की खरीद पर विचार करने वाली कोई भी पार्टी 100 प्रतिशत बकाया शेयर खरीद सके।
2. अल्पसंख्यक शेयरधारकों को अनिवार्य लाभांश का प्रावधान।

5.6 उत्पीड़न और कुप्रबंधन की रोकथाम (Prevention of Oppression and Mismanagement)

उत्पीड़न/अन्यायपूर्ण आचारण:

एल्डर बनाम एल्डर एण्ड वाटसन लि. के मामले में “उत्पीड़न/अन्यायपूर्ण – आचरण” को परिभाषित किया गया है। लार्ड कूपर द्वारा यह कहा गया है कि – “अन्यायपूर्ण आचरण से अभिप्राय उस उचित व्यवहार के मापदण्ड एवम् न्यायपूर्ण व्यवहार की शर्तों का स्पष्टतया उल्लंघन है जिन पर प्रत्येक अंशधारक जो कंपनी में पूँजी लगाता है विश्वास करने का अधिकारी है।”

अन्यायपूर्ण आचरण/उत्पीड़न की अवधारणा प्रत्येक मामलों के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह आवश्यक नहीं है कि अन्यायपूर्ण आचरण केवल धन से संबंधित ही हो।

निम्नांकित को अन्यायपूर्ण आचरण माना गया है –

- (i) कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण करने के आशय से किया गया प्रतिरोधात्मक आचरण।
- (ii) कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा सदस्यों को। प्रदत्त अधिकारों अनुचित रूप से इंकार करना।
- (iii) अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से किया गया कार्य।

लेकिन निम्नांकित कार्यों को अन्यायपूर्ण आचरण नहीं माना गया है तथापि वे कुप्रबंध की परिधि में आ सकते हैं –

- (i) कंपनी के प्रबंध का अकुशलतापूर्वक संचालन।
- (ii) कंपनी के सदस्यों के आपसी में घरेलू मतभेद।

उत्पीड़न / Oppression

दमन एक क्रूर व्यक्ति, द्वारा किसी व्यक्ति पर अधिकार या शक्ति का प्रयोग है। इसे उत्पीड़न की स्थिति के रूप में भी देखा जा सकता है, उत्पीड़न का अर्थ और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर होने की भावना, मुसीबतों, प्रतिकूल परिस्थितियों और चिंता से है।

Daleant Carrington Investment (P) Ltd. vs. P.K. Prathpa में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी पर नियंत्रण पाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक कंपनी की शेयर पूँजी में वृद्धि, जहाँ बहुसंख्यक शेयरधारक अल्पसंख्यक रह जाते हैं, उत्पीड़न की श्रेणी में माना जायेगा।

टिप्पणी

5.6.1 उत्पीड़न की रोकथाम (Prevention of Oppression)

कंपनी अधिनियम की धारा 397(1) में यह प्रावधान है कि कंपनी का कोई भी सदस्य जो यह शिकायत करता है कि कंपनी का मामला सार्वजनिक हित के लिए या किसी सदस्य या सदस्यों के लिए दमनकारी तरीके से चलाया जा रहा है, ट्रिब्यूनल के लिए आवेदन कर सकता है। एक आदेश इस प्रकार उसकी/उसके वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है।

धारा 397 की उप-धारा (2) उन परिस्थितियों को समाप्त करती है जिनके तहत न्यायाधिकरण धारा 397 के तहत राहत दे सकता है, यदि यह राय है कि:

- (ए) कंपनी के मामलों को सार्वजनिक हित के विरुद्ध या किसी सदस्य या सदस्यों के लिए दमनकारी तरीके से आयोजित किया जा रहा है; तथा
- (बी) कंपनी का समापन करना ऐसे सदस्य या सदस्यों के लिए अनुचित और पूर्वाग्रहपूर्ण होगा, लेकिन तथ्यों के अनुसार अगर न्यायसंगत प्रतीत होता है, तब परिस्थिति अनुसार कंपनी का समापन किया जायेगा।

जिन मामलों की शिकायत की गई थी, उन्हें समाप्त करने की दृष्टि से न्यायाधिकरण इस तरह का आदेश दे सकता है, जैसा कि वह उचित समझता है।

5.6.2 कौन आवेदन कर सकता है? (Who can File an Application?)

क. जहाँ कंपनी शेयर पूँजी के साथ है

कंपनी अधिनियम की धारा 397 में कहा गया है कि कंपनी के सदस्यों को कंपनी अधिनियम की धारा 397 या 398 के तहत आवेदन करने का अधिकार होगा। धारा 399 के अनुसार जहाँ कंपनी शेयर पूँजी के साथ है, आवेदन को कंपनी के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा या उसके सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से पर, जो भी कम हो, या किसी भी होल्डिंग सदस्यों (holding one & tenth of the issued share capital of the company) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

टिप्पणी

ख. जहाँ कंपनी शेयर पूँजी के बिना है

आवेदन को अपने सदस्यों की कुल संख्या का एक-पाँचवां हिस्सा हस्ताक्षरित करना होगा। मात्र एक सदस्य कंपनी अधिनियम की धारा 397 के तहत याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता है। एक मृत सदस्य का कानूनी प्रतिनिधि जिसका नाम फिर से सदस्यों के रजिस्टर पर है, कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत याचिका का हकदार है।

कंपनी अधिनियम की धारा 399(4) के तहत, यदि केंद्र सरकार किसी भी सदस्य या कंपनी के सदस्यों को ट्रिब्यूनल में आवेदन करने के लिए अधिकृत करती है और ऊपर उल्लिखित आवश्यकता को अधिकृत किया जाता है, तो उसे माफ किया जा सकता है।

5.6.3 अपेक्षित संख्या की सहमति (Expected Numbers Agreed)

आवेदन दाखिल करते समय सदस्यों की आवश्यकता होती है और यदि कुछ सदस्य अपनी सहमति वापस ले लेते हैं, तो यह किसी भी तरह से आवेदन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। अन्य सदस्य कार्यवाही बहुत अच्छी तरह से जारी रख सकते हैं।

5.6.4 राहत देने के लिए शर्तें (Conditions for Granting Reliefs)

धारा 397 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

1. "उत्पीड़न" होना चाहिए: मोहन लाल चंदमल्ल बनाम पंजाब कंपनी लिमिटेड में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि उत्पीड़न का अर्थ के साधारण शेयर होल्डर को उसके अधिकारों से वंचित करना होगा। अनिच्छुक अल्पसंख्यक शेयरधारकों पर अधिक नए और जोखिम वाले नए नियम थोपना कुछ परिस्थितियों में "उत्पीड़न" हो सकता है। हालांकि, कुप्रबंधन के मामूली कृत्यों को "उत्पीड़न" नहीं माना जा सकता है।

न्यायालय यह अनुमति नहीं देगा कि धारा 397 के तहत उपाय मुकदमेबाजी का एक अप्रिय स्रोत बन जाए। लेकिन गए शेयरों के हस्तांतरण को स्वीकार करने से इनकार करना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 के तहत एक आदेश पारित करने का पर्याप्त आधार कहलायगा।

2. समापन का औचित्य तथ्यों द्वारा साबित होना चाहिए: यह अच्छी तरह से तय है कि समापन होने का उपाय एक चरम उपाय है। इस आधार पर समापन को रोका नहीं जा सकता है कि कंपनी के निदेशकों ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया है, क्योंकि निदेशकों का ऐसा कार्य उत्पीड़न या कुप्रबंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कंपनी अधिनियम Section 397 के तहत उपाय प्राप्त करने हेतु याचिकाकर्ता को उन तथ्यों के अस्तित्व को दिखाना होगा जो न्यायसंगत आधार पर समापन के आदेश का औचित्य साबित करेंगे।

3. उत्पीड़न निरंतर रूप में जारी रखा जाना चाहिए: यह निर्धारित स्थिति है कि उत्पीड़न या कुप्रबंधन अधिनियम कंपनी अधिनियम की धारा 397 या 398 को लागू करने के लिए पर्याप्त है। उत्पीड़न की एक पृथक् कार्रवाई अधिनियम की धारा 397 या 398 के तहत राहत पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार पिछले कृत्यों के उत्पीड़न निरंतरता को साबित करना होगा।

5.7 कुप्रबंधन की रोकथाम (Prevention of Mismanagement)

शब्द "कुप्रबंधन" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई कंपनी या अर्थव्यवस्था जैसी कोई चीज संगठित या बुरी तरह से नियंत्रित होती है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में विश्वास और अभ्यास करते हैं। "रोकथाम इलाज से बेहतर है"। उसी संदर्भ में, यह समान रूप से कॉर्पोरेट लोकतंत्र पर लागू होता है। कंपनी अधिनियम में एक प्रासंगिक सेक है जहाँ "कुप्रबंधन" की रोकथाम की प्रक्रिया पर चर्चा की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XVI की धारा 241 "कुप्रबंधन की रोकथाम" से संबंधित है।

यदि कंपनी के मामलों को कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है, तो कुप्रबंधन को कहा जाता है; या

एक मुख्य परिवर्तन (डिबेंचर धारकों, या कंपनी के शेयरधारकों के किसी भी वर्ग सहित किसी भी लेनदारों के हितों में नहीं लाया गया एक परिवर्तन), कंपनी के नियंत्रण के प्रबंधन में हुआ है, चाहे उसके द्वारा एक परिवर्तन निदेशक मंडल, या यदि इसके प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषाध्यक्ष, या इसके प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में, या कंपनी के शेयरों के स्वामित्व में फर्म या निकाय कार्य के संविधान या नियंत्रण में, या यदि यह नहीं है शेयर पूँजी, इसकी सदस्यता में, या किसी अन्य तरीके से, और इस तरह के बदलाव के कारण, यह संभावना है कि कंपनी के मामलों को कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित किया जाएगा।

5.7.1 कुप्रबंधन के रूप में आयोजित कृत्य (Instances which can be Termed as Mismanagement)

निम्नलिखित कृत्यों को कुप्रबंधन के रूप में रखा गया है:

- जहाँ निदेशकों के बीच गंभीर अनबन है।
- जहाँ निदेशक मंडल वैध नहीं है और अवैधता जारी है।
- जहाँ बैंक खाता(ओं) को अनधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया था।
- जहाँ निदेशकों ने गबन की गई राशि की वसूली के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया।

टिप्पणी

- निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कार्यालय में निरंतरता।
- कम कीमत पर और अधिनियम के अनुपालन के बिना संपत्ति की बिक्री।
- मेमोरैंडम का उल्लंघन।
- वैधानिक प्रावधानों और लेखों का उल्लंघन।

5.7.2 निम्नांकित कृत्यों को मिसमैनेजमेंट के लिए नहीं किया गया है: (Acts Held as not Mismanagement)

- भंडार का निर्माण या लाभांश की गैर-घोषणा विशेष रूप से जब यह शेयरों के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप नहीं होता है।
- केवल इसलिए कि कंपनी हानि उठाती है, कुप्रबंधन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- कंपनी के बोनाफाइड ब्याज में लेनदारों के साथ व्यवस्था।
- निदेशक को हटाना और कार्य प्रबंधक की सेवाओं को समाप्त करना।

5.7.3 कुप्रबंधन की रोकथाम (Prevention of Mismanagement)

कंपनी लॉ बोर्ड (अब ट्रिब्यूनल) के लिए आवेदन।

उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध पहला उपाय कंपनी लॉ बोर्ड (अब ट्रिब्यूनल) को स्थानांतरित करना है।

5.7.4 कौन आवेदन कर सकता है (धारा 398(1)) (Who can Apply Sec 398(1))

शिकायत करने वाली कंपनी का कोई भी सदस्य:

(क) कंपनी के मामलों का संचालन कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से किया जा रहा है; या

(ख) कि कंपनी के नियंत्रण के प्रबंधन में मुख्य परिवर्तन (किसी के द्वारा, या डिबेंचर धारकों, या कंपनी के शेयरधारकों के किसी भी वर्ग सहित किसी भी लेनदार के हितों में नहीं लाया जा रहा है) इसके निदेशक मंडल में परिवर्तन, या यदि इसके प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषाध्यक्ष, या इसके प्रबंध एजेंट या सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में, या कंपनी या कंपनी के शेयरों के स्वामित्व में, फर्म या निकाय अभिनय के संविधान या नियंत्रण में, या अगर इसकी कोई शेयर पूँजी नहीं है, तो इसकी सदस्यता में, या किसी अन्य तरीके से, और इस तरह के बदलाव के कारण, यह संभावना है कि कंपनी के मामलों को कंपनी के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण तरीके से संचालित किया जाएगा;

इस धारा के तहत एक आदेश के लिए अदालत में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे सदस्यों को धारा 399 के आधार पर आवेदन करने का अधिकार हो।

आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या धारा 399 में दी गई है। आवश्यकता इस तथ्य के साथ बदलती है कि क्या कंपनी की शेयर पूँजी है या नहीं और नीचे चर्चा की गई है:

- शेयर पूँजी रखने वाली कंपनी के मामले में, कंपनी के सौ सदस्यों से कम या उसके सदस्यों की कुल संख्या के दसवें से कम नहीं, जो भी कम हो, या किसी भी सदस्य या सदस्य के पास दसवें से कम नहीं हो। कंपनी की जारी शेयर पूँजी, बशर्ते कि आवेदक या आवेदक ने अपने शेयरों के कारण सभी कॉल और अन्य रकम का भुगतान किया हो।
- किसी कंपनी के पास शेयर पूँजी नहीं होने की स्थिति में, उसके सदस्यों की कुल संख्या के एक-पाँचवें हिस्से से कम नहीं।
- केंद्र सरकार, यदि उसकी राय में ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो ऐसा करना न्यायसंगत है, तो कंपनी के किसी भी सदस्य या सदस्य को धारा 39 Section के तहत अदालत में आवेदन करने के लिए अधिकृत करें, इसके बावजूद कि दोनों उपर्युक्त आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं।

5.7.5 सदस्यों के अलावा, निम्नलिखित भी धारा 398 के तहत राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। (Besides Members, the following may also Apply for Relief)

- धारा 401 के तहत, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार है।
- धारा 243 के तहत, केंद्र सरकार द्वारा उस खंड में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत अधिकृत कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है।
- एक मृत सदस्य का एक कानूनी प्रतिनिधि।

5.7.6 जो आवेदन नहीं कर सकता है (Who cannot Apply)

निम्नलिखित धारा 398 के तहत राहत के लिए आवेदन नहीं कर सकते:

- एक सदस्य जिनके कॉल या उनके शेयरों के कारण अन्य रकम का भुगतान नहीं किया गया है।
- आंशिक रूप से भुगतान किए गए हिस्से के आवंटन के पत्र के धारक।
- शेयर वारंट धारक।
- उन शेयरों का एक अंतरण जिन्होंने कंपनी को हस्तांतरण के लिए शेयरों को दर्ज नहीं किया है।

टिप्पणी

टिप्पणी

5.7.7 केंद्र सरकार को नोटिस (Notice to the Central Government by NCLT)

धारा 400 के लिए कंपनी लॉ बोर्ड (अब ट्रिब्यूनल) को केंद्र सरकार को धारा 398 के तहत किए गए हर आवेदन की सूचना देना आवश्यक है।

5.7.8 कुप्रबंधन के खिलाफ राहत (Relief against Mismanagement)

पियरलेस जनरल फासनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कं. लि. बनाम यूनियन आफ इंडिया के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 242 के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश देने के पूर्व अधिकरण को निम्नोक्त बातों का समाधान कर लेना चाहिए –

- (i) कंपनी के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अन्यायपूर्ण आचरण अथवा कुप्रबंध के पर्याप्त आधार अथवा कारण विद्यमान है, तथा
- (ii) आवेदक द्वारा अनुतोष के लिए अपेक्षित सारी शर्तों को पूरा कर लिया है।

5.7.9 कंपनी लॉ बोर्ड की शक्तियाँ (अब ट्रिब्यूनल) (Powers of the NCLT)

जबकि धारा 397 और 398 अंतरिम आदेश सहित आवश्यक आदेश पारित करने के लिए कंपनी लॉ बोर्ड पर सामान्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जहाँ उत्पीड़न और कुप्रबंधन को समाप्त करने के लिए, धारा 402 कुछ विशिष्ट राहत देने के लिए इसे सशक्त बनाती है। धारा 402 के तहत मनोनित की गई राहतें हैं:

- (क) भविष्य में कंपनी के मामलों के संचालन का विनियमन;
- (ख) कंपनी के अन्य सदस्यों द्वारा या कंपनी द्वारा किसी भी सदस्य के शेयरों या हितों की खरीद;
- (ग) कंपनी द्वारा अपने शेयरों की खरीद के मामले में, पूर्वोक्त रूप में, इसकी शेयर पूँजी के परिणामस्वरूप कमी;
- (घ) समाप्ति, किसी भी समझौते की स्थापना या संशोधन, किसी भी समय कंपनी के बीच, एक तरफ, और निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी पर, अर्थात्:
 - (i) प्रबंध निदेशक,
 - (ii) कोई अन्य निदेशक,
 - (iii) प्रबंध एजेंट,
 - (iv) सचिव और कोषाध्यक्ष, और
 - (v) प्रबंधक,

न्यायालय की राय में, ऐसे नियमों और शर्तों पर, मामले की सभी परिस्थितियों में न्यायसंगत और न्यायसंगत होना चाहिए;

- (ड) कंपनी और किसी भी व्यक्ति के बीच किसी समझौते के समापन या संशोधन को समाप्त करना, जो खंड (डी) में निर्दिष्ट नहीं है, बशर्ते कि इस तरह का कोई भी समझौता समाप्त नहीं किया जाएगा, संबंधित पक्ष को दिए गए नोटिस के बाद छोड़कर या संशोधित किया जाएगा। आगे कहा गया है कि संबंधित पक्ष की सहमति प्राप्त करने के बाद इस तरह के किसी भी समझौते को संशोधित नहीं किया जाएगा;
- (च) धारा 397 या 398 के तहत आवेदन की तिथि से तीन महीने के भीतर किसी भी हस्तांतरण, माल की डिलीवरी, भुगतान, निष्पादन या अन्य कंपनी के खिलाफ या उसके द्वारा किए गए संपत्ति से संबंधित या अन्य अधिनियम की स्थापना, जो किया जाएगा। या किसी व्यक्ति के द्वारा या उसके खिलाफ किया गया, उसकी धोखेबाजी में धोखेबाजी को प्राथमिकता के रूप में समझा जा सकता है;
- (छ) कोई अन्य मामला जिसके लिए न्यायालय की राय में यह उचित और न्यायसंगत है कि प्रावधान किया जाना चाहिए।

टिप्पणी

5.8 कंपनी का समापन (Winding-up of Company)


एक कंपनी के समापन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा किसी कंपनी के जीवन को समाप्त किया जाता है और उसकी संपत्ति को उसके सदस्यों और लेनदारों के लाभ के लिए प्रशासित किया जाता है। प्रोफेसर गोवर के शब्दों में, "एक कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है और उसके सदस्यों और लेनदारों के लाभ के लिए उसकी संपत्ति का संचालन होता है। एक प्रशासक, जिसे एक परिसमापक कहा जाता है, नियुक्त किया जाता है और वह कंपनी का नियंत्रण लेता है, अपनी संपत्ति एकत्र करता है, अपने ऋणों का भुगतान करता है और अंत में सदस्यों के बीच किसी भी अधिशेष को उनके अधिकारों के अनुसार वितरित करता है।"

5.9 कंपनी के समापन के मोड (Modes of Winding-up of Companies)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार, कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है:

- (क) ट्रिब्यूनल द्वारा या
(ख) स्वैच्छिक।

टिप्पणी



चित्र क्र. 5.1: कंपनी के समापन के मोड

कंपनी के समापन के विभिन्न तरीके

(क) ट्रिब्यूनल द्वारा **winding-up**: नई कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, नीचे दी गई परिस्थितियों में एक कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा wind-up किया जा सकता है:

1. जब कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है।
2. यदि कंपनी ने विशेष संकल्प द्वारा हल किया है कि कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा wind-up हो जाए।
3. यदि कंपनी ने भारत की अखंडता या नैतिकता के हित के खिलाफ काम किया है, राज्य की सुरक्षा, या विदेशी या पड़ोसी देशों के साथ किसी भी प्रकार के मैत्रीपूर्ण संबंध खराब किए हैं।
4. यदि कंपनी ने लगातार 5 वित्तीय वर्षों से पहले अपने वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न नहीं भरे हैं।
5. यदि किसी भी तरह से अधिकरण पाता है कि यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को wound up होना चाहिए।
6. यदि कंपनी किसी भी तरह से धोखाधड़ी की गतिविधियों या किसी अन्य गैरकानूनी व्यवसाय में लिप्त है, या कंपनी के गठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति या प्रबंधन को धोखाधड़ी, या किसी भी तरह के कदाचार का दोषी पाया जाता है।

5.9.1 याचिका को समाप्त करना (Dismiss the Petition)

धारा 272 में यह प्रावधान है कि निर्धारित याचिका संख्या 1, 2 या 3 में से जो भी लागू हो, उसे दर्ज किया जाना है और इसे 3 सेटों में प्रस्तुत किया जाना है। निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अनिवार्य समापन की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है:

- (क) कंपनी
- (ख) लेनदारों; या
- (ग) कोई अंशदान या अंशदान
- (घ) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा।
- (ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के रजिस्ट्रार द्वारा। उस उद्देश्य के लिए

टिप्पणी

न्यायाधिकरण की शक्तियाँ और कार्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 274 के अनुसार, कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका दायर करने पर, यदि न्यायाधिकरण संतुष्ट है, तो वह कंपनी को 30 के भीतर मामलों के बयान के साथ आपत्तियां दर्ज करने के आदेश द्वारा निर्देशित करेगा। दिन, जो विशेष परिस्थितियों में एक और 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 275 के अनुसार, एक आधिकारिक परिसमापक या पैनल से एक परिसमापक को आदेश के समापन के समय ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कंपनी मामलों में कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के साथ CA/CS/अधिवक्ताओं और अन्य अधिसूचित पेशेवरों से मिलकर एक पैनल बनाया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 281 के अनुसार, ट्रिब्यूनल को 60 दिनों के भीतर परिसमापक द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें निम्न शामिल हैं –

प्रकृति और उनके स्थान और मूल्य के साथ कंपनी की संपत्ति का विवरण; जारी की गई पूँजी की राशि, सदस्यता और भुगतान; नाम और अन्य विवरण सहित कंपनी की मौजूदा और आकस्मिक देनदारियां; कंपनी और नाम, पते के कारण ऋण; राशि विवरण के साथ योगदानकर्ताओं की सूची; ट्रेडमार्क, बौद्धिक गुणों का विवरण, यदि कंपनी के स्वामित्व में है; अनुबंधों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगों का विवरण, यदि कोई हो; होल्लिंग और सहायक कंपनी का विवरण, यदि कोई हो; कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दर्ज किए गए कानूनी मामलों का विवरण; ट्रिब्यूनल प्रत्यक्ष या परिसमापक के लिए आवश्यक किसी भी जानकारी पर विचार कर सकता है।

परिसमापक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, ट्रिब्यूनल समय सीमा तय करेगा जिसके भीतर पूरी कार्यवाही पूरी हो जाएगी और कंपनी को भंग कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल कंपनी की बिक्री को एक चिंता का विषय या उसकी संपत्ति या उसके हिस्से के रूप में भी बेच सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश के समापन के

टिप्पणी

बाद, ट्रिब्यूनल योगदानकर्ताओं की सूची का निपटान करेगा, जहाँ सभी मामलों में सदस्यों के रजिस्टर को सुधारने की आवश्यकता होगी और जहाँ कंपनी की संपत्ति को देयता का निर्वहन करने के लिए लागू किया जाएगा।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के बाद वाइंडिंग अप में परिवर्तन

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 कंपनियों, साझेदारी फर्मों, एक ही कानून में सीमित देयता भागीदारी के दिवालिया होने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करता है। इसका उद्देश्य समयबद्ध संकल्प प्रदान करना है और डिफॉल्ट होने पर इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए लेनदारों को सशक्त बनाना है।

15 नवंबर, 2016 की MCA की विस्तृत अधिसूचना के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुभागों के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 255 में संशोधन किया गया।

वाइंडिंग अप की परिभाषा में, नया सम्मिलन बनाया गया था जो इसे वाइंडिंग के रूप में लागू करता है अर्थात् इस अधिनियम के तहत परिसमापन (wind-up) या इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत परिसमापन।

इस संहिता के प्रवर्तन के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 270 को हटाने के मोड़ के बारे में हटा दिया गया है। इसे ट्रिब्यूनल द्वारा वाइंडिंग अप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

धारा 271, कंपनियाँ अधिनियम, 2013 जो कि न्यायाधिकरण द्वारा जिस कंपनी वाउन्ड अप हो सकती है, से संबंधित है, जिसका स्थानापन्न रूप से प्रतिस्थापन किया गया है – कंपनी द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा धारा 272 के तहत याचिका दायर की जा सकती है, यदि कंपनी विशेष संकल्प द्वारा हल की जाती है। कंपनी ट्रिब्यूनल द्वारा वाउन्ड अप हो सकता है; यदि कंपनी ने संप्रभुता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ भारत के अनुकूल संबंधों की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता के खिलाफ काम किया है; यदि न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी के कार्य कपटपूर्ण हैं या जिस वस्तु के लिए इसका गठन किया गया था वह कपटपूर्ण या गैरकानूनी था या गठन में संबंधित व्यक्ति और प्रबंधन को धोखाधड़ी, कदाचार का दोषी माना गया है और यह वाउन्ड अप होने के लिए उचित होगा; यदि कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पिछले वित्तीय वर्षों के तुरंत पहले वित्तीय विवरण दाखिल करने में चूक गई; यदि न्यायाधिकरण की राय है कि कंपनी को न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर वाउन्ड अप होना चाहिए।

उप-धारा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 275 में धारा 275(2) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, जो कंपनी परिसमापक के साथ संबंधित है और उनकी नियुक्ति, जिसके अनुसार ट्रिब्यूनल अनंतिम या कंपनी परिसमापक को इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों में से नियुक्त करेगा। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।

टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 304 जिसमें उन परिस्थितियों से संबंधित है, जिसमें कंपनी स्वेच्छा से घायल हो सकती है, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के साथ-साथ अधिनियम के तहत स्वेच्छा से संबंधित अन्य वर्गों से छूट दी गई है।

कार्यवाही का अंतरण

7 दिसंबर 2016 को, MCA ने कंपनियों (लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण) नियम, 2016 को उच्च न्यायालय से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण बेंच में लंबित कानूनी कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए जारी किया।

विषय वस्तु	NCLT को हस्तांतरित	उच्च न्यायालय के साथ बनाए रखा
अदालत की निगरानी में वाइडिंग अप	नहीं 1 अप्रैल, 2017 से एनसीएलटी के साथ दायर किए जाएंगे	हाँ
स्वैच्छिक समापन	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्वैच्छिक समापन से संबंधित प्रावधान को छोड़ दिया गया है।	31 मार्च, 2017 तक दर्ज मामलों के लिए
भुगतान करने में असमर्थता के लिए वाइडिंग अप	जहाँ याचिका पेश नहीं की गई है, उसे IBC के तहत एक आवेदन के रूप में माना जाना है।	जहाँ रिस्पॉन्डेंट पर याचिका पेश की गई है।
कोर्ट द्वारा वाइडिंग अप	केवल उन मामलों में जहाँ याचिका उत्तरदाता की सेवा नहीं ली गई है।	जहाँ रिस्पॉन्डेंट पर याचिका पेश की गई है।

31 मार्च, 2017 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 को अधिसूचित किया है। कंपनियों के स्वैच्छिक समापन को कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा कंपनी अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के रूप में शासित किया गया था। अब कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 दोनों में स्वैच्छिक परिसमापन सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

दिवालियापन संहिता के भाग II के अध्याय V में धारा 59 है जो स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित है। इसके अलावा, सदस्यों के स्वैच्छिक समापन और लेनदारों के स्वैच्छिक समापन के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया है।

संहिता की धारा 59 के अनुसार, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया केवल एक कॉर्पोरेट व्यक्ति द्वारा शुरू की जा सकती है, जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। यहां डिफॉल्ट में वे ऋण शामिल हैं जो चुकाए नहीं गए हैं और देय हैं। कुछ आवश्यकताओं का अनुपालन आवश्यक है।

टिप्पणी

- निदेशकों द्वारा घोषणा कि वाइंडिंग अप किसी व्यक्ति को धोखा देना नहीं है;
- लिक्विडेटर दिवाला पेशेवर हो सकता है जो नियमों के तहत मानदंडों को पूरा करता है;
- निर्धारित तरीके से बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए रजिस्टर;
- परिसमापक के दावों को केवल निर्दिष्ट रूपों में प्राप्त करने के लिए परिसमापक;
- स्वैच्छिक समापन की शुरुआत से बारह महीने के भीतर, कॉर्पोरेट व्यक्ति के वाउन्ड अप के मामले;
- परिसमापक द्वारा रिपोर्ट कॉर्पोरेट व्यक्ति, कंपनियों के रजिस्ट्रार और दिवाला और दिवालियापन बोर्ड को सौंपी जाएगी।
- आवश्यकताओं का पालन करने की समय अवधि भी प्रक्रिया को तेज करने के लिए कम कर दी गई है।

नए नियमों के तहत समापन की प्रक्रिया

चरण 1: कंपनी के रजिस्ट्रार को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें कहा जाता है कि कंपनी अपना बकाया भुगतान करेगी और परिसमापन किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देना है;

चरण 2: इस तरह की घोषणा के 4 सप्ताह के भीतर, स्वैच्छिक परिसमापन और परिसमापक की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना है;

चरण 3: इस तरह के अनुमोदन के 5 दिनों के भीतर, हितधारकों के दावों को आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र और कंपनी की वेबसाइट में सार्वजनिक घोषणा की जानी चाहिए;

चरण 4: ऐसी स्वीकृति के 7 दिनों के भीतर, आरओसी और बोर्ड को सूचना दी जानी चाहिए;

चरण 5: प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें पूँजी संरचना, संपत्ति और देनदारियों का अनुमान, किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति को 45 दिनों के भीतर कार्रवाई की प्रस्तावित योजना;

चरण 6: 30 दिनों के भीतर दावों का सत्यापन और दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 45 दिनों के भीतर हितधारकों की सूची तैयार करना;

चरण 7: कॉर्पोरेट व्यक्ति के कारण धन की प्राप्ति के लिए, बैंक खाते को ऐसे व्यक्ति के नाम से खोलना होगा, जिसके नाम में 'स्वैच्छिक परिसमापन' शब्द हैं।

चरण 8: संपत्ति की बिक्री और देय धन की वसूली, बिना पूँजी के वसूली की जाती है;

चरण 9: हितधारकों को राशि की प्राप्ति से 6 महीने के भीतर वितरित होने वाली प्राप्ति से प्राप्त आय;

चरण 10: परिसमापक द्वारा अंतिम रिपोर्ट को कॉर्पोरेट व्यक्ति, ROC, बोर्ड और NCLT को आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

चरण 11: आदेश प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर भंग किए जाने के संबंध में एनसीएलटी का आदेश।

टिप्पणी

उच्च न्यायालय से अधिकरण तक वाइंडिंग अप कार्यवाही का स्थानांतरण

07 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना के साथ, इसी तारीख को MCA ने एक उच्च न्यायालय से ट्रिब्यूनल में लंबित कार्यवाही के हस्तांतरण से संबंधित अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने के लिए कंपनियों (लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण) नियम, 2016 ("नियम") जारी किया। इसे निम्नलिखित तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

- कर्ज अदा करने में असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को समाप्त करना।

15 दिसंबर, 2016 को उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही और जिसका नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया गया है, को संबंधित राज्य की क्षेत्रीय न्यायाधिकरण के अभ्यास न्यायाधिकरण के संबंधित खंड में स्थानांतरित किया जाएगा और उसके अनुसार निपटा जाएगा। संहिता के प्रावधानों के साथ।

- ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के अलावा अन्य आधारों पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को समाप्त करना।

15 दिसंबर, 2016 को उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही और जिसका नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया गया है, को संबंधित राज्य के न्यायाधिकरण के क्षेत्रीय न्यायाधिकरण के संबंधित बेंच को हस्तांतरित किया जाएगा और 2013 अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निपटा जाएगा।

- स्वैच्छिक समापन से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को समाप्त करना।

1 अप्रैल, 2017 तक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही 1956 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रखी जाएगी।

माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेस्ट हिल्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और ऑर्सेस बनाम नीलकमल रियलटर्स टॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में स्पष्ट किया है कि केवल वे याचिकाएँ जो पूर्व-प्रवेश स्तर पर हैं और प्रतिवादी को सेवा नहीं दी गई है। ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसी याचिकाएँ जिनके लिए केवल न्यायालय के समक्ष याचिका की सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया है, उन्हें

टिप्पणी

ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसी याचिकाओं को निपटाया जाता रहेगा।

उपर्युक्त के प्रकाश में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋण का भुगतान करने में असमर्थता और ऋण का भुगतान करने में असमर्थता के अलावा अन्य आधारों पर घुमावदार दोनों के लिए लंबित कार्यवाही को ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि पूर्व श्रेणी को संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा, बाद की श्रेणी को 2013 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। स्वैच्छिक समापन के लिए लंबित कार्यवाही 1956 अधिनियम के प्रावधानों और न्यायालय के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा जारी रखी जाएगी।

अंतिम आदेश और इसके अंश: याचिका की सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण के पास इसे खारिज करने या अंतरिम आदेश देने की शक्ति है, क्योंकि यह उचित लगता है या यह आदेश के समापन तक कंपनी के अनंतिम परिसमापक को नियुक्त कर सकता है। वाइंडिंग के लिए एक ऑर्डर फॉर्म 11 में दिया गया है।

किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन: कंपनी के सदस्यों के आपसी निर्णय से कंपनी स्वेच्छा से wind-up हो सकती है, यदि:

- (क) कंपनी कंपनी के समापन के बारे में बताते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है।
- (ख) कंपनी अपनी आम बैठक में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशनके अनुसार या किसी भी ऐसी घटना की घटना के समय, जहाँ लेख कंपनी के विघटन के लिए प्रदान करते हैं, की अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरूप समापन का प्रस्ताव पारित करता है।

स्वैच्छिक समापन के दो प्रकार हैं—

1. सदस्यों के स्वैच्छिक समापन

ऐसा होने के लिए, एक कंपनी परिसमापन (wind-up) होने की शुरुआत के बाद 12 महीनों के भीतर अपने ऋण का भुगतान करने की स्थिति में होना चाहिए। कंपनी के निदेशकों को उपरोक्त प्रभाव के लिए सॉल्वेंसी की घोषणा दर्ज करने की आवश्यकता होती है। परिसमापक को कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

2. लेनदारों का स्वैच्छिक समापन

जहाँ कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होती है और wind-up समाप्त करने की इच्छा रखती है, वह ऐसा लेनदारों के स्वैच्छिक वेतन के हिसाब से कर सकती है। कंपनी को wind-up देने के लिए सदस्यों के संकल्प की आवश्यकता के अलावा, कंपनी को स्वैच्छिक समापन (voluntary wind-up) के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अपने लेनदारों की एक बैठक भी बुलानी चाहिए।

कंपनी एक परिसमापक नियुक्त करेगी, किसी भी वरीयता के अधीन लेनदारों के पास परिसमापक की पसंद हो सकती है।

बहुसंख्य शक्तियाँ और
अल्पसंख्यक अधिकार

यदि सॉल्वेंसी की कोई घोषणा नहीं की जाती है या यदि परिसमापक संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी शुरू होने के 12 महीने के भीतर निर्धारित अवधि के भीतर अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वाइंडिंग एक लेनदारों के स्वैच्छिक समापन के रूप में आगे बढ़ेगी।

किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए अदालत में कोई मूल समन नहीं दायर किया जाता है। इसके बजाय लेखांकन और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण (ACRA) द्वारा निपटा जाता है।

टिप्पणी

5.10 स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया (Process of Voluntary Wind-up)

1. 2 निदेशकों के साथ एक बोर्ड बैठक आयोजित करना और इस तरह निदेशकों द्वारा दिए गए एक घोषणा के साथ एक प्रस्ताव पारित करना कि वे इस विचार के हैं कि कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है या यह अपनी संपत्ति की बिक्री से सभी आय का उपयोग करने के बाद अपने ऋण का भुगतान करने में सक्षम होगा।
2. व्याख्यात्मक वक्तव्य के साथ प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हुए एक सामान्य बैठक बुलाने के लिए लिखित में नोटिस जारी करता है।
3. आम सभा में साधारण बहुमत या विशेष प्रस्ताव द्वारा 3/4th बहुमत से wind-up के उद्देश्य के लिए साधारण प्रस्ताव पारित करें। प्रस्ताव पारित होने की तारीख से wind-up शुरू किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पारित करने के बाद लेनदारों की एक बैठक का संचालन करें, यदि बहुमत के लेनदारों की राय है कि कंपनी का समापन सभी पक्षों के लिए फायदेमंद है तो कंपनी स्वेच्छा से wind-up हो सकती है।
5. प्रस्ताव पारित करने के 10 दिनों के भीतर, परिसमापक की नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रार के साथ एक नोटिस दर्ज करें।
6. इस तरह के प्रस्ताव को पारित करने के 14 दिनों के भीतर, आधिकारिक राजपत्र में प्रस्ताव का एक नोटिस दें और एक समाचार पत्र में भी विज्ञापन दें।
7. सामान्य बैठक के 30 दिनों के भीतर, सामान्य बैठक में पारित सामान्य या विशेष प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतियां दर्ज करें।
8. कंपनी की एक सामान्य बैठक आयोजित करना।
9. उस आम बैठक में पुस्तकों के निपटान और कंपनी के सभी आवश्यक दस्तावेजों के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है, जब कंपनी के मामले पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और यह भंग होने वाला है।

स्व-अधिगम
पाठ्य सामग्री

टिप्पणी

10. कंपनी की अंतिम आम बैठक के 15 दिनों के भीतर, खातों की एक प्रति जमा करें और विघटन के आदेश को पारित करने के लिए ट्रिब्यूनल को एक आवेदन दायर करें।
11. यदि न्यायाधिकरण की राय है कि खाते क्रम में हैं और सभी आवश्यक अनुपालन पूरे हो गए हैं, तो न्यायाधिकरण इस तरह के आवेदन प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर कंपनी को भंग करने का आदेश पारित करेगा।
12. नियुक्त परिसमापक फिर रजिस्ट्रार के साथ आदेश की एक प्रति दाखिल करेगा।
13. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश प्राप्त करने के बाद, रजिस्ट्रार ने आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित किया कि कंपनी भंग हो गई है।

ट्रिब्यूनल द्वारा समापन का प्रभाव (धारा 279): इस खंड के अनुसार, कंपनी के समापन का आदेश कंपनी के सभी लेनदारों और सभी योगदानों के पक्ष में काम करेगा, जैसे कि इसे या संयुक्त याचिका लेनदारों और योगदानकर्ताओं से बनाया गया था।

स्वैच्छिक वाइंडिंग का प्रभाव (धारा 309): स्वैच्छिक वाइंडिंग के मामले में, कंपनी को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बंद करना होगा। कंपनी के कॉर्पोरेट राज्य और कॉर्पोरेट शक्तियाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक कि इसे भंग नहीं किया जाता है।

पियर्स लेस्ली एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वॉयलेट ऑउटरलोनी, 1969 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विघटन से पहले का समापन होता है। एक ट्रस्टी में एक भंग कंपनी के गुणों को निहित करने या निरस्त करने का प्रभाव होने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है; एक भंग कंपनी के शेयरधारकों या लेनदारों को इसके उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसी कंपनी के विघटन पर, उसके गुण, यदि कोई हो, तो वह सरकार में निहित है।

नेफ्च्यून एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, 1973 में यह आयोजित किया गया था कि कंपनी अधिनियम में "स्वैच्छिक समापन" की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब है कि उस प्रभाव के लिए एक कंपनी के विशेष संकल्प द्वारा winding-up। इसी तरह, अभिव्यक्ति "अदालत द्वारा हवाला देना" का अर्थ कंपनी अधिनियम की धारा 433 के अनुसार न्यायालय के एक आदेश द्वारा winding-up है। कंपनी अधिनियम (धारा 484) स्वैच्छिक समापन के लिए दो तरीके प्रदान करता है।

अपनी प्रगति जाँचिए (Check Your Progress)

- स्वैच्छिक समापन:
 - यदि कंपनी के लिए तय की गई अवधि समाप्त हो गई है।
 - यदि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है तो कंपनी स्वेच्छा से घाव कर देती है।
 - सदस्य स्वैच्छिक समापन केवल विलायक कंपनियों पर लागू होते हैं।
 - ऊपर के सभी
- परिसमापक द्वारा किए जाने वाले भुगतान के क्रम में पहला आइटम है:
 - सुरक्षित लेनदार
 - अधिमानी लेनदार
 - परिसमापन का खर्च
 - अधिमानी लेनदार
- कंपनी के खत्म होने की स्थिति में ट्रिब्यूनल योगदानकर्ताओं की सूची तैयार करेगा।
 - सूची A
 - सूची B
 - सूची A और सूची B
 - सूची A या सूची B
- निम्नलिखित में से एक उदाहरण है, जहाँ न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड को समापन के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाया जा सकता है।
 - बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक का विरोध।
 - ऋण का भुगतान करने में असमर्थता।
 - वाणिज्यिक दिवालिया।
 - न्यूनतम से कम सदस्यों की कटौती।
- अधिकरण द्वारा किसी कंपनी को बंद करने का उद्देश्य है।
 - अपनी संपत्ति की सुरक्षा की सुविधा के लिए।
 - सार्वजनिक कंपनी होने पर कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करना।
 - यदि निजी कंपनी है तो कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना।
 - ज्ञापन और लेख बदलने के लिए।
- एक स्वैच्छिक समापन का मतलब है कि ऊपर से घुमावदार होना।
 - सदस्य या लेनदार।
 - सदस्य या योगदानकर्ता।
 - योगदानकर्ता या लेनदार।
 - शेयर धारकों या ट्रिब्यूनल।

टिप्पणी

टिप्पणी

5.11 अपनी प्रगति जाँचिए प्रश्नों के उत्तर (Answers to Check Your Progress)

1. (घ)
2. (ग)
3. (ग)
4. (क)
5. (क)
6. (क)

5.12 सारांश (Summary)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की गंभीर रूप से जांच करने के बाद, यह पता लगाया जा सकता है कि कानून का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है, लेकिन इसके लिए इन प्रावधानों को सुरक्षित रखने और उनके बहुमूल्य अधिकारों पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 में अल्पसंख्यक शेयरधारकों को कंपनी में बहुमत नियमों और विनियमों के दमन के कारण कंपनी का एक प्रमुख हिस्सा नहीं माना गया था। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 ने कंपनी के शेयरधारकों के अल्पसंख्यक अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे जो भी हो, कंपनी के उत्पीड़न और अस्तित्व के अस्तित्व के बावजूद अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसलिए, अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रवर्तन के प्रति यह दोहरा दृष्टिकोण कंपनी के प्रबंधन के उचित प्रशासन की गारंटी तभी देता है जब इसे कंपनी के प्रबंधन में अल्पसंख्यक शेयरधारकों को महत्व और अधिकार देकर इसे ठीक से लागू किया जाता है।

5.13 मुख्य शब्दावली (Key Terminology)

- कोषाध्यक्ष: खज़ांची
- स्वामित्व: मालिकी
- अनधिकृत: अनपेक्षित, अकारण
- न्यायसंगत: न्यायोचित, न्याय्य

5.14 स्व-मूल्यांकन प्रश्न एवं अभ्यास (Self Assessment Questions and Exercises)

टिप्पणी

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

1. अल्पसंख्यकके अधिकारों की व्याख्या करें।
Explain minority rights.
2. कुप्रबंधन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें।
Explain provisions related to mismanagement.
3. बहुसंख्यक शक्तियाँ क्या हैं?
What are majority powers?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित प्रावधानों को लिखें।
Write the provisions related to oppression and mismanagement.
2. कंपनी के समापन के विभिन्न तरीके क्या हैं?
What are the various modes of winding-up of a company?

5.15 सहायक पाठ्य सामग्री (Suggested Readings)

1. Shukla S.M., *Company Adhinyam S/B*, Agra (Hindi and English).
2. Nowlkha Jain and Tripathi, *Company Law*, Universal – Agra (Hindi).
3. Dr. Bajpai and Jain, *Company Law*, M.P. Hindi Granth Academy, Bhopal.
4. Chawla and Garg, *Company Law*, S. Chand and Vikas Publishing House, Delhi.
5. Bagrial A.K., *Company Law*, New Delhi.
6. R.N. Nolakha, *Company Law*, R.B.D. Jaipur.

संदर्भ सूची (References)

टिप्पणी

- <https://businessjargons.com/types-of-companies.html>
- <https://www.toppr.com/guides/business-studies/formation-of-a-company/promotion-of-a-company/>
- <https://bbamantra.com/incorporation-of-a-comapany/>